लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation Unit
6-7-98
Fumigated
On 16/1/98
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 41 to 50

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

22 अप्रैल, 1968 । 2 वैशाख , 1890 (शक) का शुद्धि-पत्र ·

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1119	पंक्ति 16 , `खाद्य , कृषि , सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ` के स्थान पर `खाद्य तथा कृषि मंत्री `पढ़िये ।
1120	नीचे से पंक्ति 6 , `विधेयक `के बाद `संबंधी प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव ` शब्द निकाल दीजिये ।
1126	पंक्ति 17 , `दो बजे म.प.` के स्थान पर `दो बज कर पांच मिनट ` पढ़िये । पंक्ति 18 , ` Fourteen ` . के स्थान पर 'Five minutes past Fourteen ' पढ़िये । पंक्ति 21 , `हमारे `से पहले `श्री कन्हप्पन `पढ़िये ।
1127	पंक्ति 19 , ` Shri Chandrika Sinha ' के स्थान पर ' Shri Chandrika Prasad ' पढ़िये । पढ़िये ।
1145	पंक्ति 12 और 13 के बीच `अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए Mr. Speaker in the Chair ' पढ़िये ।
1162	पंक्ति 24 के बाद `अध्यक्ष `के स्थान पर `उपाध्यक्ष `और 'Speaker' के स्थान पर ' Deputy Speaker ' पढ़िये ।
1166	पंक्ति 4 और 5 के बीच निम्नलिखित पढ़िये : `अनुदानों की मांगें , 1968-69 - जारी DEMANDS FOR GRANTS 1968-69 - contd. संचार विभाग - जारी

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 47, सोमवार, 22 अप्रैल, 1968/वैशाख 2, 1890 (शक)

No. 47, Monday, April 22, 1968/Vaisakha 2, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1349. सामान्य बीमा कम्पनियां	General Insurance Companies ..	985—986
1350. जीवन बीमा निगम का कारोबार	L. I. C. Business ..	986—990
1355. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings ..	990
1357. बैंकों में 'धीरे काम करो' आन्दोलन और हड़तालें	'Go-Slow' and strikes in the Banks ..	991—992
1360. तारकोल के ढोलों की चादरों की आवश्यकता	Requirement of Bitumen Drum Sheets ..	992—994
1361. रेडियो पर नया उत्पादन शुल्क	New Excise Duty on Radios ..	994—995
1362. दिल्ली के चारों ओर उप-नगरों का बसाया जाना	Satellite townships around Delhi ..	995—997
1366. दिल्ली में बाढ़ के कारण क्षति	Damage due to floods in Delhi ..	997—1000
1368. इस्पात फर्नीचर तथा अस्पताल उपकरणों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Steel Furniture and Hospital Equipments ..	1000
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1347. भारतीयों के ट्रवलर्स चैकों का विदेशों में भुगतान न होना	Dishonouring of Travellers' Cheques held by Indians in foreign Countries ..	1001

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1348. 'लूप' का बेकार होना	Failure of "Loop"	..	1001
1351. वातानुकूलन तथा शीतीकरण उपकरणों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Airconditioning and Refrigeration Equipments	..	1002
1352. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission Report on Public Undertakings	..	1002
1353. राष्ट्रीय आय	National Income	..	1002—1003
1354. अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद	Inter-State River Water Dispute	..	1003
1356. राज्यों को ऋण	Loans to States	..	1003
1358. बिजली पैदा करने का जापानी तरीका	Japanese Method of Generating Electricity	..	1004
1359. दिल्ली से अनधिवासियों को हटाने के काम का स्थगित किया जाना	Postponement of Eviction of Unauthorised People in Delhi	..	1004
1363. पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of Devaluation of Pound Sterling	..	1005
1364. मलेरिया उन्मूलन के बारे में पाकिस्तान से बातचीत	Talks on Malaria Eradication with Pakistan	..	1005—1006
1365. मच्छरों का प्रकोप	Mosquito Menace	..	1006
1367. औद्योगिक कर्मचारी गृह-निर्माण योजना	Industrial Workers' Housing Scheme	..	1006—1007
1369. सोडा बाइकार्बोनेट बनाने वाला कारखाना	Soda Bicarbonate Manufacturing Factory	..	1007—1008
1370. डायर मिकिन-मोहन उद्योग समूह द्वारा करापवंचन	Tax Evasion by Dyer Meakin-Mohan Group of Industries	..	1008
1371. हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी (पूना) में विटामिन 'सी' का उत्पादन	Production of Vitamin 'C' at Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri (Poona)	..	1008—1009
1372. दिल्ली नगर निगम द्वारा चुंगी लगाये जाने का दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Terminal Tax by D. M. C. on prices of Essential Commodities in Delhi.	..	1009
1373. पिछड़े वर्गों का प्रतिवेदन	Report of Backward Classes	..	1009

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1374. कारगिल और लेह में सिंचाई परियोजना की विफलता	Failure of Irrigation Projects in Kargil and Leh ..	1010
1375. भारतीय तेल निगम के अधिकारी	I. O. C. Officials ..	1010
1376. खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in the Gulf of Cambay ..	1011
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7918. उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	Centrally Aided and Sponsored Schemes, Orissa ..	1011
7919. बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें	Major and Medium, Irrigation Schemes..	1012
7920. विदेशी ऋण	Foreign Loans ..	1012
7921. मकानों की कमी	Housing Shortage ..	1012—1013
7922. भारतीय दलित वर्ग लीग	Bhartiya Depressed Classes League ..	1013
7923. जिला बुलन्दशहर के गांवों में अस्पताल / प्रसूति गृह	Hospitals/Maternity Centres in Bulandshahr District Villages ..	1013—1014
7924. उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में बिजली विभाग में बिजली के तार का बदलना	Replacement of Electric Wiring in Electricity Deptt. in Bulandshahr District, Uttar Pradesh ..	1014
7925. 1968-69 के आय-व्ययक में सिगारों पर उत्पादन शुल्क की वृद्धि	Increase in Excise Duty on Cigars in Budget of 1968-69 ..	1014—1016
7926. ग्रामीण आवास परियोजनाएं योजनाएं	Village Housing Projects Schemes ..	1016
7927. राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Rajasthan ..	1016—1017
7928. आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears ..	1017
7929. कुछ कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears from certain Companies ..	1018
7930. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण का ब्याज दर कम की जाने की मांग	Demand for lowering of lending rates by Commercial Banks ..	1018

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
7931. सरकारी उपक्रमों के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ की मांग	Demand of F. I. C. C. I. regarding Government Enterprises ..	1019
7932. कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने	Coal-Based Fertilizer Plants ..	1019
7933. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय के ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of the set up of the Offiice of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	1020
7934. एक रुपए के नये नोट	New One Rupee Notes ..	1021
7935. वित्त आयोग	Finance Commission ..	1021
7936. केरल में केन्द्रीय सरकार की इमारतें	Central Government Buildings in Kerala ..	1022
7937. उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में बड़ी गागौ बांध परियोजना	Larger Gagau Dam in Banda, U. P. ..	1022
7938. बांदा जिला (उत्तर प्रदेश) में बाधेंन बांध	Badhain Dam in Banda District, U. P. ..	1022
7939. रबड़ उत्पादन के लिये कच्चा माल	Raw Material for Rubber Production ..	1023
7940. उत्तर प्रदेश का पंजीकरण राजस्व विभाग	Registration Revenue Department Uttar Pradesh ..	1023
7941. शाडी सूत पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Shoddy Yarn ..	1023
7942. पटसन का तस्कर व्यापार	Smuggling of Jute ..	1023—1024
7943. सहकारी क्षेत्र के उपक्रम को छोड़कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी करने वाले कर्मचारी	Officials who left Public Sector and joined Private Sector ..	1024
7944. बिजली पर रायल्टी के लिये हिमाचल प्रदेश की मांग	Demand for Royalty on Power by Himachal Pradesh ..	1024
7945. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertaking ..	1025
7946. सूरत में चोरी छिपे लाये गये नायलोन रेयन का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Nylon Rayon at Surat ..	1025

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
7947. सरकारी उपक्रमों के लिये प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋण	Secured and unsecured Loans to Public Undertakings ..	1026
7948. रिजर्व बैंक के कर्मचारी	Reserve Bank Employees ..	1026—1027
7949. प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण छापना	Printing of Hindi Editions of Publications ..	1027
7951. पैट्रोलियम और रसायन उद्योग	Petroleum and Chemicals Industries ..	1027—1028
7952. ब्रिटेन में दिल्ली के एक नाई का प्रशिक्षण	Training for Delhi Barber in U. K. ..	1028
7953. दिल्ली में झोपड़ियां	Jhonparies in Delhi ..	1029
7954. गैर-सरकारी बैंकों में जमा राशि	Deposits in Private Banks ..	1029—1030
7955. स्टाफ कारें	Staff Cars ..	1030
7956. गुजरात तेल शोधक कारखाना	Gujrat Refinery ..	1030—1031
7957. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad ..	1031
7958. तेल के ढोलों (बैरलों) के लिये इस्पात की चादरें	Steel Sheets for Oil Barrels ..	1031—1032
7959. वैद्यों द्वारा एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग	Use of Allopathic Medicines by VAIDS ..	1033
7960. बाढ़ से फसलों की रक्षा	Protection of Crops from Floods ..	1033
7961. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad ..	1033—1034
7962. देश में नलकूपों के लिये बिजली	Power for Tube Wells in the Country ..	1034
7963. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd. ..	1034
7964. अपंग बच्चों के लिये स्कूल	Schools for Handicapped Children ..	1035
7965. बहरों तथा गूंगों के लिये शिक्षा संस्थाएं	Educational Institutions for Deaf and Dumb ..	1035

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
7966. उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षक कार्यालय में सिलैक्शन ग्रेड के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति	Filling of Selection Grade Posts in the Cheif Auditor's Office, Northern Railway for S. C. and S. T. ..	1036
7967. उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षक के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for S. C. and S. T. in Chief Auditor's Office, Northern Railway ..	1036—1037
7968. राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों की अहमदाबाद में हुई बैठक	Meeting of the Chairmen of State Electricity Boards held at Ahemadabad ..	1037
7969. ऋणों के मामले में राहत	Debt Relief ..	1038
7970. पिछड़े वर्गों के लिये 20 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण को अवैध करार देने सम्बन्धी उच्चतम न्ययालय का निर्णय	Supreme Court's decision declaring Reservation of twenty per cent seats for backward classes as invalid ..	1038
7971. नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम में केन्द्रीय पुलिस के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Central Police Personnel in R. K. Puram, New Delhi ..	1039
7972. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर में दो चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के सामने से चट्टानों आदि का हटाना	Removal of rock etc. in front of class IV Employees Quarters in Sector II of R. K. Puram, New Delhi ..	1039
7973. राजौरी गार्डन (नई दिल्ली) के निकट झुग्गी झोपड़ी बस्ती में नागरिक सुविधाएं	Civic amenities in J. J. Colony near Rajouri Garden, New Delhi. ..	1039—1040
7974. दिल्ली में झुग्गियां	Shanties in Delhi ..	1040
7975. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली आदि में पानी की सप्लाई के सीमित घंटे	Restricted water supply hours in R. K. Puram, Delhi, etc. ..	1041
7976. पलवल के निकट जलाशय का निर्माण	Construction of reservoir near Palwal ..	1041

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7977. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार	Extension of C. G. H. S. Scheme	..	1041—1042
7978. चीनी आक्रमण के पश्चात अमरीकी सहायता	U. S. Aid after Chinese Aggression	..	1042
7979. केन्द्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की बकाया राशि देना	Withdrawal of Arrears of Dearness Allowance by Central Government Employees	..	1042—1043
7980. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	..	1043
7981. आसाम बरौनी पाइप लाइन	Assam-Barauni Pipe Line	..	1043
7982. अधिकारियों के निवास स्थान से टेलीफोन हटाना	Removal of Telephones from the residence of Officers	..	1044
7983. बसुन्धरा जलाशय तथा नीरडी बांध योजना का प्रारूप	Draft Plant of Vasundhra Reservoir and Neeradi Barrage Scheme	..	1044
7984. पोस्त की खेती	Cultivation of Poppy	..	1044—1045
7985. पोस्त की खेती	Poppy Cultivation	..	1045—1046
7986. उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याण विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Social Welfare Department, U. P. Government	..	1046—1047
7987. उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings under Health Department Uttar Pradesh	..	1047
7988. चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं	Smuggled Goods	..	1047
7989. जब्त किये गये माल को बेचने की प्रक्रिया	Procedure for Disposal of Confiscated Goods	..	1048
7990. भारत-नेपाल, भारत-सिक्कम तथा भारत-भूटान सीमाओं के पार तस्करी	Smuggling Across Indo-Nepal, Indo-Sikkim and Indo-Bhutan Borders	..	1048
7991. हरिजनों का कल्याण	Welfare of Harijans	..	1048—1050
7992. राज्यों में बिजली की खपत	Power Consumption in State	..	1050—1051
7993. सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects	..	1051
7994. लेह और कारगिल में पन-बिजली तैयार करना	Generation of Hydel-Power in Leh and Kargil	..	1051—1052

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7995. भारतीय तेल निगम के चिकनाने वाले तेल का मूल्य ढांचा	Price Structure of I. O. C. Lubricating Oil	..	1052
7996. इण्डियन आयल कारपोरेशन का दायित्व	Liabilities of Indian Oil Corporation	..	1052—1053
7997. मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी	M/s. Khimji Poonja & Co.	..	1053—1054
7998. कोचीन सीमा शुल्क गृह	Cochin Customs House	..	1054
7999. दिल्ली के ट्रैवल एजेंसियों के कार्यालयों पर छापा	Raid on Offices of the Travelling Agencies in Delhi	..	1055
8000. मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी	M/s. Khimji Poonja and Company	..	1055—1056
8001. मैसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई	M/s. Promode Films, Bombay	..	1056
8002. मैसर्स साहू जैन	M/s. Sahu Jain	..	1057
8003. साहू जैन सार्थ समूह की फ़र्मों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Firms owned by Sahu Jain Group	..	1057—1058
8004. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशन	Operations under Family Planning Programme	..	1058
8005. श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कर की बकाया राशि	Tax arrears on Shri Haridas Mundra	..	1059
8006. उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilisers	..	1059
8007. दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक पण्य	Immoral Traffic in Women in Delhi	..	1060
8008. मैसर्स फिल्मिस्तान (पी०) लिमिटेड बम्बई की ओर करों की बकाया राशि	Taxes due from M/s. Filmistan (P) Ltd., of Bombay	..	1060—1061
8009. नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन के अधीक्षकों के पदों की भर्ती सम्बन्धी नियम	Recruitment Rules for Superintendent, Posts in the Town and Country Planning Organisation	..	1061
8010. बी० ओ० ए० सी० के विमान से जब्त किये गये सोने का मालिक	Owner of Gold Confiscated from B. O. A. C. Planes	..	1061—1062
8011. विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली	Vishwa Yuvak Kendra, New Delhi	..	1062—1063

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8012. राजधानी में योजनाबद्ध विकास	Planned Development of the Capital ..	1063
8013. पाकिस्तान द्वारा देय धन राशि	Dues from Pakistan ..	1064
8014. नई दिल्ली में डिफेन्स कालोनी में गन्दे पानी के नाले का ढका जाना	Covering of Drainage Nallah in Defence Colony, New Delhi ..	1064—1065
8015. "हालबा कोष्ठी" को अनुसूचित आदिम जाति मानने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का आदेश	Maharashtra Government's order regarding 'Halba Kosthis' to be treated as Scheduled Tribes ..	1065
8016. अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarship to the Scheduled Tribes Students Residing outside of Scheduled area ..	1065—1066
8017. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships to S. C. Students ..	1066
8018. महंगाई भत्ते में कमी	Reduction in Dearness Allowance ..	1066
8019. 'हालबा कोष्ठि' जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियां	Post Matric Scholarships to students belonging to the 'Halba Kosthi' Community ..	1066—1067
8020. जीवन बीमा निगम द्वारा बन्धक ऋण दिया जाना	Mortgage loan by L. I. C. ..	1067
8021. मध्य प्रदेश में नलकूपों के लिए बिजली	Electricity for Tube Wells in Madhya Pradesh ..	1067
8022. मध्य प्रदेश में सिंचाई और विद्युत परियोजना के लिए धन का नियतन	Allocation for Irrigation and Power Projects in Madhya Pradesh ..	1068
8024. कीर्ति नगर दिल्ली में औषधालय	Dispensary at Kirti Nagar, Delhi ..	1068
8025. उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के लिये सतर्कता विभाग	Vigilance Department for Electricity Board U. P. ..	1068—1069
8026. एडवांस इंश्योरेन्स कम्पनी के महाप्रबन्धक के मकान पर छापा	Raid on house of Managing Director of Advance Insurance Company ..	1069

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
8027. डालर की चोर बाजारी	Blackmarket in Dollar	..	1069—1070
8028. चम्बल क्षेत्र परियोजना	Chambal Area Scheme	..	1070
8029. कैनिंग परियोजना	Canning Project	..	1070—1071
8030. तस्करी को रोकने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को पारितोषिक दिया जाना	Awards given to Custom Officials to check smuggling	..	1071
8031. सामाजिक समस्याओं संबंधी राष्ट्रीय समिति	National Committee for Social Problems	..	1071—1072
8032. विमानों के लिये बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा पेट्रोलियम साफ किया जाना	Refining of Petroleum by Barauni Oil Refinery for Aircrafts	..	1072
8033. भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा प्रान्तीय सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रशिक्षण की सुविधाएं	Training facilities to Scheduled Castes for I.A.S. and P.C.S. Examinations	..	1072—1073
8034. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates in Public undertakings	..	1073—1074
8035. ग्रामीण आवास परियोजनाएं योजना	Village Housing Projects Scheme	..	1074—1075
8036. पी० एल० निधियों से अमरीकी व्यय में तेजी से वृद्धि	Sharp increase in U. S. Expenditure from P. L. Funds	..	1075—1076
8037. कलकत्ता में एयर इन्डिया के अधिकारी के निवास स्थान की तलाशी	Search of Air India Official's residence, Calcutta	..	1076
8038. ठेकेदारों के नाम काली सूची में दर्ज करना	Blacklisting of Contractors	..	1076
8040. दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना	Jhuggi-Jhonprie Removal Scheme in Delhi	..	1077
8041. दिल्ली में मकानों की कमी	Housing shortage in Delhi	..	1077
8042. स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण	Independent Appellate Tribunal	..	1077—1078

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8043. मैसूर राज्य में भद्रा नदी के जल का दूषित होना	Pollution of Bhadra River Water in Mysore State	..	1078
8044. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से जाली नुस्खों के द्वारा महंगी दवाइयों का निकाला जाना	Removal of Costly Medicines through forged prescriptions from C. G. H. S. Dispensaries	..	1078—1079
8045. देशी शराब पीने से आंखों की रोशनी का चला जाना	Loss of Vision after taking Country Liquor	..	1079
8046. वाशिंगटन में केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक	Meeting of Governors of Central Banks in Washington	..	1079—1080
8047. पंजाब नेशनल बैंक से जाली तरीके से रुपया निकालना	Bogus Withdrawal from the Punjab National Bank	..	1080
8048. बुलन्दशहर में सड़कें	Roads in Bulandsahar	..	1080
8049. सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प	Social Policy Resolution	..	1080—1081
8050. कानपुर की कपड़ा मिलों पर आय-कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears due from Textile Mills of Kanpur	..	1081
8051. उत्तर प्रदेश में नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations in U. P.	..	1081—1082
8052. उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन विभाग में कर्मचारियों की भर्त्ती के लिए शर्तें	Conditions for recruitment of Employees in Family Planning Department in U. P.	..	1082
8053. मैसूर राज्य के गांवों में बिजली का लगाया जाना	Rural Electrification in Mysore State	..	1082
8054. क्वार्टरों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र	Applications for Allotment of Accommodation	..	1083
8055. आय-कर अपवंचन के बारे में सूचना देने वालों को इनाम देना	Giving Rewards to Informants about Income-Tax Evasion	..	1084
8056. आय-कर का अपवंचन	Income-tax Evasion	..	1084
8057. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 8 और 9 में गैराजों का दुरुपयोग	Misuse of Garages in Sectors 8 and 9 of R. K. Puram, New Delhi	..	1084—1085

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
8058.	दिल्ली में शराब की चलती फिरती दुकानें	Mobile Liquor Shops in Delhi ..	1085
8059.	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears ..	1085—1086
8060.	कुछ कम्पनियों से आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears from certain Companies ..	1086
8061.	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears ..	1086—1087
8062.	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Rural Electrification ..	1087
8063.	विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	Willingdon and Safdarjang Hospital New Delhi ..	1087—1088
8064.	नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी के मीटरों की चोरी	Theft of Water-Meters in Netaji Nagar, New Delhi ..	1088
8065.	विदेशों के साथ आर्थिक तथा तकनीकी करार	Economic and Technical Agreements with Foreign Countries	1089
8066.	फिलिप्स कार्बन (ब्लैक) लिमिटेड, (दुर्गापुर) के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Philips Carbon (Black) Ltd., Durgapur ..	1089
8067.	दुर्गापुर में सरकारी अस्पताल	Public Hospital in Durgapur ..	1090
8069.	दिल्ली में मद्यनिषेध कानूनों में ढील	Relaxation of Dry Laws in Delhi ..	1090
8070.	मद्यनिषेध लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid to cover Revenue loss due to Enforcement of Prohibition ..	1090—1091
8071.	फोम रबड़ पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Foam Rubber ..	1091
8072.	आंध्रप्रदेश के सांगली आदिम जातीय लोग	Sangali Tribals of Andhra Pradesh ..	1091—1092
8073.	विट्ठल भाई पटेल हाउस में लिफ्ट	Lifts in Vithal Bhai Patel Bhavan	1092
8074.	एक ही स्थान पर 'पण्यावर्त कर' लगाना	Imposition of One Point "Turnover Tax" ..	1093
8075.	भारत तथा विदेशों में विशिष्ट जनांकिकीय प्रशिक्षण	Specialised Demographic Training in India and Abroad ..	1093

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8076. भारतीय मुद्रा का परिचालन	Indian Currency in Circulation ..	1093—1094
8077. प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन कोर	Family Planning Corps in each State ..	1094—1095
8078. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Exchange to Central Government Employees ..	1095
8079. दिल्ली के अस्पतालों में कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या और उनके वेतनमान	Sanctioned Staff Strength in Delhi Hospitals and their Pay Scales ..	1096
8080. केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on the Working of Central Government Hospitals ..	1096
8081. नानक सागर बांध में दरारें पड़ने के कारणों की जांच	Inquiry into the Causes of Cracks in the Nanak Sagar Dam	1097
8082. विश्व स्वास्थ्य संगठन	World Health Organisation ..	1097
8083. तेल के मूल्य	Oil Pricing ..	1097—1098
8085. खम्भात क्षेत्र में तेल	Oil in Cambay Region ..	1098
8086. नर्मदा जल परियोजना सम्बन्धी विवाद	Dispute over Narmada Water Project ..	1098—1099
8087. बी० ओ० ए० सी० विमान से पकड़ा गया सोना	Gold seized from BOAC Plane ..	1099
8088. सुनने में सहायक उपकरणों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Hearing Aids ..	1099—1100
8089. नर्मदा जल विवाद के बारे में सम्मेलन	Conference on Narmada Water Dispute ..	1100
8090. जापान से ऋण	Japanese Credit ..	1100—1101
8091. रूरकेला इस्पात जनरल हासपिटल में क्लोरोफार्म के कारण मौतें	Deaths due to Chloroform at Rourkela Ispat General Hospital ..	1101
8092. नायलोन धागे का मूल्य	Price of Nylon Yarn ..	1101—1102
8093. जीवन बीमा निगम की पालिसियों से धोखाबाजी से धन निकालना	Fraudulent withdrawal of L. I. C. Policies ..	1102—1103

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
8094. मकान मालिक संस्था, पटेल नगर, दिल्ली द्वारा ज्ञापन	Memorandum by House Owners' Association, Patel Nagar, Delhi	..	1103
8095. आध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान के लिए अनुदान	Grants for Spiritual Regeneration Movements	..	1103
8096. पेट्रोलियम और तेलों के मूल्य	Price of Petroleum and Oil	..	1103—1104
8097. इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद	Indian School of Mines, Dhanbad	..	1104
8098. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के अधीन तेल शोधक कारखाने	Refineries under Public and Private Sectors	..	1104—1105
8099. अनुसूचित जातियों के लोगों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन और उनका मूल्य	Allotment and Fixation of Price of Housing Plots to Scheduled Castes	..	1105
8100. कम्पोजिटर ग्रेड-एक के पद पर पदोन्नति	Promotion to Compositors Grade	..	1106
8101. भारत सरकार के मुद्रणालयों में फ़ोरमैन के ग्रेड पर पदोन्नति	Promotion to the Grade of Foremen in the Government of India Presses	..	1106
8102. राजस्थान में बिजली की दरों में विषमता	Disparity in Electricity Rates in Rajasthan	..	1107
8103. चोरी गई वस्तुओं के लिए विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों पर सामूहिक जुर्माना	Collective Fines on Willingdon Hospitals Employees for stolen articles	..	1107
8104. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Class III and IV Employees of Willingdon Hospital, New Delhi	..	1108
8105. विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Promotions given to Willingdon Hospital Employees	..	1108
8106. मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mekenzies Ltd.	..	1108—1109
8107. मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड	M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mekenzies Ltd.	..	1109

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8108.	मेसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेश तथा मेसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mekenzies Ltd. ..	1109
8109.	सोने की तस्करी	Smuggling of Gold ..	1110
8111.	दिल्ली में रेलवे पुलिस द्वारा विदेशी सोना लिए हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी	Arrest of a man in possession of Foreign Gold by the Railway Police, Delhi ..	1110
8112.	फरक्का बांध	Farakka Barrage ..	1111
8113.	आन्ध्र प्रदेश में स्वर्ण परियोजना	Swarn Project in Andhra Pradesh ..	1111
8114.	उत्तर प्रदेश में सरजू पर परियोजना	Project at Sarju in U. P. ..	1112
8115.	उड़ीसा द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से नियत राशि से अधिक राशि का निकालना	Overdrawal by Orissa ..	1112—1113
8117.	अंदमान द्वीप समूह की बस्तियों में चिकित्सा की सुविधाएं	Medical Facilities in Settlements Andaman Islands ..	1113
8118.	नार्थ और साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली में क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Quarters in North and South Avenues,, New Delhi ..	1113—1114
8119.	कलकत्ता के अस्पतालों में आपरेशनों का बन्द किया जाना	Suspension of Operations in Calcutta Hospitals ..	1114
8120.	लोअर दामोदर नदी की नहरें बनाने की योजना	Canalisation Scheme of Lower Damodar River ..	1114
8121.	गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Gorakhpur ..	1115
8122.	कुछ समवायों द्वारा निर्यात का कम बीजक दिखाने के कारण हुई हानि	Loss Suffered due to Under invoicing of Exports by certain Companies ..	1115—1116

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
फादर विन्सेंट फेरर को देश निकाला दिये जाने के समाचार	Reported deportation of Father Vincent Ferrer ..	1116
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri Nandkumar Somani ..	1116
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	1116
कुछ सदस्यों का कच्छ में निरुद्ध किया जाना और हटाया जाना	Detention and Removal of certain Members in Kutch ..	1117—1118
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1118—1119
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from sittings of the House—	
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report ..	1119
तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No.1174 ..	1119—1120
बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक	Banking Laws (Amendment) Bill ..	1120—1121
(1) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के समय को बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Select Committee Report ..	1120—1121
(2) प्रवर समिति के सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member on Select Committee ..	1121
सामान्य आयव्यय—1968-69	General Budget— 1968-69	
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants ..	1121—1170
पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals ..	1121—1134
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan ..	1122—1123
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ..	1123—1125
श्री दामानी	Shri S. R. Damani ..	1125—1126
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	1126—1127
श्री चंद्रिका सिंहा	Shri Chandrika Sinha ..	1127—1128
श्री अशोक मेहता	Shri Ashok Mehta ..	1128—1133
संचार विभाग	Ministry of Communications ..	1134—1170
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	1134—1137
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	1137—1138
श्री सूरजभान	Seri Suraj Bhan ..	1138—1140

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
श्री विमलकान्ति घोष	Shri Bimalkanti Ghosh	..	1141
श्री टी० डी० रामभद्रन	Shri T. D. Ramabadran	..	1142—1143
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	..	1143—1144
श्री वासुदेवन नायर	Seri Vasudevan Nair	..	1144—1145
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Singh	..	1145—1146
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	..	1146
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghubir Singh Shashtri	..	1160—1161
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	..	1161—1162
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	..	1162—1163
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Yerma	..	1163
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani		1163
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	..	1163—1164
श्री लकप्पा	Shri K. Lakkappa	..	1164
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	..	1164—1165
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	..	1165
श्री ना० नि० पटेल	Shri N. N. Patel	..	1166
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	..	1166
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	..	1166—1169
कच्छ क्षेत्र में संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	Statement re. arrests of MPs in Kutch area	..	1165
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	1165

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 22 **अप्रैल,** 1968/2 **वैशाख,** 1890 **(शक)**
Monday, April 22, 1968/Vaisakha 2, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

General Insurance Companies

*1349. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the Insurance Companies doing insurance of factories and the places of their location ;

(b) the number of insurance companies against whom cases of claims are pending in the courts and the reasons therefor ; and

(c) the maximum amount for which the said companies are authorised to insure ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आग बीमा का कारोबार करने वाली रजिस्टरशुदा कम्पनियों द्वारा कारखानों तथा अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आग बीमा की पालिसियां जारी की जाती हैं । निर्माण जोखिम, मशीनों की टूट-फूट सम्बन्धी जोखिम, बायलर तथा भाप-यंत्रों सम्बन्धी जोखिम जैसी कारखानों में जोखिम से सम्बन्धित इन्जीनियरी बीमा पालिसियां तथा मजदूरों को क्षतिपूर्ति देने सम्बन्धी आदि बीमे की पालिसियां विविध-बीमा कारोबार करने वाली कम्पनियों द्वारा जारी की जाती हैं । बीमा करने वाली कम्पनियों के नाम, बीमा कारोबार की श्रेणी जिसके लिये वे रजिस्टर हुई हैं तथा उनके रजिस्टरशुदा कार्यालयों के नाम भारतीय-बीमा-वर्ष-पुस्तिका 1966 में दिये गये हैं । आग बीमा का कारोबार, विविध बीमा का कारोबार अथवा दोनों ही प्रकार का कारोबार करने के लिये 124 कम्पनियां रजिस्टर-

शुदा हैं । बीमा नियंत्रक को प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी विवरणी में, इन बीमा कम्पनियों के शाखा-कार्यालयों की जगहों के बारे में सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बीमा कम्पनियों के लिए जरूरी नहीं है कि वे बीमा नियंत्रक को इस प्रकार की सूचना दें।

(ग) बीमा अधिनियम 1938 अथवा बीमा नियम 1939 के अधीन बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करने के बारे में अधिकतम रकम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

Shri Nihal Singh: May I know whether the Finance Minister have received complaints that in case of loss to policy holder factories, the Insurance companies avoid them by saying that the loss has been caused deliberately, if so, the number of such complaints received so far?

Shri Morarji Desai: I have not received any such complaint.

Shri Nihal Singh: May I know whether Government have any concrete programme for insurance of crops of the farmers?

Shri Morarji Desai: It is being considered but it has not been enforced so far.

Shri Prem Chand Verma: May I know whether the Minister have received complaints of misappropriation about National Insurance Company Ltd., New Asiatic Insurance Company Ltd. and Rubi Insurance Company Ltd.; if so, the names of the companies to which they relate and the details thereof? May I also know whether these complaints were looked into and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

Shri Morarji Desai: It has been enquired into and reply has also been given.

Shri Prem Chand Verma: I want to know about New Asiatic Insurance Company.

Shri Morarji Desai: I cannot furnish the details of individual Insurance Companies at this time.

जीवन बीमा निगम का कारोबार

*1350. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में जीवन बीमा निगम ने कितना नया कारोबार बुक किया और इसमें से विदेशी कारोबार कितना था;

(ख) क्रमशः उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा पूर्वी जोन द्वारा कितना कारोबार बुक किया गया; और

(ग) अधिक कारोबार प्राप्त करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में जीवन बीमा का क्रमशः 770 करोड़ तथा 844 करोड़ रुपये का नया कारोबार दर्ज किया गया। इसमें से विदेशी कारोबार क्रमशः 12.4 करोड़ तथा 9.1 करोड़ रुपये का था:

(ख) विभिन्न क्षेत्रों का नवीन कारोबार इस प्रकार था :

क्षेत्र	1966-67	1967-68
उत्तरी	98 करोड़ रुपये	113 करोड़ रुपये
केन्द्रीय	97 ,, ,,	115 ,, ,,
पूर्वी	156 ,, ,,	166 ,, ,,
दक्षिणी	211 ,, ,,	217 ,, ,,
पश्चिमी	196 ,, ,,	224 ,, ,,

(ग) जीवन बीमा निगम अधिक से अधिक कारोबार प्राप्त करने के लिये सब सम्भव उपाय करता है ।

Shri Prem Chand Verma : What is the percentage of business of L.I.C. in rural and urban areas and the nature of concrete steps taken by L.I.C. to promote business in rural areas during the last two years and the results achieved during 1966-67 and 1967-68 as compared to their performance during 1965-66.

The amount of claims filed during 1966-67 and 1967-68 as compared with the claims of 1965-66 and the number of claims not settled for more than a year and the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : Sir, as regards percentage, it is 71 per cent in the case of urban areas and 28 per cent in the case of rural areas.

As regards settlement of claims, 30 per cent are still outstanding and all others have been settled.

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that L.I.C.'s investment in shares amounted to Rs. 149.83 crores on 31st December, 1967 and out of it, only 3 per cent, that is Rs. 5.16 crores, had been invested in the Public Sector and the rest that is 97 per cent, had been invested in Private Sector. Out of it, Rs. 7.72 crores have been invested in the shares of Indian Iron and Steel Company Ltd. whereas the profit of this company had come down by 50 per cent in 1966-67 as compared to 1965-66 and its present position is deplorable; if so, the reasons for not selling the shares of this company when a profit of Rs. 2 crores could be realised by the sale of shares of this company at this juncture and why the amount is not invested in an item which may not result in loss? Will the Hon. Minister be pleased to furnish information in regard to this question of investment?

Shri Jagannath Pahadia : If a separate question is asked, the information would be collected and furnished.

Shri Rabi Roy : The quantum of business secured on behalf of persons drawing less than Rs. 1,000?

Shri Jagannath Pahadia : The figures will have to be collected in this regard.

श्री लोबो प्रभु : जब से बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है, बीमा पर प्रतिलाभ, बोनस नहीं बढ़ाया गया। इसे संसार में सबसे कम समझा जाता है । सरकार ऋणों पर जो ब्याज की दर देती है, यह उसके बहुत ही प्रतिकूल है । बहुत से मामलों में पालिसी की जितनी राशि प्राप्त की जाती है । उतनी ही राशि का भुगतान किया जाता है जबकि मुद्रा में मूल्यह्रास हो जाता है । क्या सरकार ने बोनस बढ़ाने और बीमा को अधिक लाभदायक बनाने की ओर ध्यान दिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जीवन बीमा निगम के खर्चों की जांच की जा रही है । उसके बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्या किया जा सकता है ।

श्री रंगा : बोनस के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह व्यय पर निर्भर करता है । यही कारण है कि इसे नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री रंगा : खर्चे बढ़ रहे हैं । क्या उन्हें कम नहीं किया जा सकता ?

श्री मोरारजी देसाई : खर्चा कम करने के उद्देश्य से उनकी जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने के बाद ही मैं बता सकता हूं ।

श्री रंगा : परिणाम क्या रहा ?

श्री मोरारजी देसाई : जांच पूरी हो जाने पर परिणाम का पता चलेगा ।

श्री लोबो प्रभु : यह खर्चे का ही प्रश्न नहीं बल्कि पूंजी लगाने का भी प्रश्न है । सभी बीमा कम्पनियों को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाने के लिए बाध्य किया जाता है । यदि उन्हें इक्विटी, गैर-सरकारी औद्योगिक प्रतिभूतियों में पूंजी लगाने की इजाजत दी जाये तो अधिक आय होगी और इसलिए बोनस ज्यादा होगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाने का तरीका क्या है ? क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक वाले विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी लगाने की निगम ने अब क्या व्यवस्था कर रखी है । जहां तक गृह निर्माण का सम्बन्ध है, बीमा निगम ने कुछ रकम लगाई है । **(व्यवधान)**

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : एक अलग प्रश्न पूछा जाये ।

श्री सु० कु० तापड़िया : पिछले दस वर्षों में औसत भारतीय की आयु काफी बढ़ गई है । जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी एकाधिकारी उद्योगों के कुछ लाभ जन सामान्य को पहुंचायेगी और उनकी ओर ध्यान देगी तथा क्या उसकी किश्त की दरें कम करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : बीमा कम्पनियों का सभी सामान्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध नहीं है। बीमा कम्पनी केवल उन लोगों के साथ व्यवहार करती है जो इससे व्यवहार करते हैं। इसलिए औसत व्यक्ति की चर्चा करना व्यर्थ है। (**व्यवधान**)। जीवन बीमा निगम यह देखने का प्रयास कर रहा है कि यह राष्ट्रीय हित के साथ-साथ अपना कारोबार कैसे बढ़ा सकता है तथा लाभ को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

श्री रंगा : राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह भी था कि किश्त की दरों को कम किया जाये। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है।

श्री मोरारजी देसाई : इसके खर्चे की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। जब तक मुझे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता तब तक मैं कोई निश्चित उत्तर कैसे दे सकता हूं।

Shri Sheo Narain: Will the Hon. Minister be pleased to state the amount in respect of the persons whose policies have become paid up after the nationalisation?

Shri Jagannath Pahadia: Accounts are maintained in respect of all the persons. If the Hon. Member puts a separate question, the information would be given definitely.

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि एक समिति पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम जो बोनस दे रही है वह उससे कम है जो राष्ट्रीयकरण से पहले ओरियन्टल तथा कुछ अन्य बीमा कम्पनियों द्वारा पहले दिया जाता था और क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम जो कारोबार कर रही हैं उसमें से काफी प्रतिशत हर वर्ष व्यपगत हो जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई : व्यपगत अनुपात लगभग 7 प्रतिशत है। इसलिए इसे असाधारण अनुपात नहीं कहा जा सकता। यह पिछले तीन वर्षों से है। यह सम्भव है कि अब जो बोनस दिया जाता है वह उससे कम हो जो कुछ अन्य कम्पनियों द्वारा दिया जाता था। इसलिए इस बात की पूरी जांच की जा रही है।

Shri K. N. Tiwary: The quantum of business secured by L.I.C. from agriculturists, business class and service class, separately and the nature of facilities provided to the Agriculturalists for house building etc.?

Shri Jagannath Pahadia: I have already furnished all the information in the statement. I have given percentage also in my reply to the question. If the Hon. Member wants percentage of Agriculturalist Sector, Business Sector and Service Class separately, then he should give notice of a separate question.

Shri Prakash Vir Shastri: Sometime back Ministry of Finance had set up an organisation under the supervision of Shri Kalet, a Government of India official, to enquire into General Insurance Companies. This organisation had found out cases of misappropriation worth crores of rupees. But the organisation was wound up. In the reply to this question, the Finance Minister had stated that the organisation was proposed to be revived. I want to

know the progress made in this regard and whether the organisation has been revived and if not, by when the organisation would be revived ?

श्री मोरारजी देसाई : पहले जो संगठन बनाया गया था उसने इन बातों की जांच की थी लेकिन यह पांच वर्ष पहले की बात है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि इसे किस रूप में संगठित किया जाये। मैं इस बात पर भी विचार कर रहा हूं कि क्या इस जीवन बीमा निगम को चार या पांच भागों में विभाजित कर दिया जाये। इन सभी बातों की जांच की जा रही है लेकिन जब तक मैं किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता तब तक मैं सभा के सामने यह नहीं कह सकता कि क्या किया गया है।

श्री रंगा : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह सुझाव तीन वर्ष पहले दिया था।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने इसे हाथ में ले लिया है और मुझे विश्वास है कि यह किया जा सकता है लेकिन मैं यह देखने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*1355. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन तथा अन्य देशों में स्थित भारत के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के क्रय अथवा समाहार कार्यालयों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उनके कार्य को समन्वित करने तथा बचत करने की दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध एककों से सम्बन्धित कार्यालयों का विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की तथा अन्य प्रकार की कितनी बचत होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इण्डिया सप्लाई मिशन पिछले कुछ वर्षों से कुछ विचित्र काम कर रहा है। यह भारत की ओर से क्रय कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या इण्डिया सप्लाई मिशन में कुछ विभाग या अनुभाग खोले जायें जो विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से की जाने वाली खरीदों की देखभाल करें। इससे केवल व्यय ही कम नहीं होगा बल्कि सप्लाई मिशन के माध्यम से क्रयों में अधिक बचत भी होगी।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है। इस पर विचार किया जायेगा।

'Go-Slow' and Strikes in the Banks

*1357. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'Go-Slow' campaign, strikes, etc. in the banks of the country are on the increase and the standard of service is constantly falling ; and

(b) if so, the action that Government propose to take in this connection keeping in view the economic condition of the country and the public interest involved therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Although the bank employees continue to resort to strikes and go slow methods in support of their demands and although the standard of service to constituents leaves scope for improvement, there does not appear to have been any marked deterioration in the situation in recent months.

(b) An Industrial Committee on the Banking Industry has been set up recently to improve labour-management relations. The National Commission on Labour have also constituted a study group on this industry. Specific proposals, if any, made by these bodies will be considered.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Two Worker's Unions are functioning in Banking Industry viz All-India Bank Employees Association and All India Bank Employees Federation. There are some differences between these two Unions on the question of bargaining on behalf of workers. Is it a fact that the All-India Bank Employees Association hold the opinion that they are in majority and they have the authority to bargain on behalf of the workers and the Federation maintains that they represent the employees, therefore they should have the authority to bargain ? How the Government propose to solve it ?

Shri Jagannath Pahadia : There are many Associations of Bank employees. We call for information in regard to the representations received from them and justified demands are taken into consideration.

Shri Raghuvir Singh Shastri : What is your policy about it.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : I have nothing to do in it ; the Bank authorities are to deal with it.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether the social control on Banks would result in lesser number of disputes of this kind and would it be possible to inculcate confidence among the Bank employees ?

Shri Morarji Dasai : Even now the Bank employees are dealt with sympathetically. But sometimes excess of sympathy also results in greater number of disputes. This is also kept in view and in future also, it will be kept in mind.

श्री सूपकार : हाल ही में बैंक कर्मचारियों ने कुछ श्रम संघीय अधिकारों के लिये जो हड़ताल की थी, सरकार का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है ?

श्री मोरारजी देसाई : किन अधिकारों के लिये इस सदन के समक्ष एक नए विधेयक के एक खण्ड के विरोध में उन्होंने एक प्रदर्शन अवश्य किया था, जो अनुचित था क्योंकि विधेयक

अभी सभा के विचाराधीन है। सरकार ने जनता के न्यायोचित अधिकार कम करने की कोई चेष्टा नहीं की।

श्री वासुदेवन नायर : क्योंकि इस जानकारी खण्ड के शामिल किये जाने से बैंकों की गतिविधियों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कर्मचारियों को अपने परम्परागत अधिकार छिन जाने का भय है इसलिए क्या सरकार उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके वातावरण को शान्तिमय बनाए रखने का प्रयत्न करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मामला इस समय प्रवर समिति के पास है इसलिये इस मामले पर इस समय कुछ कहना उचित नहीं है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री समर गुह : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, द्वारा हाल ही में जो आम-हड़ताल बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के विरोध में की गई थी उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : जैसा मैंने पहले कहा, यह विरोध अनुचित है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : I want to know whether the Hon. Minister wants to give incentives to the Bankers or Bank employees. If the latter are encouraged, they would reveal startling information regarding hoarding of black money by people which could be of immense use to Government ?

Shri Morarji Desai : Any one who wants to do good can do so. But the question of alluring them to do so does not arise.

तारकोल के ढोलों की चादरों की आवश्यकता

*1360. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 तथा 1967-68 में तारकोल के ढोल बनाने की चादरों की कितनी आवश्यकता थी और इनमें से कितनी चादरें भारत में बनाई गई थीं;

(ख) क्या 11 जून, 1964 को हुई अन्तर्मंत्रालय बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सभी किस्मों के ढोलों की चादरें केवल ढोल बनाने वालों को ही समानता के आधार पर वितरित की जायें; और

(ग) क्या तेल शोधक कारखानों द्वारा अपनी मरजी के लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ढोल निर्माताओं को आयातित तथा देश में बनी चादरें आवंटित करने का वर्तमान आधार इस बैठक में किये गये निर्णय का उल्लंघन करता है और इससे कुछ ढोल निर्माताओं को अपने कारखाने पूरी क्षमता के साथ चलाने की सुविधा मिलती है जबकि अन्य कारखाने बेकार रहते हैं अथवा उनमें क्षमता से कम काम होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) बिटूमैन, ढोल चादरों की खपत 1966 के दौरान 29,556 मीटरी टन और 1967 के

दौरान 30,418 मीटरी टन थी। देशीय साधनों से इस्पात की चादरों की सप्लाई 1966 के दौरान 5,656 मीटरी टन और 1967 के दौरान 5,931 मीटरी टन थी।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि तकनीकी विकास महानिदेशालय फिर से अपनी सूची में दर्ज निर्माताओं के बारे में समन्वय प्राधिकारी होगा। परन्तु तकनीकी विकास महानिदेशालय अपनी सूची में दर्ज निर्माताओं के कोटे में; यदि उन्हें कोई अलग ठेकों से सम्बन्धित तेल कम्पनियों से सीधी सप्लाई हुई हो, तो उसे ध्यान में रखकर तदनुसार समंजन करेगा।

(ग) उक्त (ख) को ध्यान में रखते हुये कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री समर गुह : लोहा और इस्पात, पैट्रोलियम और रसायन तथा उद्योग और तकनीकी विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक 11 जून, 1964 में हुई थी जिसमें मंत्री महोदय ने भी शायद भाग लिया था फिर भी 21 दिसम्बर, 1967 को अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने इस बैठक की कार्यवाही से अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है और इस वक्तव्य के बारे में जो इस बैठक के सभापति द्वारा पात्र तथा ढोल (ड्रम) निर्माताओं को कच्चे माल की यथा-संभव समान आधार पर सप्लाई सुनिश्चित करने में बारे में है, उसके प्रति भी अपनी अनभिज्ञता के बारे में कैसे कह दिया ?

श्री रघुरामैया : मैं इस बैठक में उपस्थित नहीं था। फिर भी मेरे पास बैठक की कार्यवाही का वृत्तान्त है। यह ठीक है कि ऐसी इच्छा व्यक्त की गई थी, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि तेल कम्पनियों को कुछ भी सप्लाई न की जाये। बैठक में यह मान लिया गया था कि निर्माताओं को सप्लाई का निर्धारण करते समय तेल कंपनियों द्वारा जो माल निर्माताओं को दिया जाता है उसका हिसाब करके आवश्यक समायोजन किया जाये।

श्री समर गुह : अब आप केवल तेल कंपनियों को देने की बात कर रहे हैं निर्माताओं को नहीं। पहले उस प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि इस बैठक और उसमें हुए इस निर्णय के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अब, इसी अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कि 3000 टन तारकोल ड्रमों की चादरें इण्डियन आयल के द्वारा 40 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करके आयात की गई जिनका कोई उपयोग नहीं हो सका। पुनः 50 लाख रुपये का आयात लाइसेंस इसी प्रयोजन के लिये पुनः इसी कंपनी द्वारा लेकर उसे 18 गेज में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे सरकार को फिर विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी। तो क्या सरकार अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करके ये चादरें निर्माताओं को सीधे-आयात करने की अनुमति देगी ताकि विदेशी मुद्रा की हानि न हो और लाइसेंस देने वाले अधिकारी भ्रष्टाचार न कर सकें और साथ ही तेल कंपनियों द्वारा ये चादरें केवल अपने मन पसन्द के निर्माताओं को ही न दी जा सकें ?

श्री रघुरामैया : प्रश्न का प्रथम भाग उस समय से संबंधित है जब मैं किसी और मंत्रालय में था। अतः सदस्य महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मुझे उस उत्तर की एक प्रति दें ताकि मैं जांच करूं कि दोनों उत्तर परस्पर विरोधी तो नहीं हैं। दूसरे पहलू के बारे में, तेल कंपनियों को

सप्लाई बंद नहीं की जा सकती क्योंकि कुछेष कंपनियां इन ड्रमों का निर्माण स्वयं करती हैं जैसे कोचीन तेल शोधन कारखाना तथा बर्मा शैल । हां, आई० ओ० सी० के बारे में यह ठीक है कि उत्पादन की संभावना के आधार पर कुछ चादरें आयात की गई थीं किन्तु उत्पादन न हो सका, अतः इस्पात मंत्रालय से सलाह करके इस बात पर विचार किया जाएगा कि इन्हें सबसे अच्छे ढंग से कैसे वितरित किया जाये ।

श्री समर गुह : क्या यह सच नहीं है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी कुछ मन पसन्द के निर्माताओं को ही लाइसेंस देते हैं ?

श्री रघुरामैया : तेल कंपनियां जिन्हें चादरों के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं चाहती हैं कि तैयार ड्रम उन्हें समय पर मिलें । इसलिये वे उन्हीं निर्माताओं को देती हैं जो उनके विश्वासपात्र होते हैं ।

रेडियो पर नया उत्पादन शुल्क

*1361. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संस्था के अध्यक्ष के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वाल्व और ट्रांजिस्टर पर लगे नये उत्पादन शुल्क के कारण अनेक छोटे पैमाने पर रेडियो बनाने वालों को अपने एकक बन्द करने पड़ जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नये कर के परिणामस्वरूप जिस रेडियो सेट का मूल्य 165 रुपये है उसका मूल्य 55 रुपये बढ़ जायेगा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) . अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संस्था के अध्यक्ष का वक्तव्य सरकार की जानकारी में लाया गया नहीं लगता । तथापि, वाल्वों, ट्राजिस्टरों तथा डायोड पर वित्त विधेयक में प्रस्तावित शुल्क के सम्बन्ध में रेडियो निर्माण उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न हितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों में दिये गये कारणों की जांच की जा रही है ।

वाल्वों, ट्रांजिस्टरों तथा डायोड पर प्रस्तावित शुल्क का रेडियो सेटों पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे वाल्व सेट हैं अथवा ट्रांजिस्टर सेट और साथ ही उनके निर्माण में काम में लिये गये इन पुर्जों की संख्या पर भी निर्भर करता है ।

Shri Rabi Ray : I want to know the difference in the extent of excise duty at present levied and levied previous to that ?

श्री मोरारजी देसाई : अधिकतम मूल्य वृद्धि वाल्व वाले सेटों पर 35 रुपये और ट्रांसिस्टर सेटों पर 28 रुपये होगी । 145 रुपये मूल्य के पांच वाल्व वाले सेट पर, 15 रुपये की वृद्धि होगी और 7 ट्रांसिस्टर तथा एक डायोड वाले ट्रांसिस्टर सेट पर केवल 8 रुपये बढ़ेंगे ।

Shri Rabi Ray : As people generally go in for radios worth Rs. 145/-, therefore, will the Hon. Minister consider giving some relief in the proposed increase of Rs. 15/- in its cost ?

Shri Morarji Desai : All aspects are considered. But, whether relief is possible or not would be announced at the time of Submitting the Finance Bill.

देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि अन्य देशों में ट्रांसिस्टर सेट 45-50 रुपये में मिल जाते हैं जबकि भारत में ऐसे सेट का न्यूनतम मूल्य 95 रुपये है ? क्या मूल्य में यह अन्तर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों में कारण नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : करों से मूल्य बढ़ते हैं किन्तु कर भी उतने ही आवश्यक हैं जितने ये सेट । संसार भर में कहीं भी इन सेटों का मूल्य 45-50 रुपये नहीं है । जापान, जहां सबसे सस्ते सेट मिलते हैं, वहां भी मूल्य 75 रुपये से कम नहीं है । मैं इतना ही कह सकता हूं ।

Satellite Townships Around Delhi

*1362. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the setting up of satellite townships around Delhi in accordance with the Delhi Master Plan during the past one year ;

(b) whether it is a fact that Haryana and Uttar Pradesh are not co-operating with the Central Government and Delhi Administration in this connection ;

(c) whether it is also a fact that certain private colonisers had sold several plots in the residential colonies in U. P. and Haryana adjacent to Delhi but the State Governments are not regularising them and money of several middle class people has become insecure as result thereof ; and

(d) if so, the steps taken by the Central Government for improving the situation ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के मास्टर प्लान में गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव, बहादुरगढ़, लोनी और नरेला के उप नगरों के विकास की सिफारिश की गई है । गाजियाबाद तथा फरीदाबाद की विकास योजनाएं पहले ही तैयार हो चुकी हैं और इन नगरों के विकास के मामले में काफी प्रगति हो चुकी है । नरेला की विकास योजना को शीघ्र ही प्रकाशित किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर विचार करने के पश्चात् तथा इन बस्तियों के कालोनाइजरों और/अथवा प्लाट होल्डरों द्वारा कतिपय आवश्यक अपेक्षाओं तथा औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् दोनों सरकारों ने ऐसी अनेक बस्तियों को नियमित कर दिया है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bal Raj Madhok : I want to know the reasons for not making any planned development of these satellite towns of Delhi and why all such work remained limited to Faridabad only ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह कागजी काम तो नहीं है। फरीदाबाद का विकास हो गया है। गाजियाबाद तथा अन्य उपनगरों का विकास हो रहा है।

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narain Sinha) : It is true that the progress that should have been made has not been made. We want that people coming from elsewhere should be stopped and people already living in these areas should be adequately settled. We shall endeavour to expedite progress of development in these townships.

Shri Bal Raj Madhok : In respect of a number of colonies in the adjoining areas of Delhi situated in U. P. and Haryana, it appears that the respective State Governments are not inclined to release land unless they get the share of profits accruing to the colonizers etc. As a result thereof, the plot holders are put to great financial loss and harassment. I want to know whether the Central Government propose to ask the State Government to release these lands by charging regional development charges from colonizers, for example if a 2-3 mile long road is constructed from Wazirabad bridge to Loni area a number of colonies can spring up but this is not being done for a number of years. I want to know the action taken in this regard if any.

Shri Satya Narayan Sinha : As far as I am aware no representation has been received against Haryana or U. P. Government. If some such thing happens or any specific case brought to our notice we would certainly take action thereon. This road has not been constructed so far but we would see that it is constructed as early as possible.

Shri D. N. Tiwary : Around Delhi and New Delhi, a number of houses have been constructed by people after purchasing land from private colonizers ? I want to know whether any compensation would be given to them if their constructions are demolished as per notices received by them to this effect ?

Shri Satya Narayan Sinha I have no such imformation. I would look into the matter if notice is given to me.

Shri Kanwar Lal Gupta : According to the Delhi Master Plan prepared in 1958 its population would be 45 crores in 1980, where its present population is 36 lakhs, but as the Hon. Minister, himself admitted very little progress has been made in developing satellite townships of the capital. In the meantime prices of land and rents have been sky-rocketting and the number of unauthorised constructions have swelled from 30,000 to one lakh. In the light of this, I want to know whether any phased development programme has been chalked out and if so, the extent of work proposed to be done by the end of next year ?

Shri Satya Narayan Sinha : It would not be feasible to fix any targets at present. I can only add that the rate of progress should be increased.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the programme of Government for the future ?

Shri Satya Narayan Sinha : Master Plan is there. If the Hon. Member has any suggestions in this regard, it would be welcome. The Hon. Member is well aware of the problem of forcible squatting and Jhuggis etc. In some respects we are helpless.

श्री समर गुह : पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों ने जो अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं, पुनर्वास के लिये भूमि की मांग की है। क्या सरकार ने उनके लिये कोई समुचित व्यवस्था की है ?

श्री ब० सु० मूर्ति : भूमि के लिये वे लोग अपने आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेज दें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि 1968-69 के लिये सरकार की विकास योजना क्या है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मास्टर प्लान तो है ही। 1968-69 के लिये विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार नहीं है। परन्तु हम प्रयास करेंगे कि जो भी संभव हो किया जाये।

Shri Molahu Prasad : Shantis are being demolished on the one hand and on the other air-conditioned buildings are coming up. Whether Government propose to nationalise Urban land and build cheap houses to solve this problem ? If so, the details thereof ?

Shri Satya Narayan Sinha : This does not arise out of this question.

Shri Shashibhushan Bajpai : Poor employees in Delhi have given as much as to crore rupees to colonizers for plots in colonies around Delhi. But they, in turn providing full amenities to them, there are attempts at cheating and swindling on the part of colonizers? May I know whether Government are prepared to conduct an enquiry in such cases ?

Shri Satya Narayan Sinha : If such a thing happened, we would certainly do so.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether the Hon. Minister is aware of the large scale swindling by a number of colonizers to the tune of lakhs of rupees of lower middle people and if so, whether this would be enquired into ?

Shri Satya Narayan Sinha : This case is there before us. It would be enquired into and action would be taken on the outcome thereof.

Shri Prem Chand Verma : The land, in and around Delhi, acquired by D. D. A. has neither been developed nor put to any other good use. I want to know whether Government propose to return such land to farmers ?

Shri Satya Narayan Sinha : I want notice for this.

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं जानना चाहता हूं कि मास्टर प्लान, कहां तक पूरा किया जा चुका है। अनधिकृत मकानों का क्या होगा जो निरन्तर बनते जा रहे हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जैसा मैंने पहले कहा मास्टर प्लान का ब्योरा तैयार नहीं हुआ है। हां, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि गत दस वर्ष में इस पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है।

Damage Due to Floods in Delhi

*1366. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the extent of loss suffered in Delhi due to floods during the last two years ;

(b) the steps taken by Government to avoid such losses in future ; and

(c) the schemes prepared by Government for flood control during the next three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The flood damage in Delhi in 1966 and 1967 was estimated to be Rs. 20 lakhs and Rs. 154 lakhs respectively.

(b) and (c). Remodelling of the Najafgarh Drain to carry 3,000 cusecs has been completed in the city limits. Work on providing a capacity of 3,000 cusecs between the Dhasa regulator and Kakraula regulator is in progress and is expected to be completed by 1969-70.

Improvements are also being carried out to the drainage systems in Kanjhawala and Alipore blocks and these are expected to be completed in all respects by 1969-70. The flood protection bunds along the Yamuna are being strengthened wherever necessary. It is also proposed, if resources permit, to start work on regrading and lining of Najafgarh Drain within the city limits to increase its capacity to about 5,000 cusecs ; take up schemes for the drainage of Shahdara area, as also the construction of the Sahibi flood control and irrigation Dam in Rajasthan in order to moderate the inflow into Dhasa bund.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, Last year Delhi suffered a loss of nearly seven and a half crore of rupees due to floods. So is the case after floods each year. Each year we hear stories of this and that being done. But floods come each year and play havoc in villages. Whether it is a fact that targets fixed for 1967-68 have not been achieved so far. I want to know the details about them and the reasons for not achieving them. Secondly, the targets fixed for the next year?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यह ठीक है कि दिल्ली में बाढ़ से $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की क्षति हुई और यह भी सही है कि दिल्ली में बिलकुल कोई क्षति न हो यह भी सम्भव नहीं है। दिल्ली में बाढ़ समस्या हल करने के सभी उपाय किये जा रहे हैं। इस वर्ष अर्थात, 1968-69 में नजफगढ़ नाले की क्षमता आखिर तक 3,000 'क्युसेक' करने की है। साथ ही कंझावाला और अलीपुर खण्डों में इसकी तंगी को दूर किया जायेगा। आगामी 3 वर्ष में हमारी योजना शाहदरा खण्ड में कार्य करने और नजफगढ़ में साहिबी नदी पर बांध बनाने का है।

श्री कंवर लाल गुप्त : 1967 का क्या लक्ष्य था और क्या यह सच है कि इसे पूरा नहीं किया जा सका?

डा० कु० ल० राव : लक्ष्य नजफगढ़ नाले को इतना चौड़ा करना है कि इसकी क्षमता 3,000 क्युसेक की हो जाये। यह एक ही वर्ष का लक्ष्य नहीं है। मेरे विचार से दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्य भलीभांति हो रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the extent of total loss due to floods and when it would be possible to have complete control over floods in Delhi?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली में क्योंकि ग्रामीण इलाका काफी है, इसलिए मुख्यतः क्षति फसलों के कारण होती है। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ पर शतप्रतिशत नियंत्रण हो जायेगा। इसके लिए तो काफी काम और धन की आवश्यकता है—6-10 करोड़ रुपये की। फिर भी चौथी योजना में जो प्रावधान रखा जा रहा है उससे बाढ़ से दिल्ली को काफी सीमा तक बचाया जा सकेगा। आशा है चौथी योजना के अन्त तक दिल्ली को बाढ़ से काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

Shri Shiv Kumar Shastri: May I know whether the border areas of Punjab and U. P. close to Delhi like Bulandshahr, Ghaziabad and Gurgaon would also be covered by these flood control measures ?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली पर राजधानी होने के नाते अधिक ध्यान देना आवश्यक है। फिर हम चाहते हैं कि राज्यप्राधिकार हमें योजनाएं बनाकर भेजे ताकि हम उन्हें क्रियान्वित कर सकें।

Shri Gunanand Thakur: I want to know whether any steps are proposed to be taken to protect the life and property lost each year due to floods amounting to crores of rupees by taking flood control measures as in the case of Delhi.

डा० कु० ल० राव : धन की उपलब्धि के अनुपात में हम ये उपाय करते रहे हैं और चौथी योजना में भी करते रहेंगे।

श्री अमृत नहाटा : जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आती है, देश के कुछ अन्य भागों में लोग प्यासे मर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये फालतू पानी उन क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है या नहीं ?

डा० कु० ल० राव : यदि वे इलाके ऊंचे हों तो ऐसा नहीं हो सकता किन्तु यदि वे इलाके नीचे के हों तो ऐसा सम्भव है।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली में यदि जल-निकासी प्रबन्ध ठीक हो, जमुना को और गहरा किया जाये और बाढ़ के पानी को नजफगढ़ झील में इकट्ठा किया जाये तो दिल्ली में बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है। मंत्री महोदय इनके सम्बन्ध में क्या कहते हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि दिल्ली में समस्या नालों में जल की निकासी में रुकावट पैदा होने से उत्पन्न होती है। इसके लिए हम इन नालों की निकासी की क्षमता में यथासम्भव सुधार करने में प्रयत्नशील हैं। हरियाणा तथा राजस्थान से आने वाले नजफगढ़ मंगलाई, मंगेश्वर तथा बवाना नालों को और चौड़ा किया जा रहा है ताकि ये अधिक जल जमुना में पहुंचा सकें। जमुना को गहरा करने की सम्भावनाओं पर अभी विचार नहीं किया गया। इस दिशा में प्रयत्न किया जाएगा। हां, यह सच है कि जमुना के कम गहरा होने के कारण शाहदरा और अलीपुर क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।

जहां तक नजफगढ़ झील का सम्बन्ध है, काश, हम इस क्षेत्र में पानी पर काबू पा सकते। वास्तव में धस्सा बांध बना कर हमने सिरदर्द मोल ले लिया है प्रत्येक वर्ष हरियाणा और दिल्ली में इस कारण कठिनाइयां पैदा होती हैं। पानी जमा करने के लिये प्लान होना आवश्यक है, इसी कारण नजफगढ़ क्षेत्र में पानी जमा करना सम्भव नहीं है।

Excise Duty on Steel Furniture and Hospital Equipment

*1368. **Shri Hardayal Devgun**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Small Scale Furniture Manufacturers Association, Delhi, have sent a Memorandum protesting against imposition of 20 per cent excise duty on steel furniture and hospital equipment as proposed in this year's budget;

(b) whether it is also a fact that the Association have demanded its withdrawal on the plea that small units engaged in manufacturing steel furniture and hospital equipment would be completely ruined; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the decision taken by Government in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). It is a fact that a representation has been received from the Small Scale Steel Furniture Manufacturers' Association, Delhi against the imposition of excise duty on steel furniture including hospital furniture. The various grounds urged therein for exempting steel furniture manufactured by the small scale units are under examination.

Shri Hardayal Devgun: May I know whether Government propose to exempt hospital equipment manufacturing industry form excise duty in view of the fact that it is a new industry and that it is engaged in gaining foreign exchange and rendering very useful service?

Shri Morarji Desai: They are not engaged in manufacturing hospital furniture only. Duty has been imposed on furniture only. All aspects are considered. It is also not a fact that such furniture was exported.

Shri Hardayal Devgun: May I know whether it is a fact that the Minister had given an assurance that as such industries are not there in Organised Sector, therefore they would be exempted from taxation. If so, the definition of such industries?

Shri Morarji Desai: I did not give any assurance. I only said that it is under consideration and it is being considered in fact.

श्री लोबो प्रभु: लकड़ी की कमी और इस्पात के बाहुल्य को देखते हुए क्या सरकार इस्पात का फर्नीचर अधिक बनाने और लकड़ी का फर्नीचर कम से कम बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित करों में ढील देने पर विचार करेगी?

श्री मोरारजी देसाई: फर्नीचर के लिए आवश्यक इस्पात लकड़ी से भी अधिक दुर्लभ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Dishonouring of Travellers' Cheques Held by Indians in Foreign Countries

*1347. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Travellers' Cheques of Indian travellers have also been dishonoured in France; as has been done in the case of American Travellers' cheques, due to world-wide Gold crisis in March, 1968; and

(b) if so, the manner in which Indian Embassies helped the Indian Travellers wherever such a situation arose?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):
(a) No such case was reported to our Embassy in Paris.

(b) Does not arise

'लूप' का बेकार होना

*1348. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्भ-निरोधक सामग्री के, जिनमें लूप भी शामिल है, बेकार रहने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाने तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई नई योजनाएं सोची हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । फिर भी गर्भ-निरोधक साधनों का, जिनमें लूप भी शामिल है, असफल हो जाना स्वयं साधनों को एक स्वाभाविक कमी है । भारत में लूप सम्बन्धी इन असफलताओं का स्वरूप और प्रतिशतता विश्व के अन्य देशों में हुई असफलताओं से अधिक भिन्न नहीं है ।

(ख) परिवार नियोजन सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार 'केफेटेरिया' पद्धति का प्रचार करती है । जिन दम्पतियों के दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं, उन्हें नसबन्दी कराने की सलाह दी जाती है और अन्य गर्भ-निरोधकों के प्रयोग की सलाह दो या दो से कम बच्चों वाले दम्पतियों को, बच्चों में समयान्तर रखने के लिये, दी जाती है ।

वातानुकूलन तथा शीतीकरण उपकरणों पर उत्पादन शुल्क

*1351. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वातानुकूलन तथा शीतीकरण परिषद की 8 मार्च, 1968 को नई दिल्ली में हुई पन्द्रहवीं वार्षिक आम बैठक में शिकायतें की गई थीं कि इस उद्योग के उत्पादों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क हाल में जो वृद्धि की गई है वह अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या मांगें की गई थीं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एयर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन कौंसिल आफ इण्डिया के 8 मार्च, 1968 को नई दिल्ली में हुए पन्द्रहवें वार्षिक सामान्य सम्मेलन में, उक्त उद्योग के उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क में वृद्धि करने के खिलाफ यदि कोई शिकायतें की गयी हैं तो वित्त मंत्रालय को उनके बारे में पता नहीं है ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) में बतायी गई बात के कारण यह प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*1352. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध के बारे में हाल में प्रकाशित प्रशासनिक आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय का ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग की "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" सम्बन्धी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर अभी सरकार विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय आय

*1353. **श्री अम्बचेजियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली दो योजनाओं में राष्ट्रीय आय के वितरण का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गयी समिति को एक विचारार्थ-विषय पर अभी प्रतिवेदन देना बाकी है ;

(ख) क्या पिछला प्रतिवेदन दिये जाने के बाद समिति की कोई बैठक कभी हुई है ; और

(ग) देश में आयोजना से सम्बन्धित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सरकार समिति की रिपोर्ट के भाग 2 की प्रतीक्षा कर रही है।

अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद

*1354. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र के बीच अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद को सुलझाने में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सम्बद्ध मुख्य मन्त्रियों को लिखा जा रहा है कि व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का शीघ्र निपटारा बहुत जरूरी है।

राज्यों को ऋण

*1356. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितना ऋण दिया गया, कितनी राशि वसूल की गयी और अब कितनी राशि बकाया है ;

(ख) उसके वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) उसे वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या भविष्य में सीमा-शुल्क तथा आय-कर आदि के राज्यों के हिस्से में उन ऋणों का समायोजन करने का कोई विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए चार वर्षों में राज्य-सरकारों को दिये गये और उनके द्वारा चुकाये गये ऋणों तथा उनके द्वारा उस तारीख से पहले चुकायी जाने योग्य, पर उस तारीख तक चुकायी न गयी रकमों का विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-967/68] पिछले वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). वापसी न किये जाने के मामलों पर जम्मू और काश्मीर, मद्रास और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ बातचीत की गई थी। उन्होंने अपनी बकाया रकमों के परिशोधन के सम्बन्ध में किसी न किसी रूप में राहत मांगी।

(घ) इसका भी विचार किया जाता है, पर, जहां तक सम्भव होता है, इससे बचने की कोशिश की जाती है।

बिजली पैदा करने का जापानी तरीका

*1358. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल परियोजनाओं के जापानी तरीके से 13 से 15 फुट की ऊंचाई से गिरने वाले पानी से बिजली पैदा की जाती है ;

(ख) क्या यह तरीका कम खर्च वाला है ;

(ग) देश में विशेषतया बिहार में कितने स्थानों पर ऐसी योजनायें इस समय चल रही है ; और

(घ) क्या सभी बारह-मासी नदियों तथा नहरों में ऐसी योजनायें क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-968/68]

दिल्ली में से अनधिवासियों को हटाने के काम का स्थगित किया जाना

*1359. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री वृज भूषण लाल :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बसे हुए लोगों को हटाने का काम बन्द कर दिया है अथवा कुछ दिन के लिये स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में सरकार को दिल्ली प्रशासन से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत सफाई का कार्य अस्थाई रूप से निलम्बित कर दिया है । वर्तमान अनधिवास के स्थान से अनधिवासियों को हटाने से पूर्व जिस स्थान पर वे भेजे गये हैं उस स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं का एक छोटी समिति के द्वारा निरीक्षण करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन का प्रभाव

*1363. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौंड के अवमूल्यन से पहले कितने, किस प्रकार के और कितने मूल्य के सौदे किये गये थे तथा इन सौदों पर तथा सामान्य रूप से व्यापार पर पौंड के अवमूल्यन का कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) पौंड के अवमूल्यन के बाद निर्यातकों को पौण्ड के अवमूल्यन के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ब्रिटेन से प्राप्त न हुए ऋणों के रूप में, वचनबद्ध लेन देनों की रकम लगभग 4.70 करोड़ पौंड थी । जब यह सहायता प्राप्त होगी तब रुपयों के रूप में इसका मूल्य, पौंड-स्टर्लिंग का अवमूल्यन न होने की स्थिति में मिलने वाली सहायता के मूल्य से कम होगा ; लेकिन चूंकि इस सहायता की रकम से की जाने वाली खरीद ब्रिटेन से ही की जानी है, इसलिए इसके स्टर्लिंग मूल्य पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां तक भारत के ऋण-परिशोधन सम्बन्धी दायित्व का सम्बन्ध है, जो 24.5 करोड़ पौंड का है, पौंड-स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इसमें कमी हो गयी है । उस समय के आयात और निर्यात के उन सौदों के बारे में, जिनमें कीमतों का उल्लेख पौंड-स्टर्लिंग में किया गया होगा—चाहे वे सौदे किसी भी देश से किए गए हों, भारत के आयातकों और निर्यातकों को, उन मामलों को छोड़कर, जिनसे सम्बन्धित करार पौंड-स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामों को देखते हुए संशोधित कर दिये गये थे, लाभ या हानि हुई होगी । आयात और निर्यात के सौदों के, उन करेंसियों से, जिनमें उनकी कीमतों का उल्लेख किया जाता है और उनमें समय-समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों से सम्बन्धित, आंकड़े नहीं रखे जाते, इसलिए उस समय विद्यमान सौदों की संख्या, स्वरूप और मूल्य के बारे में या आयातकों और निर्यातकों को हुए लाभ या हानि के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

मलेरिया उन्मूलन के बारे में पाकिस्तान से बातचीत

*1364. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, के बारे में बातचीत करने के लिए बोंगांव में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की 27 मार्च, 1968 को एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस बैठक के मुख्य-मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं :

1. आपसी समस्याओं को समझने तथा तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सामयिक बैठकें होनी चाहिए।
2. दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के परजीवी अनुकूल मामलों सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान का कोई आसान और द्रुत तरीका होना चाहिए।
3. भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के एन्क्लैवों के चारों ओर मच्छर अवरोधकों का छिड़काव जारी रखा जाना चाहिए।

(ग) बैठक में किए गये निर्णय दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं।

Mosquito Menace

*1365. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mosquito menace has increased enormously in Delhi this year ;

(b) if so, whether Government have decided to launch a campaign taking preventive measures against the outbreak of diseases due to mosquitoes ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Singh): (a) Yes, Sir, there has been an increase in mosquitoes this year.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

औद्योगिक कर्मचारी गृह-निर्माण योजना

*1367. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कानपुर तथा अन्य नगरों में औद्योगिक कर्मचारी गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत कुछ और मकानों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये विभिन्न राज्यों को राज-सहायता के रूप में कितनी धनराशि दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना एक अनवरत योजना है तथा इसके अन्तर्गत मकान निम्नांकित एजेंसियों के द्वारा जिन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिलती है, उनके सामने लिखे गए मान के अनुसार, बनाए जा सकते हैं :

एजेंसी	ऋण	सहायता
1. राज्य सरकारें, स्टेचुटरी हाउसिंग बोर्ड्स तथा नगर पालिका/निकाय।	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2. पात्र कर्मचारियों की रजिस्टर्ड को-अपरेटिव सोसाइटियां।	65 प्रतिशत	25 प्रतिशत
3. उद्योग मालिक	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

ये एजेंसियां औद्योगिक कर्मचारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के बाद निर्माण की परियोजनाएं बनाती हैं तथा फिर स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों को प्रस्तुत करती हैं। उनके द्वारा अथवा अपने राज्यों में अन्य निर्माण एजेंसियों के द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। राज्य सरकारों को औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत किए गये खर्चे को घ्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता दी जाती है।

चौथी योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पुरानी चौथी योजना के प्रारूप में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए अस्थाई तौर पर 34.00 करोड़ रुपया नियत किया गया था जिसमें 50 प्रतिशत ऋण था तथा 50 प्रतिशत सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार का विचार है कि 1968-69 के दौरान कानपुर में लगभग 30 लाख रुपये की लागत से 468 टैनमेंटों के निर्माण की स्वीकृति दी जाये।

सोडाबाइकार्बोनेट बनाने वाला कारखाना

*1369. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में एक ऐसे कारखाने की, जिसमें केवल 22,000 रुपये की पंजी लगी हुई है, 1100 टन सोडा बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हाल में लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

डायर मीकिन-मोहन उद्योग समूह द्वारा करापवंचन

1370. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1954 से मार्च, 1968 की अवधि में डायर मीकिन-मोहन उद्योग समूह द्वारा कर की भारी राशि का अपवंचन किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का अपवंचन किया गया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) डायर मीकिन-मोहन उद्योग समूह द्वारा कर की भारी रकम का अपवंचन किए जाने का कोई मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी (पूना) में विटामिन "सी" का उत्पादन

*1371. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिम्परी स्थित हिन्दुस्तान ऐण्टीबायोटिक्स लिमिटेड को विटामिन "सी" बनाने के लिए एक कारखाना बनाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस तारीख तक बनकर तैयार हो जायेगा तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ; और

(ग) इस कारखाने के पूरा होने पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत आय होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं । प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) तमाम सरकारी मंजूरियां दिये जाने की तिथि से, दो वर्षों के अन्दर परियोजना के पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत 45 लाख रुपये होगी ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा चुंगी लगाये जाने का दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव

*1372. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली में चुंगी लगाने के दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). चुंगी की दरों में जो परिवर्तन किये गये हैं वे उप राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से किये गये हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत दरों में परिवर्तन करने के अधिकार दिये गये हैं । दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गयी सूचना से पता चलता है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई खास वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है ।

पिछड़े वर्गों का प्रतिवेदन

*1373. **श्री क० नारायण राव :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्गों के प्रतिवेदन के साथ दिये गये ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने और आगे छानबीन की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने कोई तदर्थ सर्वेक्षण किया था जैसा कि ज्ञापन में प्रत्याशित है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के 1960-61 के प्रतिवेदन के भाग I, अनुभाग XXII (पृष्ठ 317 और 318), तथा भाग II के परिशिष्ट LXI (पृष्ठ 336-337) में बताई गई स्थिति की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

Failure of Irrigation Projects in Kargil and Leh

*1374. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have spent lakhs of rupees on Kurba Thanh Canal Project in Kargil and Ranbirpur Canal Project in Leh but still they have not been successful in feeding water to the canals for irrigation purposes;

(b) whether Government have enquired into the causes of the failure of these projects;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether it is proposed to start work on these two projects again during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No expenditure except to the extent required for surveys, preparation of project etc., has been incurred on the Kurba Thanh Canal Project in Kargil. The project is yet to be taken up for construction. It is stated that on Ranbirpur Canal Project, some expenditure was incurred but the project proved defective.

(b) The causes for failure of Ranbirpur Canal are under enquiry.

(c) Does not arise.

(d) Kurba Thanh Canal Project is being included in the Fourth Five Year Plan.

भारतीय तेल निगम के अधिकारी

*1375. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय तेल निगम के कुछ अधिकारी विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि लगभग 2000 रुपये पाने वाले वे अधिकारी किस प्रकार 4000 रुपये प्रतिमास व्यय कर सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यह भी पता लगाया है कि इस प्रकार का विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद भी ये अधिकारी किस प्रकार बड़ी राशि बचा लेते हैं ;

(घ) उनकी छिपी हुई आय के साधन क्या हैं ; और

(ङ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज

*1376. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गार्डिलिगन गौड :**
श्री रमानी : **श्री शिवप्पा :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के लिए अमरीकी तेल सार्थों के साथ की जा रही बातचीत इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस अमरीकी सार्थ का नाम क्या है ;

(ग) क्या अन्य सार्थों अथवा देशों के साथ भी कोई बातचीत अन्तिमरूप में की गई है और यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उन सार्थों तथा देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसी कोई बातचीत नहीं की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

7918. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1957 से वर्षवार तथा योजनावार उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सहायता प्राप्त और केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-969/68]

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें

7919. **श्री वें० बा० तारोड़कर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य के विशेष संदर्भ में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं का ब्योरा क्या है जिनको केन्द्रीय सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 35 बड़ी सिंचाई स्कीमें और 112 मंझली सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये पड़ी हैं। इनमें से 10 बड़ी और 23 मंझली स्कीमें महाराष्ट्र राज्य की हैं जिनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-970/68]

विदेशी ऋण

7920. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा में लौटाई जाने वाली देशवार विदेशी ऋण की राशि 31 दिसम्बर, 1967 को कितनी थी ;

(ख) वस्तुओं का निर्यात करके लौटायी जाने वाली देशवार ऋण की राशि 31 दिसम्बर, 1967 को कितनी थी ;

(ग) रुपयों में लौटायी जाने वाली देशवार ऋण की राशि 31 दिसम्बर, 1967 को कितनी थी ; और

(घ) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में देशवार कितना ऋण मिलने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों से लिये गये और बकाया पड़े हुए तीनों प्रकार के ऋणों की रकमें 31 दिसम्बर, 1967 को कितनी थीं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-971/68]

(घ) इस तरह का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा अनुमान बहुत सी बातों जैसे सम्बन्धित सरकारों के फैसलों और सहायता निधियों के लिये किये जाने वाले वैधानिक विनियोगों पर निर्भर होगा।

मकानों की कमी

7921. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1967 को नगरीय क्षेत्रों में 1 करोड़ 50 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ मकानों की कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो आवास मंत्रियों के 8 नवम्बर, 1967 को हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों को 31 जनवरी, 1968 तक तत्काल क्रियान्वित किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1967 के अन्त में शहरी क्षेत्र में 11.8 मिलियन यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69.6 मिलियन यूनिट की आवासीय कमी अनुमानित की गयी है ।

(ख) और (ग). सम्मेलन ने आवास के सम्बन्ध में 31 सिफारिशें की हैं । इनमें से 11 मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उनके पास दिसम्बर, 1967 में भेज दिया गया था । शेष सिफारिशों में से 9 सिफारिशों पर निर्णय ले लिया गया है तथा आवश्यकतानुसार सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं । शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

भारतीय दलित वर्ग लीग

7922. **श्री नम्बियार** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दलित वर्ग लीग को देश में अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसका ठीक तरह उपयोग नहीं किया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके प्रधान सिनेमा गाड़ी को अपने निजी कार्य के लिये इस्तेमाल करते हैं और कर्मचारियों को अपने स्वयं के कर्मचारियों के रूप में उनके निवास-स्थान पर रखा जाता है और सभी वेतन रसीदें इस लीग के खाते में जाली भरी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी अनुदानों का दुरुपयोग न होने देने के बारे में कोई जांच की जायेगी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नवीनतम-प्राप्य लेखा निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-** 972/68]

(ख) इस प्रकार की विशेष शिकायत सरकार के सामने नहीं आई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Hospitals/Maternity Centres in Bulandshahr District Villages

7923. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of such villages in Bulandshahr District as are having population of 3,000 or more and are having Government hospital and maternity centre ;

(b) the number of those villages where such hospitals and maternity centres have not been opened so far ;

(c) whether Government have also received applications from some people in regard thereto ; and

(d) if so, the reasons for which action has not been taken thereon and hospitals have not been opened in the remaining villages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The information is not readily available.

उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में बिजली विभाग में बिजली के तार का बदलना

7924. **श्री राम चरण :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में बिजली विभाग में तांबे के तार के स्थान पर एल्यूमिनियम का तार लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितने मीटर तांबे के तार के स्थान पर एल्यूमिनियम का तार लगाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तांबे के इस तार को कुछ सरकारी अधिकारियों ने गैर-कानूनी ढंग से बेच दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तांबे के इस तार का हिसाब-किताब कैसे दिखाया गया है और किस तारीख को उसका नीलाम किया गया था और नीलाम से प्राप्त राशियां सरकारी खाते में कब जमा की गई थीं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी हां।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान 21,208 मीटर लम्बे तांबे के कन्डक्टरों की जगह एल्यूमीनियम के बने कन्डक्टर लगा दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उतारे गये तांबे के कन्डक्टरों को स्टाक में ले लिया गया है। तांबे की तार नीलाम नहीं की गई है।

1968-69 के आय-व्ययक में सिगारों पर उत्पादन शुल्क की वृद्धि

7925. **श्री मुरासोली मारन :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान बजट प्रस्तावों के कारण उन सिगारों पर जिनका

मूल्य 151 रुपये प्रति 1000 सिगार है 182.50 रुपये का केन्द्रीय उत्पादन केवल शुल्क है जब कि उन सिगारों पर जिनका मूल्य 150 रुपये या इससे कम है 60.84 रुपये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन सिगारों पर जिनका मूल्य 51 रुपये प्रति 1000 सिगार है केवल शुल्क 60.84 रुपये है जबकि उन सिगारों पर जिनका मूल्य प्रति 1000 सिगार 50 रुपये या इससे कम है केवल शुल्क 141.84 रुपये है ;

(ग) क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उपरोक्त दोनों मामलों में शुल्क मूल्य से भी अधिक है और शुल्क को शामिल करके मूल्य दुगुने या इससे भी अधिक हो जाते हैं, सरकार इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करना चाहती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). वर्तमान बजट प्रस्तावों (1968-69) में सिगार तथा चुरट पर शुल्क की दरों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसलिए इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सिगार तथा चुरट पर शुल्क की वर्तमान लागू दरें, जो बजट से पहले भी वर्तमान थीं, नीचे दी गई हैं :

विवरण	दर —— मूल	विशेष	अतिरिक्त	कुल
	(रु० प्रति 100 सिगार तथा चुरट)			
सिगार तथा चुरट जिनका मूल्य 100 नग का 25 रु० से अधिक है	20.00	मूल शुल्क का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत	3.75	30.42
100 नग का 15 रु० से अधिक है किन्तु 25 रु० से अधिक नहीं है	12.00	यथोपरि	2.25	18.25
100 नग का 5 रु० से अधिक है किन्तु 15 रु० से अधिक नहीं है	4.00	यथोपरि	0.75	6.08
100 नग का 2.50 रु० से अधिक है किन्तु 5 रु० से अधिक नहीं है	1.00	यथोपरि	0.15	1.48

उपर्युक्त मूल्यों तथा शुल्क की दरों के आधार पर प्रति 1000 सिगारों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार होगी :

विवरण	दर — मूल	विशेष	अतिरिक्त	जोड़
	(रु० प्रति 1000 सिगार तथा चुरट)			
सिगार तथा चुरट जिनका मूल्य 100 नग का, 25 रु० से अधिक है	200.00	मूल शुल्क का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत	37.50	304.17
100 नग का 15 रु० से अधिक है किन्तु 25 रु० से अधिक नहीं है	120.00	यथोपरि	22.50	182.50
100 नग का 5 रु० से अधिक है किन्तु 15 रु० से अधिक नहीं है	40.00	यथोपरि	7.50	60.83
100 नग का 2.50 रु० से अधिक है किन्तु 5 रु० से अधिक नहीं है	10.00	यथोपरि	1.50	14.83

Village Housing Projects Schemes

7926. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 832 on the 25th March, 1968 and state :

(a) the number of villages in which the work was taken up and completed in the country under the Village Housing Projects Scheme last year and the number of those constructed State-wise ;

(b) whether these houses have been allotted to farm labourers also ; and

(c) if so, the State-wise number thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). The information is being collected from the State Governments and Union Territories and it will be laid on the Table of the House when received.

Rural Electrification in Rajasthan

7927. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Rajasthan Government formulated any special scheme for providing electricity in villages by the 31st March, 1969 ;

(b) if so, the details thereof;

(c) the estimated amount of expenditure to be incurred thereon and the number of villages in which electricity is likely to be provided by 1969; and

(d) the nature of assistance proposed to be given by the Centtral Government for the said scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d). No Special scheme has been received from the Government of Rajasthan for providing electricity in villages in that State by the 31st. March, 1969. Since the beginning of 1966-67, Central assistance is being provided to States for rural electrification schemes formulated with a bias towards energisation of pumpsets. For 1968-69, a target of energisation of 3000 irrigation pumping sets and 700 villages has been tentatively fixed. The allocation of Central assistance for taking up this programme will be decided after the quantum of overall Central assistance for the State Plan is finalised.

आयकर की बकाया राशि

7928. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा देय आय-कर की इस समय कितनी-कितनी राशि बकाया है ;

(एक) भारत कला भण्डार लिमिटेड ;

(दो) बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड ;

(तीन) सी० एण्ड ई० मार्टन इण्डिया लिमिटेड ;

(चार) ईस्टर्न इण्डिया सर्विसिज एण्ड मार्किटिंग कम्पनी लिमिटेड ;

(पांच) ग्वालियर वैविंग, कम्पनी लिमिटेड ;

(छः) हैदराबाद एजेंसीज लिमिटेड ;

(सात) इन्डस्ट्री हाउस लिमिटेड ;

(आठ) ओरियेन्ट पेपर मिल्स ; और

(नौ) ओरियेन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ;

(ख) क्या उन कम्पनियों द्वारा किया गया आय-कर अपवंचन का कोई मामला पकड़ा गया है ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कठोर कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

कुछ कम्पनियों की ओर आय-कर की बकाया राशि

7929. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन कम्पनियों की ओर, अर्थात् (एक) बिन्नी एण्ड कम्पनी, (दो) बिन्नीस इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, (तीन) बकिंघम एण्ड कर्नाटक कम्पनी लिमिटेड और (चार) गियोवनोलाबिन्नी लिमिटेड की ओर इस समय आय-कर तथा अन्य करों की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की ब्याज दर कम की जाने की मांग

7930. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने कमर्शियल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों पर ब्याज की दर कम करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ की मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के इकतालीसवें वार्षिक अधिवेशन में पास किये गये संकल्पों में से एक संकल्प का आशय यह है कि बैंक दर में हाल में की नई कमी, निवेश सम्बन्धी गतिविधि को तभी बढ़ावा दे सकती है, जबकि वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्याज की उन दरों को कम करें, जिन पर वे ऋण देती हैं।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने अधिकतर अग्रिमों के सम्बन्ध में ऋण देने की दरों में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी पहले ही कर दी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक ऋणों और छोटे पैमाने के एककों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित के रूप में दी जाने वाली सहायता की रकमों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर में भी $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी कर दी है। जहां तक उन प्रत्यक्ष ऋणों के ब्याज की दर का सम्बन्ध है, जो दरमियानी और लम्बी अवधि के ऋणों की व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाते हैं, उनके द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकारी उपक्रमों के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ की मांग

7931. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ ने एक संकल्प में सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन में आमूल सुधार करने की मांग की है, ताकि वे पर्याप्त लाभ कमा सकें और सरकारी कोष में वृद्धि कर सकें, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे ते सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ की समिति द्वारा मार्च-अप्रैल, 1968 में हुए वार्षिक अधिवेशन के विचारार्थ अन्तिम रूप से मंजूर किये गये संकल्पों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सरकारी उपक्रमों के संचालन में बुनियादी रूप से सुधार किया जाना चाहिए ताकि वे पर्याप्त अधिशेष अर्जित कर सकें और सरकारी कोष में अंशदान दे सकें ।

(ख) सरकारी उपक्रमों के काम और उनकी लाभ-क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, इन उपक्रमों के काम पर लगातार नजर रखी जाती है ।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने

7932. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित अनेक उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां और वे सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे ; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल की दृष्टि से प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय के ढांचे का पुनर्गठन

7933. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय के ढांचे के हाल के पुनर्गठन के बारे में जुलाई, 1967 में परिचालित किये गये विभागीय नोट के अनुसार अनुसंधान यूनिटों को, जिनमें अनुसंधान अधिकारी और ईन्वेस्टीगेटर शामिल है, समय-समय पर आयुक्त द्वारा चुनी गई महत्वपूर्ण समस्याओं का स्वतंत्र रूप से गहराई में जाकर अध्ययन करने के लिए मुख्यालय से बाहर ले जाने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए गठित किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो इन अनुसंधान यूनिटों द्वारा उनकी विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के साथ-साथ एक शिकायत जांच संगठन तथा समूचे देश में शिकायत दूर करने की सूचना संगठन के रूप में काम किये जाने की कैसे आशा की जाती है ; और

(ग) बनाई जा चुकी अनुसंधान यूनिटों के कृत्य शक्तियां और कार्यप्रणाली का ब्योरा क्या है तथा उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) अनुसंधान यूनिटों तथा अन्य कर्मचारियों का समय-समय पर अपने स्वविवेक के अनुसार उपयोग करने का आयुक्त को जो अधिकारी है, उसमें कमी करना विभागीय नोट का आशय नहीं था ।

(ख) "कम्पलायैन्स रिपोर्टिंग सिस्टम" का महत्व साफ नहीं है। तो भी, अनुसंधान यूनिटों के अतिरिक्त आयुक्त महोदय आवश्यकतानुसार निम्नवर्णित एजेन्सियों का उपयोग करते रहे हैं :

(i) राज्यों में आदिम जातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ।

(ii) विश्वविद्यालयों के सामाजिक विज्ञान विभाग ।

(iii) सामाजिकी-अनुसंधान सम्बन्धी अन्य संस्थान ।

(iv) पिछड़ा वर्ग कल्याण के महानिदेशक का संगठन ।

(ग) इन्हें आयुक्त द्वारा निश्चित किया जाता है और समय-समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है । तो भी, अनुसंधान यूनिटों का मुख्य कार्य यह है कि ये आयुक्त को उनकी संवैधाधानिक जिम्मेदारियां पूरी करने में सहायता दें ।

5 यूनिटें हैं ; प्रत्येक में कर्मचारिगण इस प्रकार हैं :

अनुसंधान अधिकारी	1
इंवैस्टीगेटर	2
स्टैनो-टाइपिस्ट	1
निम्न श्रेणी लिपिक	1
दफ्तरी/चपरासी	पांचों यूनिटों के लिए 3 दफ्तरी और दो चपरासी

एक रुपये के नये नोट

7934. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रुपए के नए नोट हाल में जारी किए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो समय-समय पर नए नोट जारी करने की प्रणाली किस कसौटी पर आधारित की जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक रुपए के नोट, इन नोटों की आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से छापे और जारी किये जाते हैं। इस आवश्यकता में चलन के लिए उपयुक्त न होने के कारण वापस लिए गए नोटों के बदले जारी किए जाने वाले, नए नोटों की आवश्यकता भी शामिल है। इन नोटों पर वित्त मंत्रालय के अर्थ-विभाग के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जब इस पद का अधिकारी बदल जाता है, तब इन नोटों की नयी श्रृंखला जारी की जाती है। तदनुसार वित्त मंत्रालय के विशेष सचिव के हस्ताक्षरों वाले नोटों की नयी श्रृंखला जल्दी ही जारी की जाएगी। नोटों की संख्या और हस्ताक्षर को छोड़कर, इनका डिजाइन इस समय चल रहे नोटों के डिजाइन जैसा ही रहेगा।

वित्त आयोग

7935. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए वित्त आयोग ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) उस आयोग की अब तक कितनी बार बैठक हुई है ?

(ग) क्या उस आयोग के कार्यों के बारे में केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया कोई सुझाव आयोग के अध्यक्ष को मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग ने साक्ष्य लेने के लिए या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए अभी तक नियमित रूप से कोई बैंठक नहीं बुलाई है। लेकिन आन्तरिक रूप से आयोग की कई बैठकें हो चुकी हैं, और आयोग के सदस्य छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रायः प्रतिदिन अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में केन्द्रीय सरकार की इमारतें

7936. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार की कितनी इमारतों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं ;

(ख) केरल में केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालय किराए की इमारतों में हैं ; और

(ग) इन इमारतों के वार्षिक किराये के रूप में कुल कितनी राशि दी जाती है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Larger Gagau Dam in Banda, U. P.

7937. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Larger Gagau Dam Project in District Banda, Uttar Pradesh has been approved ; and

(b) if so, the likely date of its implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Project Report has not so far been received from the Government of U. P.

(b) Does not arise.

Badhain Dam in Banda District, U. P.

7938. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Badhain Dam to be constructed in Banda District (Uttar Pradesh) has been approved ;

(b) if so, when the construction work would start ;

(c) the number of villages likely to be submerged thereby ;

(d) the places where such villages would be rehabilitated by Government ; and

(e) whether Government would make some arrangements to provide alternate land to those farmers whose lands would be acquired for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) It is understood that the surveys and investigations for the Baghain Scheme (not Badhain Dam) are still in progress.

(b) to (e). Do not arise.

Raw Material for Rubber Production

7939. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the source by which the large scale requirement of Butadiene needed for enhanced production of rubber in the Fourth Plan is proposed to be met out of the three sources namely, spirit prepared from molasses, naphtha and natural gas, giving the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Large scale requirement of Butadiene needed for enhanced production of Synthetic rubber (SBR type) in the Fourth Plan is proposed to be met out of the following sources :

(i) Spirit prepared from molasses and

(ii) Butadiene extracted from an olefins-diolefins mixed stream from naphtha crackers.

Registration Revenue Department, Uttar Pradesh

7940. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the period from the 3rd April to the 31st December 1967, Government had received many complaints regarding the corruption prevalent in the Registration Revenue Department of Uttar Pradesh ;

(b) if so, their number district-wise ; and

(c) the details of action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Excise Duty on Shoddy Yarn

7941. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Shoddy Mills' Association has put up a demand that the shoddy yarn and the shoddy fabric should be exempted from Excise duty ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) It has not been considered justifiable to disturb the **status quo.**

Smuggling of Jute

7942. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have looked into the charge of smuggling of about one lakh bales of jute from Bihar into Nepal, levelled by the Indian Jute Mills' Association as reported in the Hindustan of the 7th January, 1968 ;

(b) if so, whether Government propose to conduct an enquiry in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Enquiries made by Government reveal that there has been some smuggling of raw jute from Bihar to Nepal. However, it has not been possible to estimate precisely the actual quantity and value of jute so smuggled.

(c) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम छोड़कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी करने वाले कर्मचारी

7943. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1966-67 और 1967-68 में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से नौकरी छोड़कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी कर ली है ; और

(ख) उनके त्याग-पत्र देने के मुख्य कारण क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन उच्चस्तरीय कर्मचारियों की संख्या के बारे में, जिन्होंने 1966-67 और 1967-68 में इस्तीफा दे दिया है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी । लेकिन बहुत से मामलों में इस बात का पता लगाना सम्भव नहीं होगा कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर ली है या नहीं या उनके इस्तीफा देने के क्या कारण हैं ।

बिजली पर रायल्टी के लिए हिमाचल प्रदेश की मांग

7944. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पानी से पैदा की जाने वाली बिजली पर रायल्टी लेने तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले सुधार शुल्क का कुछ भाग लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है ; और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) मांगों पर विचार हो रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

7945. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों का प्रशासन तथा प्रबन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है ताकि उनके कार्य-संचालन में सुधार हो सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि घाटे पर चलने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने अधिकार में लेने की सरकार की नीति है ताकि श्रमिकों के हितों और उन उपक्रमों के उत्पादन की रक्षा की जा सके ; और

(ग) इन दोनों नीतियों का कहां तक तालमेल है और इनमें कितनी पारस्परिक संगति है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों को, जो घाटे पर चल रहे हों, श्रमिकों और उत्पादन के हित में अपने हाथ में ले लिया जाय । लेकिन हर मामले की परिस्थितियों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

सूरत में चोरी छिपे लाये गये नायलोन रेयन का पकड़ा जाना

7946. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1968 को सूरत में चोरी छिपे लाए गये नायलोन रेयन से भरा एक ट्रक पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूरत के सीमाशुल्क अधिकारियों ने 7 मार्च, 1968 को एक ट्रक पकड़ा और इसमें से नायलोन सूत के लगभग 4 लाख रुपये मूल्य के 160 डिब्बे बरामद किये, जिनके बारे में संदेह है कि उनका तस्कर आयात किया गया है ।

(ख) और (ग). सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था । सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पुलिस के पास शिकायत दर्ज किए जाने के कारण पुलिस अधिकारियों ने भी चार व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के जुर्म में गिरफ्तार किया जिनमें सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति भी शामिल हैं । गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

सरकारी उपक्रमों के लिये प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋण

7947. **श्री गां० श० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के क्षेत्राधिकाराधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों को पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिभूत और अप्रतिभूत श्रेणियों के कितने ऋण दिए गये ;

(ख) इन सरकारी उपक्रमों ने कितना मुनाफा दिखाया ;

(ग) क्या इन उपक्रमों को तकनीकी रिपोर्ट, वित्तीय निरापत्ति और परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया था, ऋण दिये गये ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऋण देने तथा साथ ही साथ उपक्रमों को मुनाफा दिखाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत निगमित या किसी संविधि के अन्तर्गत स्थापित उन सरकारी उपक्रमों से है, जो वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। ऐसे किसी उपक्रम को 1967-68 में कोई ऋण नहीं दिया गया था।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

रिजर्व बैंक के कर्मचारी

7948. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 फरवरी, 1968 को कलकत्ता में हड़ताल करने वाले भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मारपीट की थी और उस अधिकारी को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों ने अधिकारियों को बैंक के अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया था और इस प्रकार बैंक का कार्य ठप्प हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की गतिविधियां शान्तिपूर्ण आन्दोलन की संहिता के विरुद्ध हैं तथा इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रिजर्व बैंक के कलकत्ता कार्यालय के एक अधिकारी पर हमला किया गया था और उसे जो चोटें लगी थीं उनके लिये अस्पताल में उसका इलाज किया गया था।

(ख) बैंक के बाहर लगातार धरना दिया गया था और बहुत से अधिकारियों को बैंक की इमारत में जाने से रोका गया था। 76 प्रतिशत अधिकारी और 34 प्रतिशत पर्यवेक्षण कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे और उनकी सहायता से, जहां तक सम्भव था, बैंक का कार्य चलाया गया।

(ग) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य अनुशासन-संहिता के उपबन्धों के विरुद्ध थे। रिजर्व बैंक का विचार इस मामले को श्रम मंत्रालय के क्रियान्वयन संगठन के पास भेजने का है। इस बीच, हड़ताल करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना वेतन की ऐसी असाधारण छुट्टी पर माना गया है जो वार्षिक वेतन-वृद्धि के लिए हिसाब में नहीं ली जायेगी।

Printing of Hindi Editions of Publications

7949. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindi Editions of the various Government publications are not being printed and published side by side with their English Editions;

(b) if so, the causes of delay in the printing and publication of the Hindi Editions; and

(c) the details regarding the action taken by Government for expanding the Hindi Departments of Government Presses from January, 1965 to-date?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). Publications are printed and published in accordance with the directions given in the requisitions by the various indentors. Delays have occurred occasionally in the printing of Hindi publications. This was mainly due to inadequate capacity of the Government Presses for Hindi printing. To the extent possible, the requirements of the Departments are now being met by farming out Hindi printing jobs to private Presses.

(c) The following actions have been taken for expanding Hindi printing capacity of the Presses:

(1) The capacity of the Government of India Press, New Delhi, is being increased by 25% commissioning all the available equipment which can be used for Hindi printing.

(2) The capacity of the Government of India Press, is being increased by 70% by introducing the second shift on machines and by augmenting the staff strength.

(3) A new unit—IBM-cum-Offset unit—capable of handling 100 pages a day for printing all essential papers of Parliament is expected to be set up before the end of the year.

(4) In the new Press which is being constructed at Ring Road, New Delhi, a capacity of 110 pages per day is being apportioned for Hindi printing subject to availability of foreign exchange for the equipment.

Petroleum and Chemicals Industries

7951. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the petro-chemical factories in the public sector are constantly running in loss;

(b) if so, the year-wise amount of loss sustained by each factory and the causes thereof; and

(c) the steps taken for improving the working of the factories in the public sector?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) There is at present no petro-chemical factory as such in the public sector. However, there is a methanol plant at Trombay which is an adjunct to the fertilizer factory located there.

(b) The methanol plant sustained a loss of Rs. 32.32 lakhs in 1966-67 and Rs. 6.62 lakhs in 1967-68. In 1968-69 it is expected that the working results of the factory would show a gain of about Rs. 40 lakhs.

The loss in 1966-67 was due to repeated catalyst failure. Further it was the first year (about six months only) of operation of the factory. In 1967-68 the loss was due to catalyst failure.

(c) Possible alternative catalysts that are available in different parts of the world have been systematically studied by the factory management and as a result they have selected a new catalyst which has been in operation since August 1967. This catalyst is proving satisfactory and has enabled good production to be achieved in 1967-68 thereby reducing the loss. Steps are also being taken to develop a suitable catalyst indigenously.

ब्रिटेन में दिल्ली के एक नाई का प्रशिक्षण

7952. **श्री शारदानन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने दिल्ली के एक नाई श्री हबीब को बाल बनाने का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये लन्दन जाने की अनुमति दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिजर्व बैंक ने उसके पी फार्म के आवेदन-पत्र को पहले तो नामंजूर कर दिया था, परन्तु लार्ड माउन्टबेटन की सिफारिश पर उसे जाने की अनुमति दे दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये विदेशों में जाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) रिजर्व बैंक ने किसी भी दौर में आवेदन-पत्र को रद्द नहीं किया । फिर भी, लार्ड माउन्टबेटन द्वारा किए गए प्रबन्ध को देखते हुए एक विशेष मामले के रूप में यात्रा की अनुमति दे दी गयी ।

(ग) प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायगा ।

Jhonparies in Delhi

7953. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total number of Jhonparies in Delhi in 1960 and their number at present ;

(b) the facilities that are provided by Government to eligible and non-eligible Jhonpari dwellers respectively ;

(c) whether Government propose to provide more facilities to Jhonpari dewellers, if so, the details thereof ; and

(d) the expenditure which Government have to incur on the rehabilitation of each such Jhonpari dwellers as are entitled to alternative accommodation and on those who are not entitled respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) In June-July 1960, the number of squatter families on Government and public lands in Delhi was about 50,000. Their present number (both pre-July and post-July 1960) is estimated to be about one lakh.

(b) and (c). The eligible squatter families i. e. those who squatted on Government and public lands prior to 31st July, 1960 are to be taken to regular colonies planned for them. The ineligible families i. e. those who squatted on Government and public lands after 31st July, 1960 are to be taken to areas on the periphery of Delhi. The regular colonies are provided with basic amenities such as roads, water supply, community latrines and street lighting. In addition, school and medical facilities are also provided in these colonies. The areas, to which the ineligible are shifted, are generally to be provided with drinking water and community latrines.

(d) Families shifted to regular colonies have either been allotted plots of 80 square yards or 25 square yards each estimated to cost Rs. 2200/- and Rs. 1000/- respectively. According to the existing policy, ineligible squatter families are not entitled to alternative accommodation under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme. However, some cost on shifting such families to Nangloi, Hastsal and Seemapuri has been incurred. The exact cost per family has not yet been worked out.

गैर-सरकारी बैंकों में जमा राशि

7954. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी बैंकों में आज तक कुल कितनी धनराशि जमा है; और

(ख) उन बैंकों ने चालू वर्ष समेत गत दस वर्षों में अनाज, पटसन, चीनी, कपास, कपड़ा तथा सीमेंट के व्यापार में पृथक्-पृथक् कितनी पूंजी लगायी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 5 अप्रैल, 1968 को 2750.68 करोड़ रुपया जमा था।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

स्टाफ कारें

7955. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों के लिए कार, स्टाफ कार सहित केन्द्रीय मंत्रालयों के पास इस समय कुल कितनी परिवहन गाड़ियां हैं और उनमें से कितनी देशी हैं और कितनी आयात की हुई हैं;

(ख) 1967-68 में कुल कितनी परिवहन गाड़ियां खरीदी गई और साल में कितनी गाड़ियां बेकार हो गई

(ग) मोटरगाड़ियों में प्रयोग होने वाले तेल पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय होता है और मोटरगाड़ियों की देखरेख और मरम्मत पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) उपरोक्त वर्ष में इन मोटरगाड़ियों ने कितने मील का सफर किया ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

7956. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तेल शोधक कारखाने का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में बहुत विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपकरणों के सम्भरण में भी 63 से लेकर 450 दिन का विलम्ब हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब को रोकने के लिए करार में दण्ड सम्बन्धी कोई खण्ड न जोड़े जाने के क्या कारण थे; और

(घ) इस प्रकार विलम्ब होने के कारण कितनी हानि हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में 2 महीनों का विलम्ब हुआ था।

(ख) जी हां।

(ग) सामान्य कार्यप्रणाली के अनुसार, सरकारी एजेन्सियों के बीच ऐसे करारों में दण्ड सम्बन्धी कोई खण्ड नहीं जोड़ा जाता।

(घ) उपकरणों के विलम्ब से मिलने के कारण हुई हानि नगण्य है और इसका उपयुक्त निर्धारण नहीं हो सकता। रूस के उच्च अधिकारियों से उपकरणों को शीघ्र भेज देने की प्रार्थना की गई थी और उन्होंने इन प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए यथासम्भव कार्यवाही की।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

7957. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा हाल ही में होशंगाबाद में जिस सिक्योरिटी पेपर मिल का उद्घाटन किया गया था, उनके लिए किन-किन मशीनों का आयात किया गया और उनकी लागत कितनी थी;

(ख) क्या इस फैक्टरी को चलाने के लिए आवश्यक कच्चा माल पूर्णतया देश में उपलब्ध है अथवा अंशत;

(ग) यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है अथवा अंशतः उपलब्ध है तो उसे उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(घ) क्या भारत में लुगदी बनाकर कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा अथवा लुगदी के रूप में आयात किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए लगभग 267 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के मूल्य (और 352 लाख रुपए के कुल मूल्य) से कागज बनाने की चार मशीनों और सुपर कैलेण्डरों और रैग बायलरों जैसे कुछ सहायक उपकरणों का आयात किया गया है।

(ख) अपेक्षाकृत बहुत कम मूल्यों के थोड़े रासायनिक पदार्थों और सिक्योरिटी धागे के अलावा कारखाने के लिए आवश्यक सारा कच्चा माल देश में उपलब्ध है।

(ग) आवश्यक रासायनिक पदार्थों का देश के अन्दर विकास करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस बीच रासायनिक पदार्थों की आवश्यकताएं आयात से पूरी की जा रही हैं।

(घ) लुगदी कारखाने में ही बनायी जाती है।

तेल के ढोलों (बैरलों) के लिए इस्पात की चादरें

7958. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री विटूमैन ड्रमों के निर्माण के लिए इस्पात की चादरों के आयात के बारे में 11 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा 24 गेज से 18 गेज की इस्पात चादरों के लिए

परिवर्तित कराये गये 50 लाख रुपये के चार आयात लाइसेंसों का उनकी संख्या तथा तिथि सहित ब्योरा क्या है ;

(ख) इन लाइसेंसों को 24 गेज इस्पात की चादरों से 18 गेज इस्पात की चादरों में परिवर्तित करने के लिए सहमत होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया था कि इस प्रकार आयात लाइसेंसों में फेर बदल करने से दिल्ली उच्च न्यायालय के व्यादेश का उल्लंघन होता है; और

(घ) क्या एस्सो रिफायनरीज लिमिटेड द्वारा विटूमैन ड्रमों के लिए आयात की जाने वाली चादरों को विटूमैन ड्रमों के सभी लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं में बराबर बांटा जाएगा ताकि निर्माताओं की क्षमता बेकार नहीं पड़ी रहे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) लाइसेंसों का ब्योरा निम्न प्रकार है—

	रुपये
(1) जी/एस टी/8429747/सी/ओ. आर/ 23/एस/सी/21/22/44/79/दिनांक 15-7-66.	9,60,750.00
(2) जी/एस टी/8429748/सी/ओ. आर/ 23/एस/सी/21/22/44/81/ दिनांक 15-7-1966	4,36,263.00
(3) जी/एस टी/8429749/सी/ओ. आर/ 23/एस/सी/21/22/44/80/ दिनांक 15-7-1966	11,52,309.00
(4) जी/एस टी/8429830/सी/सी जैड/ 23/एस/सी/23/65/71/ दिनांक 3-8-1966	24,58,125.00

(ख) लाइसेंसों को परिवर्तित करने के निम्न कारण थे :

(i) आवश्यकता के अनुसार देशीय स्रोतों से 18 गेज इस्पात चादरों की अप्राप्ति; और

(ii) बरौनी शोधनशाला के विटूमैन यूनिट के चालू होने में देरी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह मामला एस्सो स्टैण्डर्ड रिफायनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के लिए है ।

Use of Allopathic Medicines by Vaids

7959. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat have permitted the Vaids possessing Ayurvedic education to prescribe allopathic medicines and administer injections after three months training in allopathic treatment of medicine ; and

(b) if so, the details in this regard and the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) Does not arise.

Protection of Crops from Floods

7960. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by U. P. Government to each of the Districts of Mathura, Aligarh and Bareilly for the construction of drains and bridges in order to protect crops from floods during the last ten years ; and

(b) the number of drains and bridges in each District on the construction of which the amount had already been spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The amount sanctioned and the number of drains (inclusive of bridges on these drains) constructed by the Uttar Pradesh Government under the Flood Control Programme during the last ten years in the three districts are as follows :

Name of District	Amount sanctioned	No. of drains constructed
Mathura	Rs. 101.609 lakhs	7
Aligarh	—	—
Bareilly	Rs. 0.703 lakhs	2

The State Government have reported that, in addition to the above, the following amounts were also sanctioned in this period for construction of drains under the minor irrigation programme :

Aligarh District	..	Rs. 38.520 lakhs
Mathura District	..	Rs. 31.194 lakhs
Bareilly District	..	Rs. 2.679 lakhs.

Security Paper Mill, Hoshangabad

7961. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred so far on the Security Paper Mill at Hoshangabad recently inaugurated by him ; and

(b) the amount, out of this expenditure, that has been spent by the Central Government, the amount of the foreign capital invested therein and the terms and conditions on which it has been received ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total expenditure booked upto the end of March, 1968 in respect of the Security Paper Mill, Hoshangabad is about Rs. 11 crores on Capital as well as Revenue accounts.

(b) The entire expenditure has been met by the Central Government.

Power for Tube-wells in the Country

7962. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the manner in which Government would provide power for 1,50,000 tube-wells and pumping sets in the country during the current year when they have fixed the target for the production of the additional power during the current year at 20 lakh kilowatts only and when they have not been able to provide adequate power to the tube-wells and the pumping sets installed earlier; and

(b) the details in regard to the manner in which Government propose to distribute the said 20 lakh kilowatts of power ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Power demands of energised pumping sets/tube-wells are being met. With 20 lakhs kw. of additional generating capacity expected in 1968-69, no difficulty is anticipated in meeting the power demands of about 250 MW for about 1.5 lakhs pumping sets/tube-wells expected to be energised in 1968-69.

(b) A statement indicating the generating units expected to be commissioned during 1968-69 and the States which would be served by these units is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No LT-973/68]**

Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd.

7963. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the production at Fertilizer and Chemicals Travancore, Ltd. is constantly decreasing for the last five years and whether it is a fact that because of reduction in the production of ammonia, the production of fertilizer and other products came down to 25 per cent of the capacity in a particular year ;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government have conducted an enquiry in regard thereto ; and

(c) the result thereof and action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a). No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Schools for Handicapped Children

7964. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance and the nature of other kind of assistance being provided by Government to the schools being run in Delhi for the welfare of handicapped children ;

(b) whether Government are paying special attention to the development of these schools at national level ; and

(c) if so, the nature of new schemes formulated by Government in this connection ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The Government of India do not give regular financial assistance to schools for handicapped children in Delhi. During 1967-68, however, a sum of Rs. 1,38,132 was paid to the Blind Relief Association, New Delhi as an instalment of the Government of India's contribution towards the cost of construction of the new building for the insdustrial home and school for the blind. The total contribution promised by the Government of India is Rs. 6,48,400.

(b) and (c). The Government of India promote the education of handicapped children by providing financial assistance to institutions for the handicapped for developmental purposes.

During 1967-68, a sum of Rs. 6,550,000 was paid to 25 organisations. A comprehensive National Centre for the Blind has been established at Dehra Dun. The nuclei of National Centres for the Deaf and Mentally Retarded have been set up at Hyderabad and New Delhi respectively.

Steps are being taken to formulate new schemes for inclusion in the IV Plan. Mean while, provision has been made in the budget for 1968-69 for the establishment of a school for partially-sighted children at Dehra Dun and for partially-deaf children at Hyderabad.

Educational Institutions for Deaf and Dumb

7965. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the educational institutions for the deaf and dumb in the country to which grants are being given on the recommendations of the Ministry of Education ; and

(b) the nature of education imparted by these institutions ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The Department of Social Welfare does not give grants to the institutions for the handicapped, including those for the deaf, on the advice of the Ministry of Education. Applications for such grants are usually recommended by the concerned State Governments.

(b) Does not arise.

उत्तर रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालय में सिलेक्शन ग्रेड के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित अदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

7966. **श्री रामचरण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 1-10-67 ई० एस० टी० एस० (डी०), दिनांक 8 जनवरी, 1968 के अनुसार उत्तर रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षक के कार्यालय में 210-380 रुपये के ग्रेड में सिलेक्शन ग्रेड के 23 पद बनाए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने पदों को विभाग द्वारा भर लिया गया है ;

(ग) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित अदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए रक्षित किए गये हैं;

(घ) रक्षित रिक्त पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के बारे में नीति का निर्धारण गृह मंत्रालय के तारीख 8-11-63 (न कि 8-1-63) के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया है गृह-मंत्रालय के तारीख 14-3-1966 के कार्यालय ज्ञापन सं० 14/21/64 एस्टेब्लिस्मेन्ट (सी) के जारी किए जाने से ये आदेश भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग पर लागू हो गये। ये आदेश पदों के सर्जन के बारे में नहीं हैं। लेखा-परीक्षा विभाग में इन आदेशों के लागू किये जाने की तारीख, अर्थात् 14-3-1966 के पश्चात् उच्च श्रेणी लिपिकों के केवल 15 पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सेलेक्शन ग्रेड में कर दिया गया है ।

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित दो खाली जगहों को छोड़कर बाकी सभी पद भर दिये गये हैं।

(ग) और (घ). गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, दो पद अनुसूचित जातियों के तथा दो पद अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किये गये थे। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित दोनों पद अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों से भर लिए गये हैं। लेकिन अनुसूचित अदिम जातियों के लिए आरक्षित दो पद अनुसूचित आदिम जातियों के योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण भरे नहीं जा सके हैं ।

उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षक के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

7967. **श्री रामचरण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षक के कार्यालय में अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये गये सिलेक्शन ग्रेट के पदों को मुख्य नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा सामान्य रिक्तियां घोषित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). उत्तर रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षक के कार्यालय में अनुसूचित आदिम जातियों के योग्य कर्मचारियों की तरक्की के निश्चित प्रतिशत अनुपात की संख्या की पूर्ति के लिए रखी गयी नाम सूची के अनुसार ऐसी तरक्की के लिए दो पद उपलब्ध थे, परन्तु ऐसे योग्य कर्मचारियों की कमी के कारण इन दो पदों में से एक पद को रिजर्व सूची से हटा लेने का प्रस्ताव है ।

राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों की अहमदाबाद में हुई बैठक

7968. **श्री रवि राय : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम क्षेत्र के राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों तथा राज्य सरकारों के सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वह अहमदाबाद गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने डाम्बा तथा पेंच विद्युत योजनाओं के बारे में तुरन्त अग्रिम कार्यवाही करने तथा नागपुर तापीय बिजलीघर के चौथे एकक को तिर्धारित समय से पहले चालू करने के लिए कहा था; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस बैठक में यह बताया गया था कि पश्चिमी क्षेत्र में 1973-74 तक 1130 मेगावाट बिजली की कमी होने की सम्भावना है । इस कमी को पूरा करने के लिए यह कहा गया कि निम्नलिखित स्कीमों पर अग्रिम कार्यवाही बिना किसी देरी के आरम्भ कर दी जाये :

1.	मध्य प्रदेश में सोन नदी पर डेम्बा परियोजना	600	मेगावाट
2.	महाराष्ट्र में पेंच परियोजना	140	,,
3.	गुजरात में अणु बिजली केन्द्र—गुजरात और महाराष्ट्र राज्य भागीदार होंगे ।	400	,,
4.	नागपुर में 120 मेगावाट के चौथे यूनिट को पहले चालू करना ।	120	,,
	कुल	1260	मेगावाट

ऋणों के मामले में राहत

7969. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वाशिंगटन से 27 मार्च, 1968 के हिन्दू में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व बैंक तथा सहायता देने वाले पश्चिमी देशों के बीच ऋणों के मामले में सहायता देने की योजना के बारे में एक समझौता सा हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत को आगामी तीन वर्षों में लगभग 1000 लाख डालर अधिक विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत सहायता संघ के सदस्य, ऋण परिशोध में राहत देने के प्रश्न पर अभी विचार कर रहे हैं।

पिछड़े वर्गों के लिए 20 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण अवैध करार देने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय का निर्णय

7970. **श्री रवि राय : स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने आन्ध्र प्रदेश राज्य की अपील को रद्द कर दिया था और आन्ध्र प्रदेश उच्चन्यायालय के निर्णय को बहाल रखा था जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्गों के लिए कुल स्थानों में से 20 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण को अवैध ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कालेजों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये थे; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्णय को दृष्टि में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ इस मामले के बारे में बातचीत की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के मेडिकल कालिजों में केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित सीटें उन संघ क्षेत्रों के छात्रों के लिए जिनमें अपना कोई मेडिकल कालिज नहीं है तथा अन्य अधिकृत वर्गों के छात्रों के लिए थीं। ये सीटें उस रूप में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित नहीं थी।

(ग) राज्य सरकार से इस मामले का ब्योरा मांगा गया है।

Quarters for Central Police Personnel in R. K. Puram, New Delhi

7971. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the quarters in Sector II in Ramakrishna Puram have been allotted to the Central Police ;

(b) whether it is also a fact that the allotment of quarters to bachelor policemen is causing inconvenience to the ladies living in nearby quarters ;

(c) whether it is further a fact that a separate plot has been earmarked in Ramakrishna Puram for constructing the quarters of the Central Police ; and

(d) if so, the date by which separate quarters would be constructed for the Central Police and the family quarters would be got vacated from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) A Block of 8 type I quarters has been placed at the disposal of Central Police in Sector II of R. K. Puram.

(b) No such complaint has been received by the Government.

(c) No.

(d) Does not arise.

Removal of Rocks etc. in front of class IV Employees Quarters in Sector II of R. K. Puram, New Delhi

7972. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rocks exist before the quarters of Class IV employees in Sector II of Ramakrishna Puram, New Delhi and stones have been heaped in front of them ;

(b) whether it is also a fact that the residents of that place have requested many a time that the stones and rocks be removed and the place be levelled ; and

(c) if so, the reasons for not taking any steps in this regard so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) There are no rocks in front of the quarters where lawns have been developed. A small portion of the main road-berm is, however, rocky.

(b) Yes.

(c) All loose stones were removed some months back. The rocky road-berm has not been levelled because of the high cost of chiselling the rocks. However, this will be done now.

Civic Amenities in J. J. Colony Near Rajouri Garden, New Delhi

7973. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Jhuggi dwellers of the city area have been rehabilitated in J. J. Colony near Rajouri Gardens at Najafgarh Road during the last one month ;

(b) whether it is also a fact that this growing J. J. Colony is sadly lacking in civic amenities ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to prevent this J. J. Colony from becoming a new slum area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (**Shri Iqbal Singh**) : (a) During February, 1968, a big cluster of squatters in Jhadewalan was cleared and 331 families were re-settled in the Jhuggi and Jhonpri colony at Najafgarh Road. Again in March, 1968, 54 additional squatter families were removed from Jhandewalan and taken to this colony.

(b) and (c). The colony has been developed in accordance with a regular layout plan and basic civic amenities as in other Jhuggi and Jhonpri colonies, such as filtered water supply, street lighting, community latrines and drains etc. have been provided in it.

Shanties in Delhi

7974. **Shri T. P. Shah :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Brij Bhusan Lal :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total number of shanties in Delhi at present and their number in 1960 ;

(b) the facilities being extended by Government to eligible and non-eligible shanties, respectively ;

(c) whether Govetnment propose to extend more facilities to shanti-dwellers and if so, the nature thereof ; and

(d) the expenditure incurred by Government in rehabilitating them elsewhere in the cases of eligible and non-eligible shanties respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (**Shri Iqbal Singh**) : In June-July 1960, the number of squatter families on Government and public lands in Delhi was about 50,000. Their present number (both pre-July and post-July 1960) is estimated to be about one lakh.

(b) and (c). The eligible squatter families i.e. those who squatted on Government and public lands prior to 31st July, 1960 are to be taken to regular colonies planned for them. The ineligible families i.e. those who squatted on Government and public lands after 31st July, 1960 are to be taken to areas on the periphery of Delhi. The regular colonies are provided with basic amenities such as roads, water supply, community latrines and street lighting. In addition, school and medical facilities are also provided in these colonies. The areas, to which the ineligibles are shifted, are generally to be provided with drinking water and community laterines.

(d) Families shifted to regular colonies have either been allotted plots of 80 square yards or 25 square yards each, estimated to cost Rs. 2,200/- and Rs. 1,000/- respectively. According to the existing policy, ineligible squatter families are not entitled to alternative accommodation under the Jhuggies and Jhopries Removal Scheme. However, some cost on shifting such families to Nangloi, Hastsal and Seema Puri has been incurred. The exact cost per family has not yet been worked out.

Restricted Water Supply Hours in R. K. Puram, Delhi etc.

7975. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that water is suplied in Ramakrishna Puram, Lajpat Nagar and other areas in South Delhi upto 9 A. M. only ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to extend it upto 11 A. M.

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes. Water supply in Ramakrishna Puram is available upto 9 A. M. only, but Lajpat Nagar and other areas in South Delhi get water supply upto 11 A. M.

(b) On account of extensive expansion of R. K. Puram and also due to the large scale development of 450 acres of residential areas by different Co-operative Societies in the neighbourhood of R. K. Puram, the hours of water supply in R. K. Puram have to be restricted from 5 A. M. to 9 A. M. and 5 P. M. to 9 P. M.

(c) Efforts to increase the water supply hours for R. K. Puram will be made by the Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Delhi Municipal Corporation after the peak summer demands of this year have been met.

Construction of Reservoir Near Palwal

7976. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a scheme to construct a water reservoir near Palwal to remove the difficulties faced by the residents of South Delhi in regard to drinking water ; and

(b) if so, the time by which the construction of the said reservoir would start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S.Murthy): (a) Yes, a scheme of water supply reservoir at Dhauj and Kot near Balabgarh in Gurgaon District of Haryana State is being considered.

(b) At this stage the scheme is under examination. The time of construction can be indicated only after the scheme is sanctioned.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

7977. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के देश भर में प्रतिरक्षा जैसे कुछ विभागों में लागू किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो किस मास तथा वर्ष से ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत इस समय सभी कर्मचारी आते हैं जिनमें सशस्त्र सेना कर्मचारियों के अतिरिक्त रक्षा विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। यह योजना इस समय केवल दिल्ली और बम्बई में चल रही है। दिल्ली में तो इस योजना के अन्तर्गत रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारी आ जाते हैं किन्तु बम्बई में नहीं आते।

चीनी आक्रमण के पश्चात् अमरीकी सहायता

7978. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने चीन द्वारा किये गये आक्रमण के दौरान और उसके बाद भारत को 235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तव में केवल 17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). यदि प्रश्न का सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता से है, तो भाग (क) का उत्तर है 'नहीं', और भाग (ख) और (ग) सम्बन्धी सवाल पैदा ही नहीं होते।

यदि प्रश्न का सम्बन्ध सैनिक सहायता से है, तो लोक-सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 518 के उत्तर में रक्षा मंत्री द्वारा दी गयी सूचना की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उपयोग में कमी होने का कारण, सितम्बर 1965 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की नीति में परिवर्तन होना है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की बकाया राशि देना

7979. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री कृ० म० कौशिक :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री अब्राहम :
श्री अजमल खां :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके सामान्य भविष्य निधि लेखों में जमा की गई पिछले वर्ष की महंगाई भत्ते की बकाया राशि निकालने के बारे में सरकार ने आदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां। 1 फरवरी, 1967 से 31 अगस्त, 1967 तक की अवधि के लिये महंगाई भत्ते की जो रकम खाते में जमा

रखी गयी थी और जिन मामलों में कर्मचारी उन्हें वापिस निकालना चाहते हैं, उसके निकालने के तरीके संबंधी हिदायतें 8 अप्रैल, 1968 को जारी की गई थीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

7980. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्तर मुंघेर के स्थानीय लोगों को उचित अनुपात में रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर मुंघेर जिले से कुल कितने लोग, वर्ग-वार, नियुक्त किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा जाता है क्योंकि शोधनशाला के कार्यों के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है । अतः अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आसाम बरौनी पाइप लाइन

7981. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आसाम से बरौनी तक पाइप लाइन में, जब वह मुंघेर जिले के उत्तरी भाग से गुजरती है, उन सब स्थानों की, जहां से तेल मिलने की संभावना है, जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). जी नहीं । नाहरकटिया बरौनी पाइप लाइन में एक विस्तृत टेली केन्द्रित प्रणाली है और पाइप लाइन में यदि कोई टपकन हुई तो कच्चे तेल के संचलन के नियन्त्रण करने वाले डिस्पैचर को इसका पता चल जायेगा । अतः इस पाइप लाइन के सम्बन्ध में कोई जांच करने के आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

Removal of Telephones from the residences of Officers

7982. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5575 on the 13th July, 1967 and state :

(a) whether the question of removal of telephones from the residences of all officers and other Government employees other than those for whom the telephones are considered essential has since been considered ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Instructions were issued in September, 1967, to the Ministries to make a review of the residential telephones sanctioned for officers lower in rank than Deputy Secretaries and their equivalent and restrict this facility to selected officers whose duties require them to transact official business outside office hours. Further action on the basis of this review is being taken.

वसुन्धरा जलाशय तथा नीरडी बांध योजना का प्रारूप

7983. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसुन्धरा जलाशय तथा नीरडी बांध योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आन्ध्र प्रदेश की चौथी योजना के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cultivation of Poppy

7984. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of districts in Uttar Pradesh where poppy is cultivated and the District-wise area in respect of which licences were issued for such cultivation during 1966-67 ;

(b) whether it is a fact that Poppy used to be cultivated in Gorakhpur sometime back and if so, the reasons for discountinuance thereof ; and

(c) whether any scheme is under the consideration of Government to increase the area of Poppy cultivation and if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) (i) During 1966-67 poppy was cultivated in the districts of Faizabad, Gonda, Ghazipur, Azamgarh, Bara Banki, Basti, Bareilly and Shahjahanpur in Uttar Pradesh.

(ii) The district-wise area under poppy cultivation in these districts during 1966-67 opium season was as under :

Name of the district	Area under poppy cultivation (Hectares)
Faizabad	258.04
Gonda	17.10
Ghazipur	111.75
Azamgarh	24.27
Bara Banki	2774.48
Bareilly	290.61
Shahjahanpur	19.91
Basti	2.63
Total	3498.79

(b) Yes, Sir. Poppy was permitted to be cultivated in the district of Gorakhpur prior to the 1954-55 opium season. From and after 1954-55 opium season cultivation of poppy was stopped in Gorakhpur district.

The licensing policy of the Government of India in regard to cultivation of poppy is governed by international conventions on narcotics which limit the production of opium to world's medicinal and scientific needs. These conventions also enjoin that cultivation of poppy should be restricted to compact and contiguous areas where effective preventive control over smuggling of opium could be exercised and to eliminate cultivation in sparse and remote areas. In pursuance of this policy cultivation of poppy in Gorakhpur District was stopped from the 1954-55 opium season.

(c) The total quantity of opium to be produced and the area to be licensed for such production in a year depend largely on the world demand for opium and the quantity likely to be exported by India in the following year. The world demand for opium being limited the scope for any large scale increase in the area under poppy cultivation is also limited. As such Government have no special scheme for increasing the area under cultivation of poppy.

Poppy Cultivation

7985. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the countries where Poppy is cultivated and the names of the countries where the production of opium is more as compared to India ;

(b) the position of India among the opium producing countries during 1966-67 ; and

(c) the quantity of opium exported by India during the said period and the amount of foreign exchange earned thereby ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**) : (a) Names of the countries where poppy is cultivated and the quantity of opium produced in

each of these countries during the year 1966 is as under :

	Name of the country	Quantity of opium produced (Kgs.)
	(1)	(2)
1.	India.	436,343
2.	U. S. S. R.	201,000
3.	Turkey.	138,806
4.	Pakistan.	3,141
5.	Yugoslavia.	2,705
6.	Bulgaria.	224
7.	Japan.	135
8.	Burma.	? (Production not known as not reported to U. N. Secretariat.)

From above it would be observed that India is the largest producer of opium and hence the question of giving names of countries which produce opium more than India does not arise.

(b) Figures of production of opium in other countries are available only for calendar years. From the figures given under column (2) of the reply against part (a)above it would be observed that India produced 436.343 metric tonnes in 1966 out of a total known world production of 782.354 metric tonnes. In terms of percentage India's share works out to about 56% for 1966.

(c) During the financial year 1966-67, the quantity of opium exported by India was 574 tonnes and the amount of foreign exchange earned was equivalent to about Rs. 4.28 crores.

Industrial Undertakings Under Social Welfare Department, U. P. Government

7986. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the District-wise names of Industrial Undertakings functioning under the Social Welfare Department of U. P. Government and the expenditure incurred on each ;

(b) the District-wise names of industrial undertakings proposed to be started during the Fourth Five Year Plan period and the estimated out lay on each ;

(c) whether Government propose to set up any of these undertkaings in Eastern U. P. to remove unemployment there and to bring its economy at par with that of Western U. P. ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) to (d). The Government of Uttar Pradesh in the Harijan and Social Welfare Department have acquired land with a view to establish five Industrial Estates, one each at Badaun, Ballia, Ghazipur, Gonda and Rai-Bareli. It is proposed to complete the scheme at the aforesaid places during the fourth five year plan at a cost of Rs. 25 lakhs.

Industrial Undertakings Under Health Department, Uttar Pradesh

7987. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the District-wise particulars of the industrial undertakings being run by Health Department of Uttar Pradesh Government and the amount invested in each, separately;

(b) the District-wise particulars of industrial undertakings proposed to be set up during the Fourth Plan period and the amount proposed to be invested in each undertaking;

(c) whether Government propose to set up any of these undertakings in Eastern Uttar Pradesh with a view to remove unemployment and to bring the backward economy of this region at par with the economy of the districts in Western parts of Uttar Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं

7988. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी छिपे लाई गई कुल कितनी वस्तुएं वर्ष 1967-68 में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गईं;

(ख) इनमें कितना सोना था और कितने सोने के आभूषण थे;

(ग) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई अन्य मुख्य वस्तुएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) जांच-पड़ताल के बाद कितना सोना तथा अन्य वस्तुएं छोड़ दी गई हैं;

(ङ) वर्ष 1967-68 की समाप्ति पर इनमें से कितनी वस्तुएं सीमा-शुल्क विभाग की तिजोरियों में पड़ी हुई थीं; और इसमें सोना अथवा सोने से बनी वस्तुएं कितनी थीं ; और

(च) सीमा-शुल्क विभाग के पास कितना सोना, मुद्रा तथा अन्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं; जिनका निपटान दो वर्षों से अधिक समय से नहीं किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

जब्त किये गये माल को बेचने की प्रक्रिया

7989. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तिम रूप से जब्त किये गये चोरी छिपे लाये गये माल को बेचने के लिये क्या प्रक्रिया है और सीमा-शुल्क विभाग के पास जब्त किये गये माल के बिना बेचे बड़ी मात्रा में एकत्र होते रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क विभाग के पास से जब्त माल बड़ी मात्रा में चोरी हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह गत दो वर्षों में कितने मूल्य का माल चोरी हुआ; और इस अवधि में जब्त माल के रखने में मूल्य ह्रास के कारण कितनी हानि हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भारत-नेपाल, भारत-सिक्कम तथा भारत-भूटान सीमाओं के पार तस्करी

7990. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत-नेपाल, भारत-सिक्किम तथा भारत-भूटान सीमाओं के पार विशेषत: कालिमपोंग में सुसंगठित सिंडीकेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप 4 करोड़ रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के राजस्व की प्रतिवर्ष हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन सीमाओं पर तस्करी कतई न होने देने के लिये और भारत में उन लोगों को जो इस व्यापार में लगे हुए हैं, दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) क्या किन्हीं तस्कर व्यापारियों के गिरोहों का पता लगा है और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

हरिजनों का कल्याण

7991. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली योजना से अब तक हरिजनों के कल्याण पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) पहली योजना से अब तक कौन-कौन से विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये गये और वे कहां तक क्रियान्वित किये जा चुके हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कृपया अनुबंध I, II और III देखिए [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०**-974/68]

(ख) कार्यक्रम इस प्रकार है :

I शिक्षा

1. मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक उपरान्त की छात्रवृत्तियां।
2. पुस्तकों तथा अन्य शैक्षणिक उपकरणों की व्यवस्था।
3. आश्रम स्कूलों की स्थापना।
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वृत्तिकाएं।
5. पठन तथा परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति।
6. दोपहर के भोजन की व्यवस्था।
7. स्कूल और छात्रावास भवनों का निर्माण।

II. आर्थिक विकास

1. बैल, कृषि उपकरण, बीज और खाद सम्भरण।
2. कुटीर उद्योगों का विकास।
3. सहकारिता।
4. जमीन और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था।
5. मुर्गियाँ, दुधारु पशु, भेड़, बकरी और सुअर सम्भरण।
6. छोटी सड़कों, पुलियाओं, पुलों, पहुंच-मार्गों का निर्माण।

III. स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य परियोजनाएं

1. पेय-जल सम्भरण।
2. चिकित्सा सुविधाएं।
3. गृहों और गृह-स्थलों की व्यवस्था।
4. मेहतरों और संमार्जकों की कार्यकारी तथा रहन-सहन दशाओं में सुधार।
5. कानूनी सहायता की व्यवस्था।
6. गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान।

ये कार्यक्रम इस विषय में निश्चित किए गए वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के स्तर तक प्राय: कार्यान्वित किए जा चुके हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों में अन्य ब्योरा प्राप्त है।

राज्यों में बिजली की खपत

7992. **श्री क० नारायण राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की घरेलू खपत, औद्योगिक खपत तथा कृषि खपत के पृथक-पृथक आंकड़ों सहित बिजली की खपत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश एक उपेक्षित राज्य है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में बिजली की कमी वाले राज्यों को कोई अधिमान देने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1965-66 के दौरान विविध राज्यों में बिजली खपत का श्रेणीवार ब्योरा नीचे दिया जाता है :

क्रम सं०	राज्य	बिजली खपत, लाख यूनिटों में				
		घरेलू	औद्योगिक	कृषि संबंधी	अन्य	कुल
1.	महाराष्ट्र	4480	32970	900	8820	47170
2.	पश्चिम बंगाल	5100	30100	40	5410	40650
3.	मद्रास	2140	17920	8200	3960	32220
4.	उत्तर प्रदेश	1919	16400	3160	2250	23720
5.	पंजाब	1140	19160	2110	1090	23500
6.	बिहार	610	13970	290	4460	19330
7.	गुजरात	1420	14210	1010	1320	17960
8.	मैसूर	1310	10360	660	1490	13820
9.	आन्ध्र प्रदेश	860	5750	1730	2150	10480
10.	मध्य प्रदेश	740	8690	120	730	10280
11.	उड़ीसा	300	8820	20	630	9770
12.	केरल	900	6030	240	330	7500
13.	राजस्थान	390	1990	200	680	3260
14.	असम	240	240	1	229	710
15.	जम्मू व काश्मीर		उपलब्ध नहीं है			
16.	नागालैंड	6	1	—	3	10

(ख) यह देखा जायगा कि 1965-66 के दौरान, आंध्र प्रदेश सोलह राज्यों में बिजली की खपत के सम्बन्ध में नौंवा स्थान रखता है।

(ग) विविध राज्यों में उपभोक्ताओं की विविध श्रेणियों की सम्भावित बिजली की मांगों के आधार पर बिजली जनन का आयोजन किया जा रहा है। जिन राज्यों में बिजली की सप्लाई अपेक्षतया कम है वहां नई स्कीमों को शीघ्र ही चालू करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं

7993. **श्री क० नारायण राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के पश्चात् विदेशी सहयोग से कितनी सिंचाई और विद्युत परियोजनायें पूर्णरूप से तैयार कर ली गई हैं;

(ख) क्या सहायता ली गई है तथा उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका के सहयोग से 30 विद्युत परियोजनायें पूरी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०- 975/68]**

Generation of Hydel-Power in Leh and Kargil

7994. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for generating hydel-power in Leh and Kargil ;

(b) if so, the target, in Kilowatts, fixed for generation of power in these areas under that Scheme and the progress made in the implementation of that Scheme ;

(c) in case the work of implementing the said scheme has not been started so far the reason therefor and the time by which that would be implemented ;and

(d) whether Government would generate power with small generators in case the implementation of the scheme, would take some time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). Certain proposals for hydel-power generation in Leh have been formulated by the Government of Jammu and Kashmir which are under consideration by the Government of India. Besides, certain potential hydro power sites both in Leh and Kargil are being investigated. No scheme for generation of hydel-power in Leh and Kargil has been

sanctioned for implementation. No target for power generation in these areas has, therefore, been fixed.

However, pending implementation of the hydel schemes in Leh and Kargil areas, small diesel power stations have been installed for supply of electricity.

भारतीय तेल निगम के चिकनाने वाले तेल का मूल्य ढांचा

7995. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार किये गये/बाजार में बेचे गये चिकनाने वाले तेल के मूल्य ढांचे के बारे में कोई जांच कराई है;

(ख) क्या अन्य उत्पादों के मूल्यों की तुलना में ये मूल्य दस से पन्द्रह प्रतिशत तक अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम के उत्पादों की लागत तथा मूल्यों में कमी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) आसाम आयल कम्पनी की दिग्वोई शोधनशाला के निम्न श्रेणी के लुब्रीकेण्ट्स के लघु उत्पादन को छोड़कर देश में वेस लुब्रीकेटिंग तेलों का अभी उत्पादन नहीं होता है। बरौनी शोधनशाला में वेस लुब्रीकेटिंग तेलों का उत्पादन परीक्षण चरण में है। अतः देश में उत्पादित लुब्रीकेटिंग तेलों के मूल्य ढांचा के बारे में अभी कोई जांच नहीं की गई है।

(ख) लुब्रीकेटिंग तेलों के कुछ विशेष ग्रेडों को छोड़कर, भारतीय तेल निगम द्वारा बेचे जाते लुब्रीकेटिंग तेलों के मूल्य दूसरी तेल कम्पनियों द्वारा बेचे जाते तेलों के मूल्य के बराबर हैं।

(ग) कुछ विशेष ग्रेडों की गुण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय तेल निगम तुलनात्मक मूल्यों पर वेस स्टाक्स के आयात में लगातार यत्न कर रहा है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन का दायित्व

7996. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय इण्डियन आयल कारपोरेशन का दायित्व लगभग 34 करोड़ रुपये है;

(ख) इन दायित्वों पर ब्याज के भुगतान के फलस्वरूप कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या दायित्वों को शीघ्र समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध किसी जांच के आदेश दिये गये हैं जो इन दायित्वों का शीघ्र निबटारा न करने के लिये जिम्मेदार हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1-12-67 को इंडियन आयल कारपोरेशन के मार्किटिंग प्रभाग के उपभोक्ताओं की ओर बकाया 34.72 करोड़ रुपये की रकम घट कर 31-3-1968 को 29 करोड़ रुपये रह गई थी।

(ख) भारत में पैट्रोलियम उत्पादों के व्यापार में मुख्य उपभोक्ताओं को उधार देना एक सामान्य बात है और उपभोक्ताओं की बकाया रकम पर ब्याज, तमाम तेल बेचने वाली कम्पनियों के सामान्य चालन व्यय का एक भाग है। अतः इस विषय में हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने बकाया रकम को शीघ्र इकट्ठा करने के लिये प्रबल कदम उठाये हैं और उठाये जा रहे हैं और इसमें काफी प्रगति हुई।

(घ) कारपोरेशन के प्रबंधकों ने इस समस्या पर निरन्तर अध्ययन किया है और समय-समय पर कार्य में सुधार लाने के लिये अपेक्षित कदम उठाये हैं।

मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी

7997. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री एस्थोस :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा करापवंचन के आरोपों के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल ही नहीं उठते।

(घ) आशा है कि जांच-पड़ताल वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाएगी। देर निम्नलिखित कारणों से हुई है :

(i) जांच-पड़ताल का सम्बन्ध कर-निर्धारण वर्ष 1946-47 से 1955-56 तक के वर्षों से है। पहले शिकायतें केवल कर-निर्धारण वर्ष 1946-47 से 1949-50 तक के वर्षों के बारे में प्राप्त हुई थीं। शिकायत की छानबीन करने के लिए इन सब वर्षों के बही खातों की जांच करना और कई गवाहों से पूछ-ताछ करना जरूरी था। कभी-कभी तो एक-एक गवाह से जिरह करने में निर्धारितियों वकील ने पन्द्रह दिन का समय लिया। काफी समय की जांच-पड़ताल

के बाद कर-निर्धारण वर्ष 1946-47 से 1949-50 तक के वर्षों के कर-निर्धारण पूरे किये गये परन्तु अपील में वे कर-निर्धारण रद्द कर दिये गये और कुछ प्रश्नों की फिर से जांच करने का हुक्म दिया गया ।

(ii) कर-निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1955-56 तक के वर्षों की शिकायतें बाद में प्राप्त हुई और जांच-पड़ताल चल रही है । बही खातों, गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच करने में समय लगता ही है । इसके अलावा निर्धारिती, वकील और गवाह अक्सर वाजिब कारणों से स्थगन-प्रार्थनाएं करते हैं जिन्हें स्वीकार करना पड़ता है ।

जांच-पड़ताल यथासम्भव शीघ्र ही पूरी करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कोचीन सीमा शुल्क गृह

7998. **श्री चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से सीमा शुल्क सहायक कलैक्टर के, जिसे 20,000 रुपए के मूल्य की विलक्षण कला वस्तुओं तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं का यात्री के साथ के सामान के रूप में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, मामले में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का ब्योरा क्या है और उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कार्य कब पूरा हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). इस मामले की विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) जांच-पड़ताल को जल्दी ही पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई मियाद निश्चित करना सम्भव नहीं है । चूंकि ऐसी जांच-पड़ताल में बहुत से कागजों की सावधानीपूर्वक छानबीन करनी होती है और गवाह से पूछ-ताछ करनी होती है, इसलिए कुछ समय लग जाना तो अनिवार्य है ।

दिल्ली के ट्रेवल एजेंसियों के कार्यालयों पर छापा

7999. **श्री नायनार :**　　　　　**श्री रमानी :**
श्री वि० कु० मोडक :　　　　**श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ट्रैवल एजेन्सियों के कार्यालयों से प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कागजात पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो जांच होने तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अन्य पार्टी अथवा देश का नाम क्या है ; और

(घ) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). जहां तक मैसर्स सीता वर्ल्ड ट्रैवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का सम्बन्ध है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से पता चला है विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, अन्य ट्रैवल एजेंसियों के मामलों की जांच की जा रही है। कानूनी कार्यवाही जांच पूरी होने पर ही की जा सकती है। इस स्थिति में, पकड़े गये कागजों अथवा यदि कोई अन्य पार्टियां अन्तर्ग्रस्त हैं तो उनके नाम प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी

8000. **श्री गणेश घोष :**　　　　　**श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री भगवान दास :　　　　　**श्री एस्थोस :**

क्या **वित्त** मन्त्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी से विभिन्न वर्षों के लिए केन्द्रीय करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार बकाया राशियों को बट्टे खाते डालने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 4 मार्च, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2647 के उत्तर में उल्लिखित 1946-47 से 1956-57 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की कोई रकम वसूली के लिये बकाया नहीं रहती है। लेकिन 1957-58 से 1962-63 तक के कर-निर्धारण-वर्षों के लिए 2,60,498 रुपए की रकमें वसूल होनी बाकी हैं।

अपीलीय आदेशों के कारण कर की वापसियों तथा पहले से की गई कुछ अदायगियों का समायोजन करने के पश्चात् इन बकाया रकमों में 1,23,441 रुपए की कमी हो जायेगी। शेष वास्तविक बकाया केवल 1,37,057 रुपए की रह जाती है जिसे अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अपील का निर्णय किए जाने तक स्थगित रखा गया है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई

8001. **श्री गणेश घोष :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई के मामले में की जाने वाली जांच में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री प्रमोद चक्रवर्ती के व्यवसाय तथा रहने की जगहों की तलाशी लेने से जो कागज-पत्र पकड़े गये थे, उनकी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छानबीन की जा चुकी है। छानबीन से इस आरोप के सम्बन्ध में कोई दोषारोपणीय सामग्री प्राप्त नहीं हुई है कि श्री प्रमोद चक्रवर्ती ने जापान में यथास्थिति-स्थान पर फिल्म शूटिंग के लिए अनधिकृत जरियों से विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी। फिर भी इस मामले में कुछ और जांच-पड़ताल अभी की जा रही है।

जहां तक आयकर के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल का सम्बन्ध है, वह मामला कर निर्धारण-वर्ष 1968-69 का है जिसके लिए आयकर-विवरणी पेश होने का अभी समय नहीं हुआ है। फिर भी जांच-पड़ताल चल रही है।

(ख) से (घ). यह सही-सही बताना सम्भव नहीं है कि जांच-पड़ताल कब पूरी होने की सम्भावना है। जांच-पड़ताल के स्वरूप को देखते हुए उसके पूरी होने की समय सीमा निश्चित करना भी संभव नहीं है, किन्तु उसे, जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं।

मैसर्स साहू जैन

8002. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2521 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साहू जैन की ओर बकाया 136.67 लाख रुपए की आयकर की राशि को वसूल करने के बारे में कुछ मामलों के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चल रही कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और इस बकाया को वसूल करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना अर्थ-दण्ड दिया गया है अथवा कोई अन्य कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

साहू जैन सार्थ समूह की फर्मों को दी गई विदेशी मुद्रा

8003. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री भगवान दास :**
श्री अब्राहम : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साहू जैन सार्थ समूह की विभिन्न फर्मों को गत पांच वर्षों में दी गई कुल विदेशी मुद्रा तथा उनके द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक प्राप्त कर ली जायेगी और देरी के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना अभी तक इकट्ठी नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में जैसा उल्लेख किया गया है, साहू जैन समूह में 26 कम्पनियां तथा फर्में हैं । फर्म अथवा कम्पनियों के समूह को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा

भिन्न-भिन्न रूप में होती जाती है । दी गयी अधिकांश विदेशी मुद्रा आयात लाइसेंसों के रूप में होती है । यह यात्रा अथवा अन्य विविध प्रयोजनों के लिए भी हो सकती है । यात्रा अथवा अन्य विविध प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सूचना भारत के रिजर्व बैंक से प्राप्त की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

आयात लाइसेंसों के लिए दी गई विदेशी मुद्रा के बारे में सूचना विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों से इकट्ठी की जा रही है । यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने में समय लगेगा ।

Operations Under Family Planning Programme

8004. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether under the Family Planning Programme, any such record is kept in the Family Planning Centres in which the age of the person undergoing operation is also noted along with his other particulars;

(b) if so, the number of persons who underwent operations under the family planning programme in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar since December, 1967 till date;

(c) the number of men and women among them;

(d) the number of persons whose age was more than 50 years and who have undergone operation during the above period; and

(e) the amount paid by Government under the family planning scheme to the doctors and the persons undergoing operation in the said States during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) Yes.

(b) and (c). The required information so far available for December, 1967 and January 1968 only is as follows:

Sterilisation Operations

State	Male	Female	Total
Bihar	22,948	470	23,418
Madhya Pradesh	17,734	1,163	18,897
Uttar Pradesh	60,870	949	61,819

Up to-date information is being collected from the State Governments.

(d) and (e). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कर की बकाया राशि

8005. **श्री सत्यनारायण सिंह : श्री नम्बियार :**
श्री उमानाथ : श्री एस्थोस :

क्या **वित्त** मंत्री 29 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर वर्ष 1941-42 से 1962-63 की केन्द्रीय कर की 312.64 लाख रुपये की बकाया राशियों को वसूल करने के काम में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इतनी लम्बी अवधि के लिए बकाया राशियों को वसूल करने के काम में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया राशियों को बट्टे खाते डालने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरकों की खरीद

8006. **श्री विश्वनाथ मेनन : श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री प० गोपालन : श्री पी० राममूर्ति :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2539 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की खरीद के सम्बन्ध में उर्वरक निर्माताओं से बातचीत कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उर्वरक निर्माताओं से और किन शर्तों पर करार किया गया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इस करार के अन्तर्गत तय किये गये मूल्य सार्वभौमिक टेंडर मूल्यों से कम हों ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक पण्य

8007. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में स्त्रियों के अनैतिक पण्य में वृद्धि के बारे में किये गये सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसका विवरण 30 मार्च, 1968 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य को रोकने के अधिनियम में अन्तर्निहित कमजोरियों के कारण अपराधों के अधिकतर मामलों में इस कानून को समुचित ढंग से लागू नहीं किया जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). सरकार ने समाचार पत्र में छपी खबर देखी है। दिल्ली में स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्य बताने सम्बन्धी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू करने सम्बन्धी क्रमबद्ध अध्ययन के विषय में उसमें कुछ नहीं कहा गया है। अध्ययन का आधार वे 160 मामले हैं जिन्हें जनवरी, 1967 से अगस्त, 1967 तक दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट ने निपटाया है। उपसंहार सामान्य प्रकार के हैं।

मैसर्स फिल्मिस्तान (पी०) लिमिटेड, बम्बई की ओर करों की बकाया राशि

8008. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री प० गोपालन : **श्री नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड बम्बई से 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63 की अवधि की केन्द्रीय करों की 116.97 लाख रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उक्त वर्षों के लिए 31 मार्च, 1967 को 116.97 लाख रुपये की रकम बकाया रहती थी।

(ख) उपर्युक्त बकाया में से 1,03,000 रुपये की रकम वर्ष 1967-68 के दौरान वसूल की जा सकी है।

निर्धारिती जालान समूह से सम्बन्धित है। बकाया रकमों का सम्बन्ध कर निर्धारण में बढ़ाई गई अतिरिक्त रकमों तथा लगाये गये दण्ड के बारे में उठाये गये विवाद से है। इन मामलों में अपीलें दायर की गई हैं जो अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त अथवा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के यहां विचाराधीन हैं। अपीलीय सहायक आयुक्त तथा न्यायाधिकरण से प्रार्थना की गई है कि वे विचाराधीन अपीलों का फैसला जल्दी कर दें।

जिलाधीश को वसूली के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं और कम्पनी की सभी परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है। समूह के अन्य निर्धारितियों की तरफ भी कर की रकमें बकाया रहती हैं और इसलिए समग्र रूप से समूह को अदायगी की एक योजना की अनुमति दे दी गई थी जिसके अनुसार उन्हें 13.50 लाख रुपये की अदायगी 1967-68 में, और 1.50 लाख रुपए की मासिक अदायगी अप्रैल, 1968 से जनवरी, 1969 तक तथा फरवरी एवं मार्च, 1969 में प्रतिमास 2.50 लाख रुपये की अदायगी करनी थी। इस बात का पता लगा लिया गया है कि समूह ने वित्त वर्ष 1967-68 में 12 लाख रुपये की अदायगी की है। 1 अप्रैल, 1968 को 1.5 लाख रुपये के एक और चैक की रकम वसूल हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Recruitment Rules for Superintendent Posts in the Town and Country Planning Organisation

8009. **Shri Shri Chand Goel:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether the rules relating to the recruitment to the post of Superintendent in Town and Country Planning Organisation published in the Gazette of India, dated the 28th February, 1968, have come into force;

(b) if so, the date from which they have been brought into force;

(c) whether it is also a fact that efforts are being made to get these revised ;and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No.

(b) Question does not arise.

(c) Yes, it is proposed to revise the rules.

(d) It is proposed to bring the rules relating to recruitment to the post of Superintendent in the Town and Country Planning Organisation in conformity with the recruitment rules applicable to similar posts in other subordinate offices under this Ministry.

Owner of Gold Confiscated from B. O. A. C. Plane

8010. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been invited through a letter to this fact

that information furnished by the B. O. A. C. regarding the 'actual owner' of the gold seized by Delhi Customs Authorities was entirely wrong;

(b) whether the attention of Government has also been drawn to the fact that the 'Traffic Manual' of the B. O. A. C. has openly mentioned about smuggling of South African goods in the hold of aeroplanes in violation of Indian Law;

(c) whether Government have since received the information that the B. O. A. C. has smuggled goods such as gold worth crores of rupees from South Africa to India or to other countries en route India; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to cancelling licence of the B. O. A. C. in view of their activities?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) A letter containing this allegation has been received.

(b) The attention of the Government has been drawn to that instruction of the Traffic Manual extract of which is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-976/68].** It is understood that the Manual has since been revised and this particular instruction has been deleted.

(c) The Collector of Customs and Central Excise, Delhi, in his order in original No. 2/68 dated 15th February, 1968 has referred to six cases where gold appears to have been taken in transit through India under the declaration of 'Metal' or 'Metal V'. It is, however, not known whether in these cases the gold was of South African origin.

(d) There is at present no proposal under consideration for cancelling the licence of the B. O. A. C. Fines and penalties have been imposed on B. O. A. C. for violations of Customs and allied laws.

विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली

8011. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र बनाने के लिये नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस विचार से प्रेरित होकर सरकार ने इस भूमि का आवंटन किया है ;

(ग) क्या दूतावासों अथवा सरकारी कार्यालयों को आवंटित करने के लिए यह भूमि आरक्षित की गई थी ; और

(घ) क्या इस भूमि पर बनाई जा रही इमारत के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ शर्तें हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। चाणक्यपुरी में 2.149 एकड़ भूमि का प्लाट विश्व युवक केन्द्र को अपना कार्यालय भवन,

पुस्तकालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन (इन्टरनेशनल स्टूडेन्ट्स हाउस) के निर्माण के लिये आवंटित कर दिया गया है ।

(ख) सरकार की यह निश्चित राय थी कि युवक केन्द्र आवंटन के योग्य है तथा उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये एक आवंटन सार्वजनिक हित में होगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) शर्त यह है कि विश्व युवक केन्द्र भूमि का उपयोग केवल अपने कार्यालय भवन, पुस्तकालय तथा छात्रावास भवन के निर्माण के लिये करेगा ।

राजधानी का योजनाबद्ध विकास

8012. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के सुयोजित विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विनियमों के अनुसार भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या उद्योग विभाग के 1966 के सर्वेक्षण के अनुसार मुख्यतः रिहायशी क्षेत्रों में निश्चित अवधि के भीतर विनियमों के विरुद्ध भूमि के उपयोग को रोक सकना सम्भव नहीं हो सका है ;

(ग) क्या अस्थाई भवनों का निर्माण करके केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सचिवालय क्षेत्र में भूमि के प्रयोग के विनियमों का पालन कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं ।

(ख) अनुरूप एककों को औद्योगिक प्लाट देने का काम फिलहाल हानिकर उद्योगों और ऐसे अनुत्रास वाले उद्योगों तक ही सीमित रखा गया है जो अत्यधिक अनुपयुक्त स्थानों पर चल रहे हैं । अन्य अनुरूप एककों को जो स्वेच्छा से हटने के लिये तैयार हैं और तुरन्त अधिमूल्य का पूरा भुगतान करने को तैयार हैं, जमीन देने का भी विचार किया जा रहा है । अब तक अलग-अलग आकार के 5,502 औद्योगिक प्लाटों का विकास किया गया है और इनमें से लगभग 1600 प्लाट 31 मार्च, 1968 तक दिये भी जा चुके हैं ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सचिवालय के क्षेत्र का नियमानुकूल उपयोग ही किया जा रहा है । वस्तुतः इस क्षेत्र के आयोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की हुई है ।

पाकिस्तान द्वारा देय धनराशि

8013. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाजन-पूर्व ऋण के पाकिस्तान के हिस्से की लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि पाकिस्तान की ओर बकाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक में दायित्वों के विवरणों में दिखाई जाती रही है;

(ग) इस बड़ी राशि को वसूल करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या पाकिस्तान से इस ऋण पर कोई ब्याज भी मांगा जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). देनदारियों के विवरण में, पाकिस्तान द्वारा देय लगभग रकम 300 करोड़ रुपया दिखायी गयी है, जिससे भारत सरकार की परिसम्पत्तियों और देनदारियों की काफी हद तक ठीक-ठीक स्थिति प्रकट हो जाय।

(ग) ठीक-ठीक देय रकम को तय करने और पाकिस्तान सरकार के जवाबी दावों को तय करने के लिये,दोनों देशों के बीच नवम्बर, 1960 में मन्त्रियों के स्तर पर बातचीत की गयी थी। इसमें कोई भी परस्पर सम्मत समझौता नहीं हो सका और उसके बाद फिर बातचीत करना भी सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) पाकिस्तान का विभाजन-सम्बन्धी ऋण ब्याज सहित वसूली-योग्य है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में डिफेन्स कालोनी में गन्दे पानी के नाले का ढका जाना

8014. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में डिफेंस कालोनी में गन्दे पानी का नाला समुचित स्वच्छता के मार्ग में एक गम्भीर बाधा है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तथा हानिप्रद है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गन्दे पानी के इस नाले को ढकने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। डिफेंस कालोनी से गुजरने वाला नाला बरसाती पानी का नाला है।

सूखे मौसम में इसमें भूगत जल ही बहता है जो कि डाबर से भिन्न है।

(ख) और (ग). जी नहीं। तथापि इस नाले के दोनों ओर पत्थर लगाने और सूखे मौसम वाले जल को ले जाने के लिये बीच में कनेट की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव पर नगर निगम का जलपूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम विचार कर रहा है।

"हालवा कोष्ठी" को अनुसूचित आदिम जाति मानने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का आदेश

8015. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के "हालवा कोष्ठी" को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल कर लिया है और उन्हें सभी रियायतें दे दी गई हैं जिनमें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां शामिल हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी कलेक्टरों को उपरोक्त आदेश को क्रियान्वित करने के लिये 27 सितम्बर, 1967 को परिपत्र संख्या सी० बी० सी० 1466/91837/एम० जारी किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 4181, जिसका उत्तर 18 मार्च, 1968 को लोक सभा में दिया गया, की ओर ध्यान आमंत्रित है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने यह परिपत्र नहीं देखा है। यदि "हालवा कोष्ठी" इस परिपत्र में दी गई अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल है तो उसे वैध नहीं माना जायेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

8016. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के लिये मैट्रिक के बाद पढ़ाई करने के लिये छात्रवृत्तियां दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां कितनी हैं और विद्यार्थियों को कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां। "अन्य पिछड़े वर्गों" सम्बन्धी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति परियोजना के अन्तर्गत ऐसे आदिवासी विद्यार्थी भी इसके पात्र हैं।

(ख) और (ग). "अन्य पिछड़े वर्गों" के सम्बन्ध में जातिवार और आदिमजातिवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

Post Matric Scholarships to S. C. Students

8017. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that scholarships for Post-matric studies to the students of Scheduled Castes under the centrally sponsored scheme were not paid for the academic year 1967-68 in the Maharashtra State ; and

(b) if so, the reasons for not paying new scholarships or for delay in payment thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No such general complaint has come to Government's notice.

(b) Does not arise.

Reduction in Dearness Allowance

8018. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce dearness allowance in view of the steep fall in the consumers' price index and constant decrease in the price of foodgrains ; and

(b) if so, the nature of such proposals ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Dearness Allowance of Central Government employees is revised with reference to the 12 monthly average of the All-India Working Class Consumer Price Index Number (1949=100). Since the latest average is higher than 205—the level to which the current rates of dearness allowance are related—the question of reducing the current rates of dearness allowance does not arise at this stage.

'हालवा कोष्टि' जाति के छात्रों को मेंट्रिकोत्तर छात्रवृतियां

8019. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ प्रदेश के "हालवा कोष्टि" जाति के छात्रों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत चालू अधिवेशन के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं तथा कितनी राशि की ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4181, जिसका उत्तर 18-3-68 को दिया गया तथा

जिसमें "हालवा कोष्ठी" के कानूनी दर्जे का स्पष्टीकरण है, की ओर ध्यान आमंत्रित है। तो भी यह सम्भव में कि इस जाति के कुछ विद्यार्थियों ने 'अन्य आर्थिक पिछड़े वर्गों', के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्राप्त कर ली हों। इस वर्ष के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर की पात्रता का निश्चय वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है तथा जाति पर विचार नहीं किया जाता। इस वर्ग को जाति के आधार पर छात्रवृत्तियां न दिये जाने के कारण पृथक-पृथक जातियों सम्बन्धी आंकड़े प्राप्य नहीं।

जीवन बीमा निगम द्वारा बन्धक ऋण दिया जाना

8020. **श्री नारायण : श्री चित्ति बाबू :**
श्री मयावन : श्री सुब्रावेलु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम 25,000 रुपये से कम राशि का बन्धक ऋण नहीं देता ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कम आय वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिये यह सीमा कम करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस पर विचार करना निगम का काम है।

Electricity for Tubewells in Madhya Pradesh

8021. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have demanded any financial assistance from the Central Government for providing electricity for Tubewells installed in Madhya Pradesh during the year 1968-69 ; and

(b) if so, the amount requisitioned and the reaction of the Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Central assistance is provided for rural electrification schemes with a bias towards energisation of pumping sets. For 1968-69, the representatives of the State Government of Madhya Pradesh indicated during the annual plan discussions an outlay of Rs. 4 crores for rural electrification with a bias towards energisation of pump-sets/tubewells. The allocation in this respect for Madhya Pradesh for 1968-69 will be decided after the quantum of overall Central assistance for the State Plan is finalised.

Allocation for Irrigation and Power Project in Madhya Pradesh

8022. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the amounts allocated and paid to Madhya Pradesh by the Central Government for irrigation and power projects during each of the last three Five Year Plans and whether these amounts were given for specific projects; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (**Shri Siddheshwar Prasad**): (a) and (b). Earmakred Central loan assistance was given to the Government of Madhya Pradesh for financing expenditure in respect of specific Irrigation and Power projects/programmes during the first three Five Year Plans.

The amounts allocated and paid during the First, Second and Third Five Year Plans for these specific projects/programmes are given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. L. T.-977/68]**

Dispensary at Kirti Nagar, Delhi

8024. **Shri Bal Raj Madhok**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residents of Kirti Nagar, Delhi have represented to Government for opening a Dispensary in that locality;

(b) whether it is also a fact that a plot of land is also lying over there for constructing a Dispensary building; and

(c) if so, the reasons for not opening a Dispensary in the aforesaid locality?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (**Shri B. S. Murthy**): (a) Kirti Nagar area is already covered by the C. G. H. S. Dispensary in Moti Nagar.

(b) and (c). The plot of land in Basai Darapur area which was proposed for a C. G. H. S. Dispensary has not yet become available to the C. G. H. S. authorities due to some litigation.

Vigilance Department for Electricity Board U. P.

8025. **Shri Yashpal Singh**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no Vigilance Department for attending to the complaints of the public against the Electricity Board of Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government propose to set up such a Department; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (**Shri Siddeshwar Prasad**): (a) to (c). The employees of the U. P. State Electricity Board come within the purview of the U. P. Vigilance Commission which was set up in July, 1964. This Commission

exercises general control and supervision on vigilance and anti-corruption work. An Executive Engineer has been posted since January, 1968, at the headquarters of the State Electricity Board at Lucknow to look into complaints.

Raid on house of Managing Director of Advance Insurance Company

8026. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Shri Chand Goel :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during a raid conducted by the Income-tax Officer, Central Section, Bombay, on the 24th November, 1965 at the residence of the Managing Director of Advance Insurance Company, Bombay, Shri S. C. Kedia, a file was taken away by the raiding I. T. O. which contained claims of M/s. Timber Trading Corporation (P) Ltd. which included the opinions of Shri M. C. Setalwad, Ex-Attorney General of India and Pen and Company, Solicitors of Bombay, the Survey Report of C. P. Mehta and Company, Surveyor, the Audit Report of Rashim Desai, Auditor and a copy of the report of New India Insurance Company submitted to its chairman, Shri A. D. Saraf, and this file was kept by the official for a period of about one and a half years and this was done without any reason to believe ; and

(b) if so, the reasons for bringing documents pertaining to claim during the said raid ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Yes Sir. The search was authorised as the Commissioner had reason to believe that material relevant to assessment would be found. The file was seized, as the Officer authorised to search the premises considered it relevant. It was, however, returned after 5 months and not 1½ years.

डालर की चोरबाजारी

8027. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में धन के अनधिकृत लेन-देन के बारे में जानकारी है जिसमें चोरबाजारी से डालर का मूल्य 9 रुपये से 12 रुपये तक तथा पौंड का 20 रुपये से 22 रुपये तक है ;

(ख) यदि हां, तो धन के इस अनधिकृत लेन-देन को रोकने की दृष्टि से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि धन के अनधिकृत लेन-देन के साथ-साथ होने वाले इस अनधिकृत लेन-देन से रुपये के और अवमूल्यन की प्रवृत्ति है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि अमरीकी डालर और पौंड स्टर्लिंग की सरकारी दरों से ऊंची दर पर विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री के कुछ लेन-देन भारत में होते रहते हैं ।

(ख) मुद्रा विनिमय की सरकारी दरों से भिन्न दरों पर विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के अधीन जुर्म है और इन अपराधों की रोकथाम करने वाले विभाग ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिये योग्य उपाय और आवश्यक कार्यवाही करते रहते हैं।

(ग) जी, नहीं।

चम्बल क्षेत्र परियोजना

8028. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने चम्बल क्षेत्र के लिये 8 करोड़ रुपये की योजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) इस योजना का काम कब शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इस स्कीम की जांच कर रहा है।

(ग) स्कीम में सम्मिलित बुरी तरह प्रभावित कुछ क्षेत्र पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

कैनिंग परियोजना

8029. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कैनिंग परियोजना वस्तुतः बन्द हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खुदाई कार्यों के लिये अपेक्षित सामग्री वहां समय पर नहीं भेजी गई है जिसके परिणामस्वरूप बहुत हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना से बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। किन्तु व्यधन तार के जटिल रूप से उलझ जाने से इस कुएं के व्यधन में बाधा पड़ी। इस उलझन को सुलझाने के लिये आयोग की बृहत्तर परियोजना से

विशिष्ट उपकरण प्राप्त करना पड़ा। ऐसी बाधाएं कभी-कभी हो जाती हैं और प्रत्येक छोटी परियोजना में ऐसे विशिष्ट एवं मूल्यवान उपकरण का रखना बहुत महंगा रहेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Awards Given to Custom Officials to Check Smuggling

8030. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature of awards given be Government to those Customs officials who extended their fullest co-operation to Government in checking smuggling during the year 1967-68 ; and

(b) the list of Customs officials awarded prizes ?

The Deputy Prime Minister and Minister Finance of (Shri Morarji Desai) : (a) The following two types of Presidential awards are given to the officers and staff of the Central Excise, Customs and Narcotics Departments and the Enforcement Directorate :

(i) Appreciation Certificates for exceptionally meritorious service rendered even at the risk of life Cash allowance varying from Rs. 25/- to Rs. 10/- P. M. is paid for a period of 5 years to officers not above Class II gazetted rank. If a person loses his life in the performance of the meritorious service his widow or dependents are entitled to the monetary allowance for a period of 10 years or till the remarriage of widow whichever is earlier. Where a person who has already been granted a monetary allowance under this scheme receives a further Certificate of Appreciation, he will be entitled to an additional monetary allowance ranging from Rs. 5/- to Rs. 12/- P. M. for a period of 5 years from the date on which the further meritorious act is done ; and

(ii) Appreciation Certificate for specially distinguished record of service.

No monetary allowance is attached to this type of certificate.

(b) (i) Shri J. N. Ramchandani, Preventive Inspector, Customs House, Bombay was awarded an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service on Republic Day, 1968.

(ii) Late Shri Jayant Sitaram Patole, Inspector of Central Excise, Bombay Collectorate, was awarded an Appreciation Certificate (posthumous) for exceptionally meritorious service even at risk to life, on the Independence Day 1967. This carries along with it a cash allowance of Rs. 25/- p. m. payable to his widow for a period of 10 years ordinarily, from the date of the meritorious act.

(iii) Shri S. Sabapathi, Superintendent of Central Excise, Madras Collectorate, was awarded an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service, on the Republic Day 1968.

National Committee for Social Problems

8031. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Shri Hanning Freeze, Adviser, Social Research and Planning, U. N. O.,

while addressing a Press Conference on the 26th Mareh 1968 has suggested the Constitution of a National Committee in India for the solution of its Social problems ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The Government have seen the Press report in which Shri H. Friis has suggested the constitution of a national body in India responsible for research in matters directly related to the generally problems of Social policy.

2. The Planning Commission at the nation level is already sponsoring research on certain aspects of social programmes and social welfare. The suggestion for a national body for research in problems of social policy has been referred to the Planning Commission for consideration in connection with the Fourth Plan.

Refining of Petroleum by Barauni Oil Refinery for Air-Crafts

8032. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Barauni Oil refinery is refining petroleum for air-crafts ;

(b) if so, whether the oil has been found suitable for aircrafts in every way and no complaint has been received in regard to any defect or disorder caused to engines of aircrafts due to usage of this oil ; and

(c) if so, how far the news item published in the "Current" of the 30th March, 1968 to the effect that as the refined oil was likely to be analysed, a large quantity of such oil was destroyed with a view to evade analysis thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The oil produced at the refinery fulfils the specifications adopted by the users in India. However in July, 1967, the I. A. F. and H. A. L. pointed out that owing to lack of lubricating quality in the fuel, 12 fuel pumps of the Gnat Aircrafts had failed and, in one or two cases, the moving parts welded together by the excessive heat. In the light of that experience steps were taken thereafter to improve the lubricating quality of the oil. Since then there has been no complaints from the users.

(c) The Government have no information to this effect. As has already been intimated to the House, a Commission of Inquiry has been set up to go into the facts regarding water pollution of Ganges near Monghyr and allied matters.

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा प्रान्तीय सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रशिक्षण की सुविधाएं

8033. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 14 अप्रैल, 1964 को तत्कालीन गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के युवकों को भारतीय

प्रशासनिक सेवा तथा प्रान्तीय सिविल सेवा की परीक्षाओं से पहले प्रशिक्षण की तथा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सुविधाएं देने के लिये सरकार के निर्णय के अनुसरण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अब तक इस प्रयोजन के लिये आवश्यक योजनाएं बनाई तथा उन्हें क्रियान्वित किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(घ) इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ङ) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सभी प्रकार के रिक्त पदों, विशेषकर श्रेणी में तीन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के युवकों के लिये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम आरम्भ करना स्वीकार किया था, उसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(च) क्या वचन के अनुसार 1964 में संघ लोक सेवा आयोग की कुछ विशिष्ट परीक्षाओं के लिये दिल्ली में वास्तव में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). पाकिस्तान से विग्रह होने तथा उसके परिणामस्वरूप बजट की संकृष्टता के कारण इस प्रकार की कोई नई योजना हाथ में न ली जा सकी । राज्य आवश्यक वित्तीय संसाधन न देख पाये । तो भी वित्तीय वर्ष 1967-68 में कुछ समारम्भ हुआ । आठ राज्यों--आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तथा उत्तर प्रदेश ने परीक्षा पूर्व के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का समारम्भ किया । इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में उनके लिये 4 लाख रुपये नियत किये गये ; यह परियोजना चालू वित्तीय वर्ष में कार्यसाधक रूप से प्रवर्तन में आयेगी ।

(ङ) आरम्भिक विचार यह था कि यह परियोजना रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशन के माध्यम से कार्यान्वित हो । राज्यों के प्रत्युत्तर अथवा प्रतिचार को ध्यान में रखते हुए वह विचार त्याग दिया गया ।

(च) वह एक प्रस्ताव था, वचन अथवा प्रतिज्ञा नहीं । बजट सम्बन्धी परिसीमाओं के कारण यह प्रस्ताव कार्य-रूप में परिणत न हो सका ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

8034. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 14 अप्रैल, 1964 को तत्कालीन गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों का अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नौकरी में लेने तथा कुछ विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारी रखने सम्बन्धी इसी प्रकार की नीति के समान कर्मचारियों की नियुक्ति के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहने के सरकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई योजना बनाई गई थी तथा क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस योजना और सार्वजनिक सूचना की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाएंगी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). इस विषय पर अभी तक के उद्योग और सम्भरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय मे रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-978/68**] इस स्वैच्छिक परियोजना से सम्बन्धित प्रतिचार उत्साहजनक नहीं है ।

ग्रामीण आवास परियोजनाएं योजना

8035. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 25 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 832 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास परियोजना योजना पर वर्ष 1957 से लेकर आज तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या अनुसूचित बैंकों के लिये जो उनकी आस्तियों के रेहन पर मकान बनाने के लिये ऋण देते हैं, सरकार का विचार फिर से धन की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित वित्त के आभाव में सरकार का विचार वासयोग्य मकानों की कमी को किस प्रकार दूर करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 1968 तक विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को कुल 920.83 लाख रुपये की राशि दी गयी है । इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1967 तक जीवन बीमा निगम, भारत के द्वारा आवास के लिए दी गयी 92.82 लाख रुपयों की राशि की ऋण-निधियों का भी राज्य सरकारों के द्वारा उपयोग कर लिया गया है । 1967-68 के दौरान राज्य सरकारों के द्वारा जीवन बीमा निगम की निधियों की राशियों के उपयोग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) नवम्बर, 1967 में मद्रास में हुई आवास मंत्रियों के सम्मेलन में गैर-सरकारी तथा संस्थात्मक क्षेत्रों के स्रोतों का उपयोग करने की दृष्टि से निम्नांकित सिफारिशें की गई :

(i) व्यापारिक बैंकों (कार्मशियल बैंक्स) को आवास कार्यक्रम के लिए अपनी पेशगियों का एक विशेष प्रतिशत निर्धारित करने का निदेश दे दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

(ii) राज्यों में आवास बोर्डों को यह अनुमति दे देनी चाहिए कि वे आवास कार्यक्रम के लिए अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए ऋण-पत्र जारी करें तथा व्यापारिक आधार पर अपनी निधियों के एक भाग का उपयोग करें। ऐसे व्यापारिक उपयोग के लाभ में से उन्हें आवर्तक निधि (रिवाल्विंग फन्ड्स) स्थापित करने की अनुमति भी दी जाये।

(iii) आवास कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी बचत तथा अतिरिक्त स्रोतों की व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय आवास तथा वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिए।

(iv) नए बने मकानों के लिए प्रोत्साहन दिया जाये जैसे कि एक निश्चित अवधि के लिए, उदाहरणतः 5 वर्ष, कर छुट्टी (टैक्स हालीडे) देने पर विचार किया जाये।

(v) आवास के स्रोतों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को अल्प-बचत से वर्तमान $\frac{2}{3}$ रिलीज के ऊपर अतिरिक्त रिलीज का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(vi) आवास के लिये कर्मचारी की जीवन निधि में से तथा एम्पलाईज स्टेट इन्शोरेंस फन्ड्स में से पर्याप्त राशि दी जाये।

उपर्युक्त सिफारिशें परीक्षाधीन हैं।

पी० एल० निधियों से अमरीकी व्यय में तेजी से वृद्धि

8036. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में पी० एल० 480 निधियों से अमरीकी व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस वृद्धि से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर होने वाले प्रभावों के बारे में अमरीकी दूतावास का ध्यान दिलाया है; और

(ग) 430 करोड़ रुपये के अमरीकी ऋण किन योजनाओं के निमित्त थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966-67 और 1967-68 में पी० एल० 480 की निधियों से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया व्यय,

1965-66 और उससे पहले के वर्षों के व्यय से काफी अधिक था। इसका कारण अंशतः संयुक्त राज्य अमेरिका की यह विश्वव्यापी नीति थी कि उसके पास जो स्थानीय मुद्रा हो उसका उन प्रयोजनों के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जाय जिनके लिये उसका उपयोग किया जा सकता हो, और अंशतः मुख्यतः मूल्य-वृद्धियों के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई आवश्यकताएं थीं।

(ख) प्रति वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास, सरकार को, बजट बनाये जाने से पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यय के लिए आवश्यक अनुमानित रकम की सूचना देता है और इस रकम के बारे में दोनों सरकारें परस्पर परामर्श करती हैं।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के 430 करोड़ रुपये के किसी ऋण का पता नहीं है।

कलकत्ता में एयर इण्डिया के अधिकारी के निवास-स्थान की तलाशी

8037. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के कलकत्ता कार्यालय के एक अधिकारी (श्री आर० मिश्र) के निवास-स्थान की 11 नवम्बर, 1967 को विनिमय नियंत्रण प्रवर्त्तन शाखा द्वारा तलाशी ली गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). यह सच है कि 10 नवम्बर, 1967 को कलकत्ता में एयर इंडिया के श्री आर० पी० मिश्र के निवास-स्थान की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी ली गयी थी, क्योंकि यह विश्वास करने का कारण था कि श्री मिश्र ने विदेशी मुद्रा के कुछ अनधिकृत लेन-देन किये थे।

ठेकेदारों के नाम काली सूची में दर्ज करना

8038. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960 से लेकर आज तक कदाचार के कारण कुछ ठेकेदारों के नाम काली सूची में दर्ज किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी ठेकेदारों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके नाम काली सूची में दर्ज किए गये हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक को इस तरह दण्डित किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस सूचना का देना जनहित में नहीं होगा।

Jhuggi-Jhonprie Removal Scheme in Delhi

8040. **Shri T. P. Shah:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Standing Committee of Municipal Corporation of Delhi has sent a letter to Government, wherein he has opposed the policy adopted by Government in regard to Jhuggi-Jhonprie Removal Scheme ;

(b) whether it is also a fact that Government have asked the Delhi Administration to suspend the work of demolishing jhuggi-jhonpries at present ; and

(c) if so, the reasons for adopting such a duplex policy ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes. A letter was received and a reply is being sent to him.

(b) and (c). Clearance operations under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme have been suspended temporarily. Before removing squatters from their present places of squatting, the amenities made available at the sites to which the squatters are shifted are proposed to be inspected by a small committee.

दिल्ली में मकानों की कमी

8041. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृहत्त योजना में मकान बनाने के कार्यक्रम के लिए ऐसे मकान निर्धारित किये गये हैं जिनका यथार्थता से कोई संबंध नहीं है और जो व्यवहार्य नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1961 में 1,50,000 मकानों की कमी थी और 6 वर्षों के बाद भी दिल्ली विकास आथिक मकानों के लक्ष्य पूरे करने में असफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू०मूर्ति) (क) मास्टर प्लान में मकान बनाने के लिए किसी सांविधिक कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं है, किन्तु मास्टर प्लान को तैयार करते वक्त किये गये कार्य-अध्ययनों से ज्ञात होता है कि दिल्ली की 1981 तक की प्रक्षिप्त आबादी की मकान संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए साढ़े सात लाख रिहायशी मकानों की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ख) और (ग). मकान कम तो बने हैं किन्तु मकानों की इस कमी को पूरा करने का काम अकेले दिल्ली विकास प्राधिकार का नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकार अधिक से अधिक मकान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ।

स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण

8042. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष वित्त विधेयक में प्रस्तावित नये भारी जुर्मानों को विशेषरूप से ध्यान में

रखते हुये क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति ने हाल ही में सीमा-शुल्क संबंधी अपीलें सुनने के लिये एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का सुझाव सरकार को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उक्त समिति सीमा-शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित नहीं है, और उससे सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर राज्य में भद्रा नदी के जल का दूषित होना

8043. **श्री क० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में भद्रावती में भद्रा नदी का जल भद्रावती कागज मिल की गन्दगी मिल जाने के कारण दूषित हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से जाली नुस्खों के द्वारा महंगी दवाइयों का निकाला जाना

8044. **श्री अम्बचेजियान** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अनेक औषधालयों से जाली नुस्खों द्वारा भारी मात्रा में महंगी दवाइयां निकाल ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में ऐसी दवाइयां डिस्पेंसरियों से निकाली गई हैं;

(ग) यदि इस मामले में किन्हीं चिकित्सा अधिकारियों का हाथ है तो उन समेत अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). जुलाई 1967 में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, पटेल नगर-2 का एक

कर्मचारी जाली नुस्खों पर कुछ दवाइयां लेते हुए पाया गया। इस समय इस मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है।

(घ) भविष्य में इस प्रकार के दूषित प्रवृत्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. औषधालयों में स्टाकों की जांच-पड़ताल संबंधी व्यवस्था और सुदृढ़ कर दिया गया है और जांच कर्त्ताओं द्वारा स्टाकों की जांच-पड़ताल जल्दी-जल्दी करने की व्यवस्था की गई है।

2. इस सम्बन्ध में व्यापक निर्देश जारी किये गये हैं जिनके अनुसार चिकित्सा अधिकारी औषधालयों की अनेक बार सामयिक पड़ताल करते रहेंगे।

3. सभी दवाइयों के डिब्बों, बोतलों तथा बहुत सी गोलियों में सी० जी० एच० एस० का विशिष्ट चिह्न लगाने की व्यवस्था की गई है।

4. कीमती दवाइयों को केवल औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी की जाने वाली छपी और मशीन से नम्बर पड़ी हुई स्लिपों पर ही देने का निदेश दिया गया है।

Loss of Vision After Taking Country Liquor

8045. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Hindustan Times' dated the 3rd April, 1968 under the heading 4 men lose vision after drinking country liquor ; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government to check the illicit distillation and sale of country liquor as well as its entry into Delhi?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) The Police and Excise Departments keep a constant vigil in the matter. Steps are also being taken further to intensify the enforcement measures.

वाशिंगटन में केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक

8046. **श्री देवेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण पुंज (पूल) के कार्यों पर विचार करने के लिए विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की वाशिंगटन में हुई बैठक में, उनके बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ख) इसका हमारे देश की मुद्रा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उन देशों के, जो स्वर्ण पूल (गोल्ड पूल) के सक्रिय सदस्य हैं, केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक समाप्त होने पर

समाचार-पत्रों के लिए जारी की गयी विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-979/68]**

(ख) इस बैठक में जो फैसले किये गये, उनका भारत की मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पंजाब नेशनल बैंक से जाली तरीके से रुपया निकालना

8047. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च अधिकारियों की सांठ-गांठ से हाल में पंजाब नेशनल बैंक से जाली तरीके से रुपया निकाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जाली तरीके से निकाले गये रुपये की रसीदें केन्द्रीय जांच विभाग को भेजी गई हैं ;

(ग) अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लग सका है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). जाली रेलवे रसीदों के आधार पर अग्रिम दिये जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

Roads in Bulandshahr

8048. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the roads constructed by the Public Works Department and the Zila Parishad in District Bulandshahr are mostly unmetalled; and

(b) if so, the number of roads metalled and the new roads constructed during the last three Five Year Flan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The information will be furnished by the Minister of Transport and Shipping who is concerned.

सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प

8049. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 25 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्णतया स्पष्ट सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से सम्बद्ध सामाजिक विकास परिषद ने सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प तैयार किया है जिसको योजना आयोग ने भी मंजूरी दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या सामाजिक नीति से सम्बन्धित मामलों की गवेषणा के लिये जिम्मेदार राष्ट्रीय निकाय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). संसाधनों के पर्याप्त होने के विषय में, इस स्तर पर, नेत्रदृशीय रूप से कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता; अतः चौथी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य अथवा कथन समाविष्ट किया जायेगा ।

(ग) योजना आयोग ने सामाजिक विकास परिषद द्वारा तैयार किये गये सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प के विषय में अन्तिम रूप से अभी कोई मत नहीं बनाया है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कानपुर की कपड़ा मिलों पर आय-कर की बकाया राशि

8050. **श्री मीठा लाल मीना** : **श्री कृ० मा० कौशिक** :
श्री अजमल खां : **श्री राजाराम** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर की कपड़ा मिलों की ओर आय-कर की तथा अन्य करों की बकाया राशि कितनी-कितनी है ;

(ख) करों की इस राशि को वसूल करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस मामले में शीघ्र निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश में नसबन्दी आपरेशन

8051. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों जैसे लेखपालों, ग्राम सेवकों तथा पंचायत मंत्रियों को

डराते-धमकाते हैं कि यदि नसबन्दी आपरेशन के लोगों को नहीं लायेंगे तो उन्हें मुअतिल कर दिया जायेगा, उनके वेतन रोक लिये जायेंगे और उनको नौकरी से हटा दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य निश्चित किये जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती के लिये शर्तें

8052. **श्री नागेश्वर द्विवेदी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन विभाग में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को भर्ती करते समय उन्हें यह शर्त पूरी करनी पड़ती है कि परिवार नियोजन के सिद्धान्तों में उनका विश्वास है और एक निश्चित संख्या में बच्चे होने के बाद वे नसबन्दी आपरेशन करायेंगे या लूप का प्रयोग करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो यह बात कहां तक युक्तिसंगत है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). भारत सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। राज्य सरकार से तथ्य निश्चित किये जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

मैसूर राज्य के गांवों में बिजली का लगाया जाना

8053. **श्री अगाड़ी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 तक मैसूर राज्य में जिलेवार कितने-कितने गांवों में बिजली लगाई जा चुकी थी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को इस योजना के शुरू होने से 1967-68 तक गांवों में बिजली लगाने के लिये कितनी सहायता दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-980/68]

(ख) 1967-68 तक ग्राम विद्युतीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कुल सहायता 16.47 करोड़ रुपये की है। 1966-67 से केन्द्रीय सहायता उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए दी जाती है जिनमें पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो।

क्वार्टरों के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र

8054. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में रिहायशी क्वार्टरों के आवंटन के लिये श्रेणी 6, 7 तथा 8 से आद्यतन और श्रेणी 5 से 1962 तक प्राथमिकता तिथि वाले अधिकारियों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, जबकि श्रेणी 3 तथा 4 के लिये क्रमशः 1951 तथा 1948 तक के प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं;

(ख) क्या श्रेणी 5 से 8 तक के अधिकारी अपने हक से निचली श्रेणी में भी क्वार्टर ले सकते हैं, जबकि श्रेणी 1 से 4 के कर्मचारी अपने हक से निचली श्रेणी में क्वार्टर लेने के हकदार नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों तथा कम अथवा मध्यम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बीच रिहायशी क्वार्टरों के आवंटन के मामले में ऐसी विषमता के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या (1) श्रेणी 3 तथा 4 के लिए अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने तथा (2) श्रेणी 5 से 8 तक के अधिकारियों को निचली श्रेणी का क्वार्टर न देने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). जी हां।

(ग) सामान्य पूल वास में टाईप IV तथा इससे कम के अधिकारी कर्मचारियों के लिये प्राथमिकता की तारीख उस ता.रीख से शुमार की जाती है जिससे कि कर्मचारी केन्द्रीय सेवा अथवा राज्य सेवा, इसमें इतर सेवा (फारेन सर्विस) की अवधि शामिल है, में निरंतर रहा है जबकि टाइप V तथा उससे ऊपर के अधिकारी कर्मचारियों के मामले में प्राथमिकता की तारीख उस तारीख से शुमार की जाती है जिससे कि विशेष टाईप अथवा उससे ऊंचे टाईप से संबंधित परिलब्धियां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, अथवा इतर सेवा के किसी पद पर अनवरत रूप से ले रहे हों। टाईप IV तथा उससे कम के अधिकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा/राज्य सेवा के अंतर्गत सम्पूर्ण सेवा का लाभ दिया गया है जबकि टाईप V तथा उससे ऊपर के अधिकारी कर्मचारियों को यह लाभ अस्वीकार कर दिया गया है।

(घ) काफी समय से, सरकार ने अपने आपको मुख्यतः टाईप I से IV तक के रिहायशी यूनिटों के निर्माण तक ही सीमित रखा है। कुछ ऊंचे टाईप के मकानों, उन मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए, का भी निर्माण किया जायेगा। टाईप V तथा उससे ऊंचे टाईप के अधिकारी कर्मचारियों के मामले में प्राथमिकता की तारीख शुमार करने के लिये सम्पूर्ण सेवा शुमार नहीं की जाती, अतएव इन मामलों में एक टाईप नीचे के वास का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Giving Rewards to Informants about Income-tax Evasion

8055. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the details of the rules framed by Government for giving rewards to persons who inform about tax evaders provided the information proves to be correct?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The reward rules framed by Government provide for the payment of a reward ranging from 7½% to 10% of the extra tax realised which is directly attributable to the information furnished by the informer. Provision has also been made for grant of interim reward in suitable cases, pending finalisation of the final reward.

Income-tax Evasion

8056. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any social worker from Moradabad has sent any report to his Ministry about the Income-tax evasion by the persons who had applied to the Ministry of Commerce for import licences in accordance with Notification No. 155-I. T. C. (P. N.)/66 dated the 17th December, 1966 issued by the Ministry of Commerce;

(b) if so, the action being taken on it by his Ministry; and

(c) the names of the applicants to whom clearance certificates have been given without their name being registered with the Income-tax Department?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) The complaint is in respect of 781 persons. The alleagations in the complaint are of a general nature. Enquiries are in progress. Enquiries have been completed in some cases.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के सेक्टर 8 तथा 9 में गेराजों का दुरुपयोग

8057. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम के सेक्टर 8 तथा 9 में मिले-जुले किस्म के नये ब्लाकों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को आवंटित गैराजों को कुछ अलाटियों ने अनधिकृत व्यक्तियों को किराये पर रखा है जो इनके परिसरों का प्रयोग चाय की दुकान, साइकल मरम्मत आदि जैसे व्यापारिक प्रयोजनों के लिये करते हैं;

(ख) क्या इन अलाटियों ने इन गैराजों को किराये पर उठाने की अनुमति प्राप्त की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति वहां के निवासियों के लिये दुखदायी सिद्ध होती है ;

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकारी गैराजों से ऐसे अवांछनीय तत्वों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) रामकृष्णपुरम के सेक्टर VIII तथा IX में कम्पोजिट टाईप के ब्लाकों में 576 गैरेजों का सर्वेक्षण करने पर पता चला कि 8 गैरेजों का जाहिरी तौर पर व्यापारिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ). कार्यवाही पहिले ही से की जा रही है ।

दिल्ली में शराब की चलती फिरती दुकानें

8058. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मोटरगाड़ियों में चलती-फिरती दुकानों में देशी शराब बेचने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आय-कर की बकाया राशि

8059. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में निम्नलिखित कम्पनियों की ओर आय-कर की कितनी-कितनी राशि बकाया थी;

(1) अगरपारा कंपनी लिमिटेड;

(2) वी० एन० एल्यिास एंड कंपनी (पी०) लिमिटेड;

(3) वेस्ट बंगाल पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ;

(4) ए० सी० सी० विक्कियास बलकोक लिमिटेड;

(5) ए० एफ० हैवी लिमिटेड;

(6) कोरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड;

(7) मदुरै मिल्स कम्पनी लिमिटेड;

(8) पापानासम मिल्स कम्पनी लिमिटेड;

(9) वालकोक एंड विलकोक्स आफ इण्डिया लिमिटेड; और

(10) टूटीकोरिन कम्पनी लिमिटेड; और

(ख) इन कम्पनियों से आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

कुछ कम्पनियों से आय-कर की बकाया राशि

8060. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) हनुमान एस्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड, (2) इंडिया जूट ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, (3) सूरजमल नागर, (4) वैस्टर्न बंगाल कम्पनी लिमिटेड; और (5) विजयनगरम प्रेस एंड मिल्स कं० लि० से आय-कर की तथा अन्य करों की कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). (1) मैसर्स हनुमान इस्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड, (2) इण्डिया जूट ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, (3) सूरजमल नागर मल और (4) वैस्टर्न बंगाल कम्पनी लिमिटेड के बारे में मांगी गई सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-981/68] (5) मैसर्स विजयनगरम प्रेस एण्ड मिल्स कम्पनी लिमिटेड के बारे में सूचना इकटठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

आय-कर की बकाया राशि

8061. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित कम्पनियों की ओर आय-कर की कितनी-कितनी राशि बकाया थी :

(1) बालमिया लाबी एंड कम्पनी लिमिटेड ;

(2) बंगाल फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड;

(3) स्टील कन्टेनर्ज लिमिटेड;

(4) ब्रिटिश इण्डिया इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड;

(5) बैज एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड; और

(6) इंडस्ट्रियल कन्टेनर्ज लिमिटेड;

(ख) क्या इन कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन किये जाने के किसी मामले की सूचना सरकार को मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये केन्द्रीय सहायता

8062. **श्री अगाड़ी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 से योजना आरम्भ होने के बाद से राज्यवार तथा वर्षवार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन, केन्द्रीय सहायता रोजगार के मौके बढ़ाने के लिये बिजली की सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम में ग्राम विद्युतीकरण के लिये दी गई थी। तीसरी योजना के आरम्भ से केन्द्रीय सहायता विशेष कर ग्राम विद्युतीकरण के लिए ही दी गई थी। 1966-67 के आरम्भ से केन्द्रीय सहायता उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये दी जा रही है जिनमें पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो। परिशिष्ट 1 के विवरण में दूसरी योजना के अन्त तक केन्द्रीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्योरा दिया गया है। परिशिष्ट-2 के विवरण में तीसरी पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ से केन्द्रीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्योरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-982/68]

विलिंग्डन तथा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

8063. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विलिंग्डन तथा सफदरजंग अस्पताल में शिक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो अस्पतालों के डाक्टरों की तुलना लेडी हार्डिंग कालेज एण्ड हास्पिटल, मौलाना आजाद और सम्मिलित इरविन तथा जी० बी० पन्त अस्पतालों के डाक्टरों से की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या विलिंग्डन तथा सफदरजंग अस्पतालों के डाक्टरों के पास अध्यापन पदनाम भी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें वही वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद और सम्मिलित इरविन तथा जी० बी० पन्त अस्पतालों के डाक्टरों को मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इन दो संस्थाओं में बहुत से स्नातकोत्तर छात्र हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिये तैयारी कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). सफदरजंग अस्पताल में शिक्षा से संबंधित मेडिकल अफसरों को जहां उपयुक्त शिक्षण-पदनाम दिये जा चुके हैं वहां विलिंग्डन अस्पताल में इस प्रकार के पदनाम देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ). ये मेडिकल अफसर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य हैं तथा उन्हें अपने-अपने ग्रेडों का वेतन मिलता है ।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी के मीटरों की चोरी

8064. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर होने वाली पानी के मीटरों की चोरी को रोकने के लिये कुछ समय पहले नेताजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों के अन्दर पानी के मीटर लगाने का जो काम आरम्भ किया गया था वह बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह कार्य वर्ष 1968-69 में पूरा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). पानी के मीटरों की चोरी के बहुत से मामलों के कारण यह निर्णय किया गया है कि पानी के मीटरों के चेम्बरों को बाहर से हटाकर निवास स्थानों के भीतर कर दिया जाये । कुछ क्वार्टरों में यह कार्य भी आरम्भ कर दिया गया था । बाद में चोरी की घटनायें कम हो गई थीं तथा अनावश्यक एवं अत्यधिक खर्चे को रोकने के लिये नेताजी नगर तथा अन्य बस्तियों में इसे रोक दिया गया । तथापि, पानी के मीटरों की चोरी के व्यक्तिगत मामलों में नये मीटर निवास-स्थानों के भीतर लगाये जा रहे हैं ।

Economic and Technical Agreements with Foreign Countries

8065. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an economic and technical agreement has been recently signed between India and Rumania ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government propose to enter into such agreements with other countries of Eastern Europe also for the development of the country ;

(d) if so, the names of the countries and the items in regard to which agreements would be entered into ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Yes, Sir. An agreement was signed with Rumania on 4th April, 1968, for assistance for purposes which may mutually be agreed upon between the two Governments for delivery of equipment, spare parts, etc., on a 10-year deferred payment basis with interest at 2.5% per annum. The payments towards principal and interest will be used by Rumania for purchase of iron ore, steel products and other non-traditional items from India.

Copies of the agreement have been placed in the Parliament Library.

(c) to (e). Similar agreements already exist with most of the other socialist countries, and during the last two years economic co-operation agreements were signed with U. S. S. R., Hungary, Yugoslavia and Bulgaria. Copies of these agreements have also been placed in the Parliament Library.

फिलिप्स कार्बन (ब्लैक) लिमिटेड, (दुर्गापुर) के विरुद्ध शिकायतें

8066. **श्री भगवान दास : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दुर्गापुर के स्थानीय निवासियों ने फिलिप्स कार्बन (ब्लैक) लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत की है कि उनके द्वारा धुआं छोड़े जाने के कारण उनके स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना की अभी भी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्गापुर में सरकारी अस्पताल

8067. **श्री भगवान दास** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में कोई सरकारी अस्पताल है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में वहां एक सरकारी अस्पताल खोलने की सरकार की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में मद्यनिषेध कानूनों में ढील

8069. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शराब की बिक्री से आय बढ़ाने के लिये योजना आयोग ने दिल्ली में कुछ मद्यनिषेध कानूनों में ढील देने की सिफारिश की है ;

(ख) योजना आयोग की राय किस सन्दर्भ में मांगी गई थी ; और

(ग) उनकी सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मद्यनिषेध लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता

8070. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों को या केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को कोई अनुदान/राजसहायता या सहायता देती है, जिससे वे मद्यनिषेध को लागू करने के परिणामस्वरूप होने वाले राजस्व के घाटे को पूरा कर सकें ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या मद्यनिषेध लागू करने से होने वाले राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) मद्यनिषेध लागू करने के इच्छुक किसी राज्य को वित्तीय क्षति पूर्ति प्रदान करना भारत सरकार के लिये सम्भव नहीं हो पाया है ।

फोम रबड़ पर उत्पादन शुल्क

8071. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा केरल की लेटेक्स फोम फैक्टरियों ने 2.58 रुपये प्रति किलोग्राम उत्पादन शुल्क के स्थान पर 1 अप्रैल, 1968 से 20 प्रतिशत यथा-मूल्य शुल्क लगाये जाने के विरोध में उत्पादन बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या इस उद्योग ने यह अभ्यावेदन किया है कि उत्पादन स्थल पर यथामूल्य उत्पादन शुल्क निर्धारित करना असंभव है और उसने उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अधिसूचना में संशोधन करने के लिये उनके मंत्रालय से प्रार्थना की है ताकि ऐसे आधार पर, जिसका पता लगाया जा सके, शुल्क लिया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और गतिरोध को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). रबरी-दूध-फेन स्पंज के निर्माताओं से दरख्वास्तें मिली हैं कि दक्षिण भारत में कारखानों में काम बन्द हो गया है क्योंकि मूल्य के आधार पर उस शुल्क की रकम का हिसाब लगाने के लिये शुल्क लगने योग्य मूल्य का हिसाब लगाना अत्यन्त कठिन है, जो 1 अप्रैल, 1968 से लगाया गया है । इसलिये निश्चित दरों पर शुल्क लगाये जाने की मांग की गई है ।

(ग) जो परिवर्तन किया गया है उसमें हेर फेर करने के लिये कोई प्रबल कारण होने का खयाल नहीं है, और कार्य-प्रणाली सम्बन्धी कठिनाई का काम चलाने जैसा समाधान संभव होना चाहिये । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं को उपयुक्त प्रकार से राय दी गई है कि वे निर्माताओं के साथ परामर्श करके काम चलाने जैसा समाधान ढूंढ निकालें ।

आन्ध्र प्रदेश के सांगली आदिम जातीय लोग

8072. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा गांव में जो कानूमावारीपलम के पास है, 10 सांगली आदिम जातीय व्यक्तियों को, जिनमें दो महिलाएं भी थीं, बहुत सताया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश में सांगली नाम की कोई अनुसूचित आदिम जाति नहीं है। समाचार-पत्रों में इस आशय की खबरें छपी हैं कि कम्मावारीपलम में चोरी करने का शक होने पर लम्बाडो के एक दल पर आक्रमण किया गया। इन खबरों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने 'इंडियन पेनल कोड' की धारा 307 के अन्तर्गत एक मामला पंजीकृत कर लिया है। अपराधियों को पकड़ लिया गया है और छानबीन प्रगति पर है।

विट्ठल भाई पटेल हाउस में लिफ्ट

8073. **ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विट्ठल भाई पटेल हाउस में कितनी लिफ्टें हैं और वे कितनी पुरानी हैं ;

(ख) वे किस मूल्य पर और किस फर्म से खरीदी गई थीं ;

(ग) बिक्री के बाद देखरेख के लिये कौन सी फर्म उत्तरदायी थी ;

(घ) क्या सभी लिफ्टों ने काम करना बन्द कर दिया है ; और यदि हां, तो सप्लायर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस फर्म से लिफ्टों को बदलने के लिये कहा है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विट्ठल भाई पटेल हाउस में चार लिफ्टें हैं–तीन होस्टल में तथा 1 क्लब में। लिफ्ट नं० 1 (होस्टल विंग नं० 1) अक्तूबर, 1965 से सेवा में है, लिफ्ट नं० 2 (होस्टल विंग नं० 2) जून, 1966 से, लिफ्ट नं० 3 (होस्टल विंग नं० 3) मार्च, 1967 से तथा लिफ्ट नं० 4 (क्लब) मार्च, 1967 से।

(ख) और (ग). लिफ्टों को मैसर्स विलियम जैक्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई जो कि बिक्री के बाद सेवा के लिए उत्तरदायी है, से 2.45 लाख रुपये की कुल लागत से खरीदा गया था।

(घ) और (ङ). क्लब की लिफ्ट संतोषजनक रूप से चल रही है, किन्तु अन्य लिफ्टों का कार्य संतोषप्रद नहीं है। लिफ्टों, जो कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से ली गयी हैं, का असंतोषजनक कार्य, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, जिनके माध्यम से लिफ्टों को लिया गया था तथा इनकी सप्लाई करने वालों के नोटिस में ला दिया गया है। सप्लाई करने वालों ने लिफ्टों को शीघ्र ठीक करने का वायदा किया है। अन्तिम निरीक्षण टिप्पणी को रोक लिया गया है तथा इसे लिफ्टों के कार्य से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के बाद ही जारी किया जायेगा।

एक ही स्थान पर 'पण्यावर्त कर' लगाना

8074. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही स्थान पर 'पण्यावर्त कर' लगाने की सम्भावना का सरकार ने किसी समय विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान कर प्रणाली की जटिलताओं को समाप्त करने के लिये ऐसा करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). 'खरीद और बिक्री कर' (टर्नओवर टैक्स) दोनों प्रकार का हो सकता है अर्थात् माल की बिक्री पर अथवा माल की खरीद पर। किसी भी राज्य में माल की खरीद अथवा बिक्री पर कर आयद करने का काम, संविधान के अनुसार राज्य के कराधान का विषय है (परन्तु ऐसे माल में समाचार-पत्र सम्मिलित नहीं है, जिनकी खरीद अथवा बिक्री पर कोई कर नहीं लगता) इसलिये केवल एक ही बार 'खरीद अथवा बिक्री कर' (टर्न ओवर टैक्स) लगाने की संभावना का केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच करने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत तथा विदेशों में विशिष्ट जनांकिकीय प्रशिक्षण

8075. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा विदेशों में जनांकिकी में कितने व्यक्ति विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं और उनकी सेवाओं को कैसे तथा कहां-कहां उपयोग किया गया है ; और

(ख) भारत तथा विदेशों में उपरोक्त प्रशिक्षण के लिये भारतीय राष्ट्रजनों को किन-किन देशों ने तथा कितनी-कितनी अधिछात्रवृत्तियां दीं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय मुद्रा का परिचालन

8076. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को कुल कितने मूल्य की भारतीय मुद्रा परिचालित थी ;

(ख) इसके पीछे कुल कितने सोने की आस्तियां सुरक्षित रखी गई थीं ; और

(ग) यदि सोने की कोई आस्तियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इसके मूल्य को देश में और विदेशों में कायम रखने के लिये सरकार के पास कौन सी अन्य आस्तियां हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 29 दिसम्बर, 1967 को कुल 3007.99 करोड़ रुपये के नोट चलन में थे।

(ख) रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के पास 53.58 रुपये प्रति दस ग्राम के मूल्य के हिसाब से 115.89 करोड़ रुपये का सोना था।

(ग) रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग की अन्य परिसम्पत्तियों में विदेशी प्रतिभूतियां, भारत सरकार की प्रतिभूतियां और रुपये के सिक्के शामिल हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 में निर्धारित है। भारतीय रुपया, संसार की अधिकतर मुद्राओं (करेंसियों) की तरह, एक नियंत्रित मुद्रा (मैनेज्ड करेंसी) है और इसका आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार का मूल्य, अन्ततः भारतीय अर्थ-व्यवस्था की आधारभूत दृढ़ता पर निर्भर रहता है।

प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन कोर

8077. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन कोर के सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या उनका मुख्यालय जिला मुख्यालय में होता है अथवा किसी दूसरे स्थान पर ; और

(ग) उनका मुख्यालय बदलने के लिये सक्षम अधिकारी कौन है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : सूचना इस प्रकार है :

राज्य	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	विशेषज्ञ	योग
मध्य प्रदेश	11	1	12
उत्तर प्रदेश	9	1	10
राजस्थान	8	...	8
उड़ीसा	5	...	5
मद्रास	2	...	2
	35	2	37

इसके अतिरिक्त, हाल ही में 36 और महिला डाक्टर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी

के रूप में चुन लिये गये हैं जिनकी निम्नलिखित रूप में नियुक्ति की जाएगी ।

मध्य प्रदेश	7
उत्तर प्रदेश	12
राजस्थान	6
बिहार	6
उड़ीसा	3
असम	2

(ख) उनकी नियुक्ति जिला मुख्यालयों में की जाती है, सिवाय जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) के, जहां उनकी नियुक्ति उप-मंडलीय मुख्यालय में की जाती है।

(ग) केन्द्रीय परिवार नियोजन कोर के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को राज्य के भीतर एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय में बदली करने का अधिकार राज्य के प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी को होता है ।

सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदली स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मन्त्रालय द्वारा की जाती है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

8078. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मिलने वाली उपलब्धियों की तुलना में इनकी चिकित्सा पर होने वाला वार्षिक व्यय कितने प्रतिशत है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के किसी कर्मचारी को उक्त अवधि में अलग-अलग चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम और न्यूनतम कितनी धनराशि दी गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). प्रतिपूर्ति पर होने वाले खर्च का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता क्योंकि इस खर्च का वेतन और कर्मचारियों के वेतन जिलों में भत्ते तथा पारिश्रमिक शीर्षक के नाम लिख दिया जाता है ।

दिल्ली के अस्पतालों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या तथा उनके वेतनमान

8079. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंग्डन अस्पताल तथा नर्सिंग होम, सफदरगंज अस्पताल, इर्विन अस्पताल तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले अन्य अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ वार्ड अटेंडेंट, तथा मेहतरों आदि की स्वीकृत संख्या कितनी है और उक्त प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-मान क्या हैं ;

(ख) इस समय उक्त प्रत्येक अस्पताल में तथा प्रत्येक वेतनमान में वस्तुतः कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) 1951-52 से अब तक उपरोक्त अस्पतालों में अन्तरंग तथा वहिरंग रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या कर्मचारियों में तुलनात्मक वृद्धि की गई है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Report of Committee on the Working of Central Government Hospitals

8080. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 828 on the 25th March, 1968 and state:

(a) whether the Committee appointed for looking into the working of Central Government hospitals in Delhi has since submitted its report ;

(b) if so, the broad outlines of the reports ; and

(c) if not, the reasons for the delay and time to be taken to submit the report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Delay has been due to the absence of the Chairman of the Committee who had gone abroad in connection with a W. H. O. assignment. The report is expected to be submitted on the 25th April, 1968.

Inquiry into the Causes of Cracks in the Nanak Sagar Dam

8081. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 402 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether the enquiry into the causes of cracks in the Nanak Sagar Dam has since been completed ;

(b) if so, the details about the findings of the inquiry ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) The Chairman of the Committee, Shri Harish Chandra Singh, has been pre-occupied with other matters.

World Health Organisation

8082. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the place where the Office of the World Health Organisation is located.

(b) the nature of scheme started by the organisation in India after the Independence ;

(c) the quantity and cost of medicines supplied by other countries as gifts therein and the names of those countries ; and

(d) the details of the goods supplied by India as gift to the W. H. O. at its headquarters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The Headquarters of the World Health Organisation is located at Geneva, Switzerland.

(b) A statement showing the schemes which received assistance from the W. H. O. in the form of technical experts, equipment, and supplies, after Independence is at Appendix I. **[Placed in Library. See No. LT-983/68]**

(c) No medicines have been supplied by any country as gifts for the W. H. O. sponsored projects.

(d) The details of the articles supplied to the W. H. O. at a cost of Rs. 1,03,619.09 as India's contribution towards decorating and furnishing of the Executive Board Lounge of the W. H. O. headquarters building at Geneva is at Appendix II. **[Placed in Library. See No. LT-983/68]**

तेल के मूल्य

8083. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के मूल्यों की वर्तमान प्रणाली में संशोधन करने के प्रश्न पर

हाल में विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और किन मुख्य-मुख्य बातों के आधार पर इस प्रणाली में संशोधन करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). मूल्य व्यवस्था, जो तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर कुछ तरमीमों के साथ, जिनका विवरण सरकारी संकल्प संख्या 101 (26)/66-पी०पी० डी०, दिनांक 1 फरवरी, 1966 में दिया गया है, 1 फरवरी, 1966 से लागू की गई थी और इस समय यह 31-12-1968 तक लागू की गई है। 1-1-1969 से या यथासम्भव इसके बाद मूल्य व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है।

खम्भात क्षेत्र में तेल

8085. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को खम्भात क्षेत्र में पुनः तेल मिला है ;

(ख) यदि हां, तो नये भण्डारों से कितना तेल मिलने का अनुमान है ; और

(ग) वाणिज्यिक दृष्टि से तेल निकालने हेतु उसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए भण्डारों के सही परिमाण का अनुमान लगाने के लिये और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां, काडी और बकरोल के निकट।

(ख) अन्वेषण की वर्तमान प्रारम्भिक अवस्था में भण्डारों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) भण्डारों का अनुमान लगाने और वाणिज्यिक उत्पादन की सम्भाव्यता जानने के लिये क्षेत्र में कुछ और कुओं का व्यधन करने का प्रस्ताव है।

नर्मदा जल परियोजना सम्बन्धी विवाद

8086. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विवाद का सर्वमान्य हल निकालने के लिये, जो नर्मदा परियोजना की

लागत से मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान के बीच संसाधनों के वितरण के बारे में उत्पन्न हुआ है, 13 अप्रैल 1968 को उपरोक्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या उस सम्मेलन में कोई ठोस तथा निश्चित निर्णय किया जा सका और क्या सरकार ने इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने का निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवाद को बातचीत द्वारा हल करने के लिये सरकार एक बार और कोशिश करने का विचार रखती है। यदि यह प्रयत्न विफल हो जाता है तो इसे "अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम" के अन्तर्गत न्याय-निर्णय के लिये भेजना ही पड़ेगा।

बी० ओ० ए० सी० विमान से पकड़ा गया सोना

8087. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री 25 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 833 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत समय तक कई करोड़ रुपये के मूल्य का सोना देश में चोरी छिपे लाकर देश की सीमा-शुल्क विधि का जान-बूझ कर उल्लंघन करने के कारण बी० ओ० ए० सी० के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा है और कब ; और

(ग) भारतीय सीमा-शुल्क अधिकारियों की त्रुटियों सम्बन्धी जांच कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). बी० ओ० ए० सी० पर सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन व्यक्तिगत दण्ड की मात्रा निश्चित करने में सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, समाहर्ता दिल्ली द्वारा उन सब उल्लघंनों पर पहले ही विचार कर लिया है जिनका उसको पता चला था।

(ग) पूछ-ताछ अभी भी चल रही है।

सुनने में सहायक उपकरणों पर उत्पादन शुल्क

8088. **श्री शिव चन्डिका प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत में सुनने के सहायक उपकरणों, उसके पुर्जों तथा बैटरियों पर उत्पादन शुल्क की दर अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो सुनने के सहायक उपकरणों, बैटरियों तथा पुर्जों की खरीद पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए उत्पादन शुल्क हटाने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सुनने में सहायता देने वाले यंत्रों और उनके पालतू पुर्जों पर वैसे तो कोई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगता है परन्तु सुनने में सहायता देने वाले यंत्रों में काम आने वाली तथा अन्य सब प्रकार की बैटरियों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अधीन मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से उत्पादन-शुल्क लगता है। इसके अलावा ऐसे शुल्क के 20 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पादन शुल्क भी लगता है जो स्टोरेज बैटरियों के मामलों में केवल 10 प्रतिशत की दर से लगता है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नर्मदा जल विवाद के बारे में सम्मेलन

8089. **श्री दामानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल विवाद के बारे में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के कब तक होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या किसी राज्य के मुख्य मंत्री ने इस सम्मेलन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थतता व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अगले सम्मेलन की तारीख के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

जापान से ऋण

8090. **श्री दामानी :**
श्री देवेन सेन :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा जापान से लिये गये तीसरे ऋण यैन के लगभग 70 लाख यैन काम में न लाये जाने की सम्भावना है क्योंकि उसको काम में लाने की अवधि समाप्त हो गई है ?

(ख) क्या सरकार ने इस तीसरे यैन ऋण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). तीसरे येन ऋण में से अभी तक लगभग 70 लाख डालर की रकम का उपयोग नहीं किया गया है। ऋण दिये जाने की अन्तिम तारीख के पहले, ऋण के उपयोग के बारे में जो वैकल्पिक प्रस्ताव रखे थे, उन्हें अभी तक जापानी प्राधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी है।

रूरकेला इस्पात जनरल हास्पिटल में क्लोरोफार्म के कारण मौतें

8091. **श्री दे० अमात :**

श्री म० माझी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि क्लोरोफार्म का अधिक मात्रा में प्रयोग किये जाने के कारण रूरकेला इस्पात जनरल अस्पताल में हाल में कुछ रोगी मर गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और क्या इस घटना के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है ; और

(ग) ऐसी गम्भीर गलती अथवा चूक के लिए सम्बन्धित डाक्टरों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि ये मामले राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

नायलोन धागे का मूल्य

8092. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री लोबो प्रभु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलोन का प्रति किलो तटागत मूल्य 19.69 रुपये से 12.34 रुपये तक है जब कि इसका बाजार मूल्य 123 रुपये से 82 रुपये तक है ;

(ख) यह अन्तर कितना शुल्कों के कारण है और कितना राज्य व्यापार निगम की लाभ की मात्रा के कारण ;

(ग) पिछले वर्ष कितने मूल्य का तस्करी से लाया गया नायलोन का धागा पकड़ा गया ; और

(घ) क्या सरकार शुल्कों को कम करेगी ताकि एक ओर तो सीमा शुल्क और विदेशी मुद्रा की हानि को रोका जा सके और दूसरी ओर नकली रेशम के उपलब्ध करघों को पूरी तरह से काम में लाया जा सके ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों से धोखाबाजी से धन निकालना

8093. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक जीवन बीमा पालिसियों के मामले में जिनकी अवधि पूरी हो चुकी थी पालिसीधारी व्यक्तियों से भिन्न लोगों ने भारतीय जीवन बीमा निगम से धोखाबाजी करके धन प्राप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी धोखाधड़ी के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं ; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि धोखाधड़ी के ऐसे मामले पुनः न होने पायें और पालिसियों की राशि समुचित जांच-पड़ताल के पश्चात् पालिसीधारी की राशि उनके निजी खातों में जमा होने के लिये क्रास्ड चैक द्वारा भेजी जाये ; और

(घ) जिन मामलों में वस्तुतः धोखाधड़ी हो चुकी है उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये जिनकी जीवन भर की बचाई हुई राशि खतरे में है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें दावों की अदायगी करने के लिये भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किये गये चैकों को, चालबाजी से, दावेदारों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भुना लिया गया है।

(ख) इनमें से कुछ मामलों में ऐसा संदेह है कि कुछ ऐसे बाहरी व्यक्तियों ने, जो जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित नहीं हैं, जीवन बीमा निगम की सेवा में नियुक्त कुछ सहायकों के साथ मिलकर ऐसी धोखाधड़ी की है। पुलिस द्वारा इन मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है तथा संदिग्ध कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरे कुछ मामलों में जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ग) दूसरे कुछ मामलों में दावेदारों के हक में जारी किये गये रेखा-बंधित चैकों को, चैक पाने वाले के नाम से जालसाजी के बैंक खाते खोलकर भुनवा लिया गया। इस प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ, केवल पाने वाले के हिसाब में देय रेखा-बंधित चैकों से भी कुछ सुरक्षा नहीं हो पाती। अदायगी के अधिकार प्रदान तथा चैकों के जारी करने आदि की कार्यवाही के

सम्बन्ध में, जालसाजी की रोकथाम करने के लिये सुरक्षा के पर्याप्त उपाय पहले ही चालू हैं और ऊपर उल्लिखित मामलों को केवल अपवाद रूप माना जाना चाहिये।

(घ) जालसाजी से चैकों की अदायगी ले लेने से दावेदारों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वे तो निगम से अदायगी पाने के हकदार हैं। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली जालसाजी के खिलाफ बहुत कुछ तो निगम द्वारा की जाने वाली विश्वसनीयता गारंटी बीमा से सुरक्षा मिल जाती है।

मकान मालिक संस्था, पटेल नगर, दिल्ली द्वारा ज्ञापन

8094. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान मालिक संस्था, पटेल नगर, दिल्ली ने उन्हें 8 सितम्बर, 1967 को एक ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). मकान मालिक संस्था, पटेल नगर, दिल्ली से एक ज्ञापन 8 सितम्बर, 1967 को प्राप्त हुआ था तथा वह परीक्षाधीन है।

आध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान के लिए अनुदान

8095. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महर्षि महेश योगी ने देश में आध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान की शाखाएं खोलने के लिए बजट में कुछ धनराशि नियत करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

Price of Petroleum and Oils

8096. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the retail rates of Petroleum, Kerosene Oil, Diesel Oil, Crude Oil and Aviation Oil in Gauhati, Calcutta, Patna, Kanpur, Delhi, Chandigarh, Bombay, Madras and Nagpur as on 1st April, 1967 and 1st April, 1968; and

(b) the reasons for difference in the rates and the steps taken or proposed to be taken to reduce them?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) and (b). The data are being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Indian School of Mines, Dhanbad

8097. **Shri T. S. Jadhav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether arrangements are being made by the Indian School of Mines, Dhanbad for the teaching of the subject regarding Petro-chemicals ;

(b) whether the I. O. C. is reluctant to employ the qualified graduates of this Institute ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The School conducts a Five Year course in Petroleum Technology. The course covers the following Petro-chemical subjects :

(i) raw materials for Petro-chemical industry ; and

(ii) elements of Refining and Petro-chemical processes.

The School has further plans for a separate specialisation course in Petroleum Refining and Petro-chemicals, which have not yet been finalised.

(b) No sir.

(c) Does not arise.

Refineries under Public and Private Sectors

8098. **Shri Tulshidas Jadhav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the Refineries functioning at present and proposed to be installed in the country in the Public and Private Sectors with their location and individual working capacity ;

(b) the other bye-products being produced by these Refineries besides oil and the quantity produced by each refinery ;

(c) the quantity of waste products not used and thrown away by each refinery and the reasons therefor ; and

(d) the manner in which these waste products are disposed of and the measures taken to ensure that this does not pollute the water of rivers and the atmosphere ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) At present 8 refineries are functioning in the

Public and Private Sectors :

		(In Million Tonnes)
Public Sector	**Location**	**Present working capacity**
Gauhati	Assam	0.85
Barauni	Bihar	2.00
Gujarat	Gujarat	2.00
Cochin	Kerala	2.35
Private Sector		
Burmah-Shell	Bombay	3.75
ESSO	Bombay	2.50
Caltex	Visakhapatnam	1.55
A. O. C.	Digboi.	0.50

Agreements for two more refineries in the Public Sector at Madras and Haldia (near Calcutta) having 2.5 million Tonnes capacity each have been signed.

(b) to (d). The names of the principal saleable products produced at each of the refineries are as in the enclosed statement. **[Placed in Library. See No. LT-984/68]**

It will not be in the public interest to disclose the actual production itemwise. The product that is not saleable or otherwise usable is the refinery effluent, which is piped to merge with a river or the sea, after necessary chemical treatment.

अनुसूचित जातियों के लोगों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन और उनका मूल्य

8099. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब/हरियाणा अधिनियम के वे उपबन्ध जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों को आवासीय भूखण्ड आवंटित करने तथा उनके मूल्य निर्धारित करने के कुछ विशेष सिद्धान्त दिल्ली संघ राज्य पर भी लागू होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने अपनी विभिन्न आवासी योजनाओं के अन्तर्गत हाल ही में भूखण्डों का नियतन करने तथा उनका मूल्य निर्धारित करने में इन उपबन्धों को लागू किया था ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या इन उपबन्धों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सभी आवासीय योजनाओं में समान रूप से पालन किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). दिल्ली में रिहायशी प्लाटों का आवंटन तथा उनका मूल्य निर्धारण, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत "दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण, विकास तथा निपटान" नामक योजना के अनुसार किया जाता है। अतः ऐसे आवंटनों पर पंजाब/हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पोजिटर ग्रेड-एक के पद पर पदोन्नति

8100. **श्री देवेन सेन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्गीकरण समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के मुद्रणालय में कम्पोजिटर ग्रेड|एक, मशीनमैन ग्रेड-एक, और बाइंडर ग्रेड-एक, के ऊंचे पदों पर कुछ पदोन्नतियां की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च पदों पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ मुख्य लेखन-सामग्री तथा मुद्रण नियंत्रण द्वारा जारी किये गये दिनांक 18-4-67 के भर्ती नियमों में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के पदों पर सेवा काल को ध्यान में रख कर वरिष्ठता निर्धारित की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों से पदोन्नत हुए कर्मचारियों की आपस में वरिष्ठता अभी निर्धारित की जानी है । इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि इसमें जो वाद-विषय उलझा हुआ है वह सामान्य से कुछ पृथक है । संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए असमान ग्रेडों की सेवा को भी शुमार करना होगा ।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में फोरमैन के ग्रेड पर पदोन्नति

8101. **श्री देवेन सेन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्गीकरण समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के मुद्रणालयों में कम्पोजिंग, मशीन और बाइंडिंग सैक्शनों में फोरमैनों और सैक्शन होल्डरों के पर्यवेक्षी पदों पर कुछ पदोन्नतियां की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पर्यवेक्षी पदों पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ मुख्य लेखन-सामग्री तथा मुद्रण नियंत्रण द्वारा जारी किये गये दिनांक 18 जुलाई, 1967 के भर्ती नियमों में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के पदों पर सेवा काल को ध्यान में रख कर पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों से पदोन्नति हुए कर्मचारियों की आपस में वरिष्ठता अभी निर्धारित की जानी है । इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि इसमें जो वाद-विषय उलझा हुआ है वह कुछ सामान्य से पृथक है । संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए असमान ग्रेडों की सेवा को भी शुमार करना होगा ।

Disparity in Electricity Rates in Rajasthan

8102. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the reasons for the disparity in rates of the electricity supplied for industrial use in Rajasthan and for not formulating a co-ordinated policy in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The rate of power supply for industrial use depends upon the voltage of supply, quantum of load and load characteristics. The higher the voltage of supply and the greater the demand and the load factor, the lesser will be the rate. Accordingly there are different sets of tariff for different categories of industries such as small, medium, large and heavy industries. In Rajasthan, the tariff ranges from an average rate of 14.53 paise per kWh for small industries (10 KW demand and 20% load factor) to 8 paise per kWh for heavy industries (5000 KW demand and 60% load factor). In Rajasthan also, there are different sets of tariff for areas served by hydro and steam/diesel stations, since the cost of generation from hydro is lower than the cost of generation from steam/diesel. The Government of India have accepted in principle the adoption of uniform electricity rates for each category of consumers. The implementation of this policy has been taken up with the Rajasthan State Electricity Board and was discussed again recently at the meeting of Chairmen of Electricity Boards and Secretaries dealing with Power of the State Governments of the Northern Region on 5th March, 1968. With the commissioning of the Rana Pratap Sagar Project, the Rajasthan State Electricity Board propose taking up the introduction of uniform tariff for each category of consumers in the State.

चोरी की गई वस्तुओं के लिये विलिंग्डन अस्पताल के कर्मचारियों पर सामूहिक जुर्माना

8103. **श्री किकर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी की गई वस्तुओं के लिए विलिंग्डन अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों पर सामूहिक जुर्माना किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों पर सामूहिक जुर्माना किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक्टरों और नर्सों पर यह जुर्माना नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). कोई सामूहिक जुर्माने नहीं लगाये जाते। किन्तु सामान आदि की हानि की वसूली उन व्यक्तियों से की जाती है जिन्हें जांच-पड़ताल के बाद हानि के लिए जिम्मेदार पाया जाता है।

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

8104. **श्री किकर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विलिंग्डन अस्पताल के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये विलिंग्डन अस्पताल के निकट काफी संख्या में स्टाफ क्वार्टर बनवा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उनका निर्माण-कार्य पूरा होने में कितना समय लगने का अनुमान है ; और

(ग) ऐसे कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आर्थिक कठिनाइयों के कारण नर्सों, हाउस सर्जनों तथा रजिस्ट्रारों के अलावा अन्य स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विलिंग्डन अस्पताल के कर्मचारियों की पदोन्नतियां

8105. **श्री किकर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में विलिंग्डन अस्पताल के कुल कितने कर्मचारियों की (श्रेणीवार) पदोन्नतियां की गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इसी अस्पताल में कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को उनके वरिष्ठ सहकर्मियों के हक की उपेक्षा करके पदोन्नत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम और उनकी (श्रेणीवार) संख्या कितनी है और प्रत्येक कर्मचारी की पदोन्नति कितने वर्ष पहले हुई और सेवा काल कितना-कितना है; और

(घ) इस प्रकार पदोन्नतियां करने के क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mekenzies Ltd.

8106. **Shri J. B. Singh :**
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4177 on the 18th March, 1968 and state :

(a) the time when the contract of Rs. 89,00,000 was taken by Messrs. Oriental Timber

Trading Corporation and Messrs. Mekenzies Ltd. in Ootacamond ;

(b) whether the work in regard to the said contract has since been completed ;

(c) whether the said contract related to the private sector, State Government or the Central Government ;

(d) the names of the Directors of the said Companies separately to whom the said contract was given ; and

(e) the amonut of income-tax paid by the said Directors to the Government in the last five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mekenzies Ltd.

8107. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4177 on the 18th March, 1968 and state :

(a) when the building contract was taken by Messrs. Oriental Timber Trading Corporation and Messrs. Mekenzies Ltd. in Ranchi and whether the work has since been completed ;

(b) the number and names of the Directors of both the companies separately to whom the said contract was given ; and

(c) the amount of Income-tax paid by the Directors of the said two companies separately during the last two years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mekenzies Ltd.

8108. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4177 on the 18th March, 1968 and state :

(a) the date when building contract of the value of Rs. 2,27,89,000 was taken jointly in Rourkela by Messrs. Oriental Timber Trading Corporation and Messrs Mekenzies Ltd. ;

(b) the number of the Directors of both the said companies separately to whom the said contract was given ;

(c) the amount of Income-tax paid by the said Directors to Government in the last three years ;

(d) whether the said contract related to the private or public sectors ;

(e) in case the said contract related to the public sector, whether the said companies had given some guarantee in regard to the construction of the building ; and

(f) whether it is also a fact that the building constructed by the said Companies in Rourkela has started leaking ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**) : (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Smuggling of Gold

8109. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Chengalraya Naidu:
Shri Anbuchezhian:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Customs Police recovered gold worth Rs. 1 lakh from a car near the Church gate in Bombay in the first week of April, 1968 ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ; and

(c) whether it is also a fact that the gold so recovered contained marks of some foreign country?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On 3rd April, 1968 the officers of the Bombay Central Excise Collectorate recovered 1000 tolas of gold valued at Rs. 98,440/- at the international rate from a jeep parked near Churchgate Railway Station in Bombay. The jeep was also seized.

(b) Two persons were arrested in this connection and subsequently released on bail. The case is under investigation.

(c) Yes Sir.

दिल्ली में रेलवे पुलिस द्वारा विदेशी सोना लिये हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी

8111. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस ने अप्रैल, 1968 के प्रथम सप्ताह में खेखड़ा (मेरठ) के एक व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया था जिसके पास 50 तोला विदेशी सोना था ;

(ख) यदि हां, तो यह सोना किस देश से लाया गया है ; और

(ग) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 2 अप्रैल, 1963 को रेलवे पुलिस ने दिल्ली में सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के खाकरा के रहने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से विदेशी मार्के का 50 तोला सोना बरामद किया। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(ख) पकड़े गये सोने पर लगे मार्के से पता चलता है कि सोना फ्रांस का है।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

फरक्का बांध

8112. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के दक्षिणी किनारे पर भयंकर दुर्घटना हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 17 मार्च, 1968 को जब मुख्य बराज के 10वें खम्बे के वर्टिकल रिइन्फोर्समेन्ट्स लगाए जा रहे थे, पायरलाईन समेत स्टेजिंग और क्रास ब्रेसिंग ढह गये। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार का एक कामगार बुरी तरह घायल हुआ और परियोजना के हस्पताल को ले जाते समय दुर्भाग्य से वह रास्ते में ही मर गया। चार और कामगारों को मामूली चोटें आईं। उनको इलाज के लिये परियोजना के हस्पताल में दाखिल कर दिया गया और चार दिन बाद उन्हें हस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। हस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे काम पर आ गये।

आंध्र प्रदेश में स्वर्ण परियोजना

8113. **श्री गंगा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में स्वर्ण परियोजना का कार्य कब शुरू किया गया था और उसके क्या लाभ हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को पूर्ण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आन्ध्र प्रदेश में स्वर्ण परियोजना पर कार्य फरवरी, 1959 में आरम्भ किया गया था। परियोजना के सिंचाई लाभ निम्नलिखित हैं :

आबी	7000 एकड़
ताबी	2130 एकड़

(ख) जी हां।

(ग) पानी में डूबने वाली भूमियों के ऊर्जन में विलम्ब/भूमियों के ऊर्जन पर बातचीत हो रही है।

उत्तर प्रदेश में सरजू पर परियोजना

8114. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सरजू पर परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रथम चरण में शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राय बरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों में 15 लाख एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाई होगी । इसके अतिरिक्त शारदा नहर की उपरी पहुचों में लगभग 4-5 लाख एकड़ की सिंचाई होगी । दूसरे चरण में कुल वार्षिक सिंचाई बढ़कर 30 लाख एकड़ हो जाएगी ।

(ग) शीघ्र ।

उड़ीसा द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से नियत राशि से अधिक राशि का निकालना

8115. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने 29 फरवरी, 1968 और 31 मार्च, 1968 तक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से नियत राशि से कितनी अधिक राशि निकाली ;

(ख) निकाली गई अधिक राशि कब दी गई और इस अत्यधिक राशि को निकालने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी ठोस आश्वासन के बिना राज्य सरकार ने 1967-68 का आय-व्ययक प्राक्कलन तैयार करने में 9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखा था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जमा से अधिक रकम की निकासी के आंकड़े इस प्रकार हैं :

29 फरवरी :	3.65 करोड़ रुपए
30 मार्च : (31 को रविवार था) :	राज्य की अर्थोपाय-सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिये, केन्द्र द्वारा दिये गये 4 करोड़ रुपये के तदर्थ ऋण के समायोजन के बाद 5.83 करोड़ रुपये ।

(ख) साधनों और खर्चों में असंतुलन हो जाने के कारण, आमतौर पर, जमा से ज्यादा रकमें निकाली जाती हैं। मुख्यतः केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले सांविधिक सहायक अनुदान की पहली किस्त के समायोजन के फलस्वरूप जमा रकम से ज्यादा निकाली गई रकम 8 अप्रैल को चुका दी गयी है।

(ग) राज्य सरकार ने 1967-68 के बजट में राज्यीय आयोजना के लिए 35 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि केन्द्र ने 26 करोड़ रुपये की सहायता देने का वचन दिया था। लेकिन, उन्होंने इस गलती को वर्ष के संशोधित अनुमानों में ठीक कर दिया था।

अन्दमान द्वीप समूह की बस्तियों में चिकित्सा की सुविधायें

8117. **श्री गणेश :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह की बारातांग, बदमतल्ला, हैवलांक, कालीघाट, हंसपुरी, गिराजपुरी, स्वदेशनगर तथा कृष्णपुरी बस्तियों में चिकित्सा की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) इन बस्तियों और गांवों की जनसंख्या कितनी है और वहां से सबसे निकट का असैनिक और जिला अस्पताल कितनी-कितनी दूर है ;

(ग) इन बस्तियों में से कितनी बस्तियां चारों ओर समुद्र से घिरी हुई हैं ; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Allotment of Quarters in North and South Avenues, New Delhi

8118. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of quarters in North and South Avenues, New Delhi which have been allotted to the employees of C. P. W. D.

(b) whether the said allotment has been made on temporary or permanent basis as also the names of the persons to whom the allotment has been made and date of allotment ;

(c) whether Government propose to get the said quarters vacated and make allotment to the persons concerned in the General Pool ; and

(d) if not the reasons therefor and the house-rent deducted from the salaries of the said allottees for these quarters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) 9 servant quarters and 1 flat in North and South Avenue have been allotted to the employees of the C. P. W.D.

(b) to (d). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-985/68]**

कलकत्ता के अस्पतालों में आपरेशनों का बन्द किया जाना

8119. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के कुछ अस्पतालों में आपरेशनों के बाद कुछ रोगियों को हाल में टिटनस हो गया था जिसके कारण आपरेशन बन्द कर दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो टिटनस हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार के दूषण को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी, हां ।

(ख) इसकी जांच की जा रही है ।

(ग) प्रारम्भिक उपाय के रूप में अस्पताल के अहाते के अन्दर बने अनधिकृत निर्माणों को, जिनसे गन्दगी फैलती थी, गिरा दिया गया है ।

लोअर दामोदर नदी की नहरें बनाने की योजना

8120. **श्री जुगल मंडल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि की बची हुई योजना के रूप में चौथी योजना में लोअर दामोदर नदी की नहरें बनाने की योजना शामिल करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लोअर दामोदर को सरणीबद्ध करने की स्कीम का राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है । प्रस्तावित स्कीम के अन्तर्गत इस क्षेत्र की जल विकास समस्या एक गहन समस्या है और उसके विभिन्न तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं की ध्यान से जांच करनी पड़ेगी, इसलिए स्कीम को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगने की सम्भावना है । पूर्ण होने पर इस स्कीम को चौथी योजना में शामिल करने के बारे में राज्य सरकार अवश्य विचार करेगी ।

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

8121. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कारखाना मजदूर यूनियन, गोरखपुर ने गोरखपुर में उर्वरक निगम के प्रबन्ध के बारे में श्रमिकों की शिकायतों सम्बन्धी कोई मांग तथा/अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे मागें क्या हैं और उनमें दर्ज शिकायतें क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या 1 अप्रैल, 1968 को भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर स्थित कारखाने में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे पुलिस तथा निगम सुरक्षा दल का प्रयोग आवश्यक समझा गया ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (**श्री रघुरामैया**): (क) जी, हां ।

(ख) मांगों की सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 986/68]

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धक, राष्ट्रीय उर्वरक कारखाने के श्रमिकों की यूनियन की, जो गोरखपुर उर्वरक कारखाने की मान्यता प्राप्त यूनियन है, वैसी मांगों पर विचार-विमर्श करती रही है । राज्य श्रम विभाग के प्रादेशिक समझौता अधिकारी के पास कुछ मांगें भेजी गई हैं।

(घ) जी हां ।

(ङ) भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक की सूचना के अनुसार, जो उस दिन गोरखपुर में थे, पुलिस एवं सुरक्षा गार्ड और श्री रमाकान्त पाण्डे तथा उसके कुछ साथियों के बीच हाथापाई हुई जब पश्चादुक्त पार्टी ने कारखाने के प्रशासनिक भवन में जबरन दाखिले की कोशिश की ।

कुछ समवायों द्वारा निर्यात का कम बीजक दिखाने के कारण हुई हानि

8122. **बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में (1) फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, (2) मर्फी रेडियो लिमिटेड (3) नेशनल ईक्को रेडियो कम्पनी लिमिटेड, (4) हिज मास्टर्स वायस और (5) इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्यात का कम बीजक दिखाने के परिणामस्वरूप भारत को कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) पांच में से किसी भी फर्म द्वारा निर्यात के बीजक में कम मूल्य दिखाये जाने के किसी मामले की सरकार को सूचना नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

फादर विन्सेण्ट फैरर को देश निकाला दिए जाने का समाचार

श्री नन्दकुमार सोमानी : (नागौर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"एक मिशनरी फादर विन्सेण्ट फैरर, जो 1958 से मनमाड (महाराष्ट्र) में कार्य कर रहे हैं, देश निकाला दिए जाने का समाचार"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : स्पेन के नागरिक फादर विन्सेण्ट फैरर वर्ष 1952 से भारत में रह रहे हैं और वह कभी-कभी विदेशों की यात्रा भी करते रहे। पिछली बार मार्च, 1961 में वह भारत आये और तब से वह मनमाड में रह रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार को उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक गतिविधियों का समाचार मिला था इसलिये जब वर्ष 1967 में यह प्रश्न उठा कि उन्हें और आगे के लिए भारत में रहने दिया ज़ाये या नहीं, तो यह निर्णय किया गया कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। फिर भी उनकी ओर से अभ्यावेदन मिलने पर तथा उस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिये 31 जनवरी, 1968 तक उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी गई।

अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद महाराष्ट्र सरकार इस परिणाम पर पहुंची कि फादर विन्सेण्ट फैरर की कुछ गतिविधियां अवांछनीय हैं तथा उसने सिफारिश की है कि उन्हें और अधिक भारत में रहने की अनुमति न दी जाये। केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की यह सिफारिश मान ली और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें भारत छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद फादर विन्सेण्ट की ओर से कई अभ्यावेदन मिले हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। चूंकि इन पर विचार करने पर कुछ समय लगेगा इसलिए उन्हें और दो महीने के लिये भारत में रहने की अनुमति दे दी गई है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : हम चाहते हैं कि उन्हें कुछ समय यहां रहने की अनुमति दी जाये जिससे सरकार उन पर लगाये गये आरोपों की स्वतंत्ररूप से छानबीन कर सके। मुझे आशा है कि इस मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने ऐसा ही किया है।

कुछ सदस्यों का कच्छ में निरुद्ध किया जाना तथा हटाया जाना

DETENTION AND REMOVAL OF CERTAIN MEMBERS IN KUTCH

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे कच्छ के पुलिस उपअधीक्षक से दिनांक 21 अप्रैल, 1968 के निम्न चार तार प्राप्त हुए हैं जो एक जैसे ही हैं।

"लोक सभा के सदस्य सर्वश्री हेम बरुआ, जगन्नाथ राव जोशी, मधुलिमये और नाथपाई को बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत खवडा, कच्छ जिले में 21 अप्रैल, 1968 को 0.9-15 बजे निरुद्ध किया गया है और वहां से हटा दिया गया है।"

कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा विशेाधिकार भंग के प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रश्न कानूनी प्रश्न है जिसके बारे में मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। सरकारी तौर पर मुझे अभी कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे श्री वाजपेयी जी से तार मिला है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I beg to submit........

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा तो फिर सब सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी। माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जाएं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to say something about it. Have I not a right to say something ?

अध्यक्ष महोदय : आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें कुछ नियमों और तरीकों का पालन करना पड़ता है। इस तरह तो सभी माननीय सदस्य कहने लगेंगे कि मुझे बोलने का अधिकार है। मैं बता चुका हूं कि मुझे यह सूचना मिली है और इस बारे में श्री वाजपेयी जी से मुझे तार मिला है। जनसंघ के उपनेता श्री बलराज मधोक जी से भी इस विषय में मेरी बातचीत हो चुकी है। वह भी इस मामले को उठाना चाहते थे। अब इस मामले को उठाने की कोई आवश्यकता नही है प्र० सो० पा०, जनसंघ के कुछ नेता तथा कुछ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। यदि कोई और बात रह गई हो तो हम उस पर दूसरे ढंग से विचार करेंगे। बिना वारंट की गिरफ्तारी की वैधता के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में निर्णय करना न्यायालय का काम है।

Shri Rabi Ray (Puri) : Their arrest was illegal. I want to raise this matter.

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो फिर सभी सदस्यों को मुझे अनुमति देनी पड़ेगी। अतः मैं किसी को इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The information given by you is not complete. I have to say something in that connection.

अध्यक्ष महोदय : तब भी आपको इसके लिए अलग सूचना देनी पड़ेगी। **(अन्तर्बाधाएं)** सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं होगा। **(अन्तर्बाधाएं)**** यदि सभा चाहती है कि इस पर चर्चा की जाये......**(अन्तर्बाधाएं)**** आपस में विवाद करना ठीक नहीं है **(अन्तर्बाधाएं)** मुझे इसके बारे में कोई उपाय निकालने दीजिए...... **(अन्तर्बाधाएं)****

श्री बलराज मधोक : (दिल्ली-दक्षिण) : इस मामले से अधिकतर विरोधी दलों का सम्बन्ध है। आपने अभी कहा है कि आप इसकी वैधता पर विचार नहीं कर सकते हैं। आरोप यह है कि उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बिना किसी के आदेश से निरुद्ध किया गया था। और फिर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया था। यह मूल अधिकारों का उल्लंघन है, अधिकार का दुरुपयोग है तथा संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। गृह-कार्य मंत्री महोदय यहां पर हैं। उन्हें इस मामले में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। मेरे पास इस बारे में जो कुछ जानकारी थी वह मैं दे चुका हूं। यदि गृह-कार्य मंत्री...**(अन्तर्बाधाएं)**। उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य बैठ जायें। इस तरह समस्या हल नहीं हो सकती है। इस तरह खड़े होकर चिल्लाना उचित नहीं है। यह ठीक है कि विपक्षी दलों के नेता गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार है। किन्तु यहां पर गृह-कार्य मंत्री हैं और वह इस मामले में जानकारी दे सकते हैं। मेरे पास जो जानकारी थी वह मैं दे चुका हूं। यदि बाद में कोई जानकारी मिलेगी तो वह सभा को बाद में दी जायेगी। कल मैं कार्यमंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाऊंगा। उसमें सभी दलों के सदस्य होंगे। आप लोग उसमें इस मामले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। हमें यहां पर इस प्रकार उत्तेजित न होकर थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पंत की ओर से निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 651 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

** सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(दो) जी० एस० आर० 683 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-965/68]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 653 की एक प्रति जो 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 9 मार्च, 1968 की जी० एस० आर० का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी**-966/68]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

पांचवां प्रतिवेदन

श्री तिरूमल राव (काकिनाडा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 1174

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मेरे मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिन्दे ने 11 अप्रैल, 1968 को इस सभा में एपीजे शिपिंग कम्पनी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के भाग (घ) के उत्तर में यह बताया था कि आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त श्री ए० एम० थामस को वापिस बुलाने की मांग के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। अनुपूरक प्रश्नों के दौरान माननीय सदस्य श्री मधुलिमये ने प्रश्न के उत्तर की सत्यता पर आपत्ति प्रकट की और बताया कि उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने श्री ए० एम० थामस को वापिस बुलाने की मांग की थी। चूंकि प्रश्न का भाग (घ) मुख्य रूप से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से संबंधित था और इस भाग का उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था, इसलिए मैंने वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए और पूछताछ करने का वचन दिया था।

जांच-पड़ताल से अब इस बात का पता चला है कि माननीय सदस्य मधुलिमये ने 16 फरवरी, 1968 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें अन्य बातों के साथ उन्होंने यह भी पूछा था क्या प्रधान मंत्री श्री थामस को आस्ट्रेलिया से वापिस बुलाने के बारे में विचार करेंगी। प्रधान मंत्री के सचिवालय में उस पत्र का सार सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज दिया था। उस पत्र का श्री थामस को वापिस बुलाने से सम्बन्धित अंश वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अथवा खाद्य विभाग

को नहीं भेजा गया था क्योंकि पहले मेरे विभाग से इस मामले के तथ्यों का पता लगाना था और उसके बाद ही प्रधान मंत्री इस बात की जांच कर सकती थीं कि श्री थामस को वापिस बुलाने के सुझाव पर विचार करने के लिए स्पष्ट मामला बनता है अथवा नहीं। तदनुसार प्रधान मंत्री के सचिवालय ने 9 मार्च, 1968 को श्री मधुलिमये के उक्त पत्र के खाद्य विभाग से संबंधित अंश हमारी टिप्पणियों के भेजा था। हमारी टिप्पणियां विधिवत 30 मार्च, 1968 को प्रधान मंत्री को भेज दी गईं।

चूंकि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध हमारे दूतावासों के प्रमुखों की नियुक्ति, उन्हें वापिस बुलाने आदि से है इसलिए 11 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के भाग (ग), (घ) और (ङ) का उत्तर तैयार करने के लिए हमने उस मंत्रालय से सामग्री मांगी थी। उस मंत्रालय ने हमारे विभाग को बताया था कि उसे श्री ए० एम० थामस को वापिस बुलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूंकि उस मंत्रालय को श्री मधुलिमये के पत्र के श्री थामस को वापिस बुलाने की मांग वाले अंश के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए उस मंत्रालय ने उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही हमें उत्तर दिया। इस सभा में दिया गया उत्तर खाद्य विभाग में उपलब्ध जानकारी तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित था।

मैंने सभा में जो स्पष्टीकरण दिया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि उस प्रश्न उत्तर में जो जानकारी दी गई थी उससे हमारा अभिप्राय सभा से किसी प्रकार की जानकारी छिपाना नहीं था।

प्रश्न के भाग (घ) के संशोधित उत्तर के संदर्भ में प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में भी सरकार की स्थिति का फिर से स्पष्ट करना आवश्यक है। इस मामले पर अच्छी तरह विचार करने के बाद सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि श्री थामस को वापिस बुलाने के श्री मधुलिमये के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I want to put a question.

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य अलग प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं। मैं बाद में उन्हें अवसर दे सकता हूं। किन्तु यहां पर परम्परा को नहीं तोड़ा जा सकता है।

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव
BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री तिरुमल राव : (काकिनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में आगे संशोधन

करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को 6 मई, 1968 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को 6 मई, 1968 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रवर समिति के सदस्य की नियुक्ति

श्री तिरुमल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के स्थान पर जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, श्री हेम राज को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के स्थान पर जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, श्री हेम राज को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य बजट 1968-69 अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे विचार करेंगे। मंत्री महोदय दोपहर के बाद वाद-विवाद का उत्तर देंगे। उसके बाद हम

तीन-सवा तीन बजे संचार विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे और सायंकाल साढ़े छः बजे तक उन पर चर्चा पूरी कर लेंगे। शेष विषय हम कल लेंगे।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम आत्मनिर्भर बनने के प्रयत्न करने के स्थान पर अन्य देशों पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। भारतीय उर्वरक निगम की ट्राम्बे परियोजना के मेथानोल कारखाने की अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपये थी किन्तु उसकी स्थापना में अनावश्यक विलम्ब के कारण यह लागत बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गई। इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता 33,000 टन प्रति वर्ष थी किन्तु इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित क्षमता का केवल 45 प्रतिशत है। इस कारखाने में उत्पादन कम होने के कारण 1·5 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इसके अतिरिक्त हमें 50 लाख रुपये के मूल्य के मेथानोल का आयात करना पड़ेगा। हमारे देश में उत्पादित मेथानोल की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत की तिगुनी है। मेथानोल प्रतिरक्षा कारखानों के लिए आवश्यक है। इसलिए इसके लिए विदेशों पर निर्भर करना खतरनाक है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जहां तक नेप्था का सम्बन्ध है, हम नेप्था के उत्पादन का 40 प्रतिशत का निर्यात करते हैं। नेप्था के बारे में फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट ने कहा है कि कर और परिवहन व्यय मिलाकर इसकी लागत 80 रुपये प्रति टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु बर्मा शेल 131 रुपये प्रति टन की दर से नेप्था बेच रहा है। इस मूल्य में कर और परिवहन व्यय शामिल नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपनी अर्थ व्यवस्था को हानि पहुंचा कर विदेशी एकाधिकार वाले लोगों को अंधाधुंध मुनाफा कमाने की छूट दे रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 30 करोड़ टन नेप्था का स्टाक है। किन्तु वास्तव में 25 लाख टन पाइराइट खानों से निकाला गया। चैकोस्लोवाकिया खानों से पाइराइट निकालने के लिए आवश्यक मशीनें देने के लिए तैयार था किन्तु सरकार ने उसका यह प्रस्ताव नहीं माना। हम अन्य देशों से मशीनें ले रहे हैं जो खराब हैं।

भारतीय उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग बिना विदेशी सहायता के सभी किस्म की मशीनें बना सकता है। किन्तु सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पिछले वर्ष भारतीय उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग के 300 इंजीनियरों ने प्रधान मंत्री को लिखा था कि वे सभी किस्म की मशीनें बना सकते हैं किन्तु उन्हें उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। वे कोयले पर आधारित उर्वरक सस्ती दर पर बना सकते हैं। किन्तु सरकार उनकी प्रतिभा का उपयोग करने को तैयार नहीं है और वह अधिक से अधिक विदेशों पर निर्भर करती जा रही है।

फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी को कच्चे तेल के एक बैरल पर 1.35 डालर का मुनाफा

दिया जा रहा है। तकनीकी सेवाओं के लिए हम इस कम्पनी को पन्द्रह वर्षों में 6.5 करोड़ रुपये देने पड़े हैं। अशोधित तेल का मूल्य एक बार नहीं अपितु बार-बार निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1965 से 1966 तक विदेशी तेल कम्पनियों ने 390 करोड़ रुपये विदेशों को भेजे। यदि यही प्रवृति रही तो हम 15-20 वर्षों में भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे। सरकार विदेशी तेल कम्पनियों को सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ अपना व्यापार बनाने की अनुमति दे रही है। ऐसा करना देश के हित में नहीं है।

जहां तक श्रम नीति का सम्बन्ध है तेल कम्पनियां बिजली से चलने वाले संगणक लगा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में 25 प्रतिशत कर्मचारी नौकरी से निकाले गये हैं। सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए गोखले समिति नियुक्त की और उससे छः महीने के अन्दर प्रतिवेदन देने के लिए कहा था किन्तु उसने अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया है। कर्मचारियों की छंटनी अब भी जारी है किन्तु मंत्रालय उन्हें दूसरी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है।

भारतीय तेल निगम भी श्रम विरोधी नीति अपना रहा है। इस निगम का मद्रास स्थित कारखाना कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त मजदूर संघ से बात चीत करने तक के लिए तैयार नहीं है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में सरकार ने दो सप्ताह तक पांच लाख रुपये प्रति दिन का घाटा उठाया किन्तु उसने कर्मचारियों की कुछ मांगें नहीं मानी जिनको मान लेने पर केवल थोड़ी सी रकम खर्च होती थी। विवाद का हल हो जाने पर भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। ट्राम्बे और नगल में भी औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो निकट भविष्य में मजदूरों को नया संघर्ष करना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र में अपव्यय हो रहा है। बार-बार आलोचना करने पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। यदि सरकार ने विदेशी एकाधिकार को तथा नौकरशाही को प्रोत्साहन नीति को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। मजदूरों के साथ यदि दुर्व्यवहार ही होता रहा तो वे निरुत्साहित रहेंगे और इस दिशा में कोई भी सुधार नहीं हो पायेगा।

हमारे पास तकनीकी जानकारी है किन्तु फिर भी हम अपने उद्योगों का विकास न करके विदेशों पर ही निर्भर करते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि वह आत्मनिर्भर बनने के लिए देश की तकनीकी जानकारी का उपयोग करके अपने उद्योगों का विकास करे। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर गहराई में विचार करें।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : यह सराहनीय बात है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद तेल के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। उर्वरकों के क्षेत्र में पर्याप्त अच्छा कार्य हुआ है। यदि इसके

लिए अधिक धन नियत किया जाता तो देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में ही उर्वरकों का उत्पादन हो जाता। आन्ध्र प्रदेश में अधिक उर्वरकों की खपत होती है और वह राज्य अधिक खाद्यान्न पैदा करता है तथा वह अन्य राज्यों को खाद्यान्न सप्लाई करता है। इससे विदेशी मुद्रा की काफी बचत होती है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने उर्वरक कारखाने स्थापित करने के मामले में आन्ध्र प्रदेश की उपेक्षा करके अन्य राज्यों में अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित किये हैं। अमेरिकन कोआपरेटिव कन्सोशियम भारत आया था और प्रारम्भिक बातचीत तथा जांच पड़ताल के बाद उसने यह निर्णय किया था कि सहकारी क्षेत्र में दो कारखाने स्थापित किये जायें। उनमें से एक कारखाना कांडला में और दूसरा विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाना था। उसके लिये वह 70 प्रतिशत धन देने के लिए तैयार था। केन्द्रीय सरकार को केवल 30 प्रतिशत धन देना था। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने एक ही कारखाने की स्वीकृति दी और वह भी विशाखापत्तनम में नहीं अपितु कांडला में। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण बर्ताव पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय करता है अथवा वित्त मंत्रालय।

पहले कोठाकुडम में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्वीकृत किया गया था किन्तु बाद में यह कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र को स्थापित करने के लिए कहा गया। अब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किया जाये। मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि यह कारखाना शीघ्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये।

ट्राम्बे, नंगल आदि उर्वरक कारखानों में मिश्रित उर्वरक बनाये जा रहे हैं। भारत में इन उर्वरकों की बहुत आवश्यकता है। इन उर्वरकों के उत्पादन में भी सरकार को किसानों से सलाह लेनी चाहिए।

विदेशी तेल कम्पनियों के बावजूद भी देश में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। विदेशी तेल कम्पनियों को अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति कब तक दी जायेगी, यह नहीं कहा जा सकता। विदेशों से मंगाये जाने वाले अशोधित तेल पर काफी मुनाफा लिया जाता है। जिससे डीजल और पेट्रोल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं।

यदि अमरीकी तेल कम्पनी को ठेका दिया जाता है तो उसका इस परियोजना पर अधिकार होगा तथा इसमें उनका हिस्सा होगा। मंत्री महोदय बतायें कि क्या यह स्थायी है या केवल निश्चित अवधि के लिये है और उनके निदेशक कितने होंगे और हमारे निदेशक कितने होंगे। इस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक कौन होगा? तट से दूर छिद्रण में उनको स्थायी अधिकार देना देश के हित में नहीं होगा। सरकार अमरीकियों से औजार और मशीनें क्यों नहीं खरीदती, हमारे लोगों को दूसरे देशों में प्रशिक्षण के लिये क्यों नहीं भेजती और किसी विदेशी कम्पनी को काम सौंपने के बजाय अपने आप तट से दूर छिद्रण का काम शुरू क्यों नहीं करती।

हम अभी तक मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर नहीं हो सके। ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं जहां मिट्टी के तेल की कमी है और लोगों को इसके लिये काले बाजार की कीमत देनी पड़ती है। सरकार को आबादी के आधार पर देहातों के लिये कोटा नियत करना चाहिये और उन्हें तेल का आवंटन करना चाहिये।

हमने सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है लेकिन कीमतों को कम करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। खाद की कीमतें भी कम नहीं हुई हैं। उन्हें करोड़ों रुपये का लाभ हो रहा है। देश में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सहायता के लिये कीमतें कम की जानी चाहिये।

श्री दामानी (शोलापुर) : देश के विकास के लिये पेट्रोलियम और उर्वरक अत्यावश्यक है। स्वतंत्रता के बाद बीस वर्षों में हमने पेट्रोलियम और खाद के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। 1947 में तेल का हमारा उत्पादन केवल 20 लाख टन था और अब यह बढ़कर लगभग 70 लाख टन हो गया है। इसी तरह हमारी शोधन क्षमता शून्य थी लेकिन अब हमारी शोधन क्षमता लगभग 170 लाख टन है।

हमारी तेल की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। इसलिये हमें अब भी अन्य देशों से काफी तेल का आयात करना पड़ता है। इसलिये उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक प्रयास किये जाने चाहिये। खोजबीन के काम के लिये विदेशों पर निर्भर रहने से हमारी समस्या हल नहीं होगी। हमारे तकनीकी लोग योग्य हैं और उन्हें खोजबीन का काम सौंपा जाना चाहिये ताकि हम अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

शोधन कारखानों में अधिक क्षमता स्थापित करने में सरकार ने ठीक निर्णय किया हैं ताकि हम कच्चे तेल को उपयोगी बना सकें। इससे पहले हम तैयार वस्तुओं का आयात करते थे। अब हम केवल कच्चा माल मंगाते हैं जिसके लिये हमें कम धनराशि देनी पड़ती है और इस तरह हम विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं।

अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हम और अधिक विदेशी कम्पनियों को अपने देश में आने और इस क्षेत्र में प्रवेश करने का आमंत्रण दे सकते हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और विदेशी मुद्रा बचा सकें जिसे तेल के उत्पादों के आयात पर हर साल खर्च किया जा रहा है।

मंत्री महोदय हमें बतायें कि देश कितनी अवधि में आत्मनिर्भर बन जायेगा। उन्हें इस क्षेत्र में प्रति वर्ष संभाव्य प्रगति का हवाला भी देना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि हम इस समय तेल की वस्तुओं के आयात के लिये हर साल 110 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं। हमें कब तक इतने तेल का आयात करना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र में शोधन कारखानों की शोधन लागत गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधन लागत से ज्यादा है। इसे कम करने के लिये पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिये।

इस समय खाद का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। देश में कारखानों की स्थापना के लिये अनेक आवेदन पत्र आये हैं लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिये हमें अन्य देशों से काफी खाद का आयात करना पड़ता है जिस पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिये देश की मांग को पूरा करने के लिये खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक प्रयास किये जाने चाहियें।

जहां तक रासायनिक पदार्थों का सम्बन्ध है, हम कास्टिक सोडा, सोडा ऐश जैसी बहुत सी चीजों में आत्मनिर्भर हो गये हैं। लेकिन मध्यवर्ती पदार्थों के मामले में हम पीछे हैं। इसलिये उन उद्यमियों को अधिक लाइसेंस तथा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये जो देश में ऐसे मध्यवर्ती कारखाने स्थापित करना चाहते हैं ताकि हम यथासंभव शीघ्र आत्मनिर्भर हो सकें।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : तेल तथा रासायनिक पदार्थों के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है उसका श्रेय श्री के० डी मालवीय को है। परन्तु दुर्भाग्य वश बाद में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में सुधार करने के लिये ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। इसी लिये हम सरकारी क्षेत्र की भी आलोचना करते हैं। सरकार को सही दिशा में दिलचस्पी लेनी चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक बड़ी त्रुटि यह है कि उन उपक्रमों की व्यवस्था के लिये ऐसे लोग तैनात नहीं किये जाते जो प्रबन्ध में कुशल हैं। सरकारी क्षेत्र के शोधन-कारखानों में सैनिक अधिकारियों की तैनाती उचित नहीं है क्योंकि उन्हें प्रबन्ध का कोई अनुभव नहीं होता। वे श्रमिकों के साथ भी उचित ढंग से व्योहार नहीं कर सकते। यदि इन त्रुटियों को दूर कर दिया गया तो इन उपक्रमों का काम अवश्य सुधर जायेगा।

कुछ स्थानों पर फालतू श्रमिक हैं लेकिन वे उनकी छटनी नहीं करना चाहते क्योंकि इससे लोकमत विपरीत हो सकता है। सरकार को हिम्मत करनी चाहिये और तेल शोधन कारखानों तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य सम्बन्धित कारखानों के, जो इस मन्त्रालय के प्रशासन के अधीन हैं, कारोबार में सुधार करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का काम संतोषजनक नहीं है और वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बुरी तरह असफल हुआ है। मंत्री महोदय को इसे उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिये और तेल की खोज के लिये देश के अत्यधिक कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये। खम्भात

के क्षेत्र में बहुत अधिक तेल है। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां से तेल निकालने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अन्य क्षेत्रों की खोज करने पर धन और शक्ति बर्बाद करने के बजाय यथासम्भव शीघ्र खम्भात क्षेत्र में तेल निकालने का काम जारी रखना अधिक लाभदायक होगा।

सरकार ने देश में खाद की मांग का कम अनुमान लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप उतने कारखाने स्थापित नहीं किये गये जितने कि आवश्यक थे और अब हमें विदेशों से काफी खाद मंगानी पड़ती है।

सरकार का यह विचार ठीक नहीं है कि हमारे किसान खाद का इस्तेमाल करने के लिये तैयार नहीं हैं। वास्तव में देश में खाद की बड़ी मांग है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे लोगों को यह जानकारी नहीं है कि कैसी जमीन में कौन सी खाद का इस्तेमाल किया जाय। हमने अभी तक ऐसा कोई तेल स्थापित नहीं किया है जो किसानों का इस बात में मार्ग-दर्शन कर सके। खाद के वर्तमान मूल्य भी ज्यादा हैं। किसान के हित के लिये इसे कम किया जाना चाहिये। खाद के वितरण में भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिये।

नांगल में खाद निगम के लोगों ने एक प्रकार की वितरण व्यवस्था कायम की है जिसमें वे किसानों को जानकारी भी देते हैं। वहां पर भूमि परीक्षण विभाग है। इस तरह वे किसानों को यह जानकारी देते हैं कि कैसी खाद इस्तेमाल की जाय और कितनी इस्तेमाल की जाय। ऐसी वितरण प्रणाली की व्यवस्था देश भर में की जानी चाहिये। यह उचित समय है कि पूरी खाद नीति को किसान के हित में बदला जाय।

Shri Chandrika Sinha (Ballia): We are grateful to former Minister Shri K. D. Malviya, who was responsible for the exploration of oil in different parts of the country and for the establishment of public sector undertakings in this field. If these undertakings in public sector are not working properly, it is only due to those difficulties which have been put by the opposition parties. These parties incite the employees for resorting to strike which adversely affects production. Co-operation from every political party is required for the success of undertakings in public sector.

It is a matter of regret that the foreign oil companies are being favoured in the matter of providing sites. We cannot depend on these companies and hope that they would be doing well in emergency also. Therefore, it is advisable that these companies should be nationalised.

I am grateful to the Ministry for the establishment of a fertiliser factory at Gorakhpur in Uttar Pradesh but those farmers who have been evacuated should be given priority in the matter of employment whose land has been acquired.

There is great shortage of kerosene oil in the villages. Proper attention should be paid to the work of oil distribution. Local Committee should be formed for this purpose.

The price of fertilisers have gone very high. These prices should be brought down and the subsidy, which was stopped, should be restored. In the end, I would again request that raw material and other amenities are available in abundance for the chemical industries in eastern

districts of Uttar Pradesh. Therefore, more and more chemical industries should be established in these areas.

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं अपने को बुनियादी आलोचनाओं तक ही सीमित रखूंगा। मुख्यतया दो आलोचनायें की गई हैं कि हमारी कोई तेल नीति और उर्वरक नीति नहीं है। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है।

जहां तक तेल नीति का सम्बन्ध है, हम यथासम्भव कई क्षेत्रों में आत्म-निर्भर होने के लिये इच्छुक हैं। हम कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भर होना चाहते हैं। परन्तु संसार का कोई भी देश पहिले से यह नहीं कह सकता कि वह अवश्य ही आत्म-निर्भर हो जायेगा। हम अपनी ओर से भरसक कोशिश करेंगे कि हम आत्म-निर्भर हो जांय किन्तु हम इस बात का दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तेल की मांग बढ़ रही है और हो सकता है कि हमें अपनी आवश्यकतानुसार तेल न मिल सकें।

खोज-कार्य के बारे में कहा गया है कि हमने काफी धन खर्च कर दिया किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। 1967-68 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य बहुत अच्छा रहा है, अगले वर्ष का लक्ष्य इस वर्ष की अपेक्षा 40 प्रतिशत अधिक है। हमारे यहां ड्रिलिंग में रूस की अपेक्षा कम समय लगता है। विरोधी दलों को आयोग द्वारा किये जाने वाले अच्छे कार्य के लिये उसकी सराहना करनी चाहिये। जो भूतत्ववेत्ता आयोग के अधीन काम कर रहे हैं, यदि उनके काम की सराहना की जायेगी तो वे और भी अच्छा कार्य करेंगे। अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है। इससे वे हतोत्साहित होते हैं।

जहां तक तेल की खोज के कार्य का सम्बन्ध है, हम इस मामले में काफी आगे हैं। हमारी भूमि का क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम उत्पादक है। मेरा विश्वास है कि हमने ईरान के मुकाबले अधिक कुएं खोदे हैं परन्तु हम ईरान के तेल के उत्पादन का एक अंश ही उत्पादन कर रहे हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कुएं कितने उत्पादक हैं। अतः हमें काफी काम करना होगा। हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, परन्तु मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में कई कठिनाइयां भी हैं। पहिले तो हमारे पास संसाधन नहीं हैं और दूसरी कठिनाई विदेशी मुद्रा की है। इस मंत्रालय में विदेशी मुद्रा की समस्या और भी ज्यादा गम्भीर होती जा रही है क्योंकि तेल और रसायन के उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनमें तकनीकी जानकारी बहुत तेजी से बदलती जाती है। छः या सात साल में वह पुरानी हो जाती है। हमारे यंत्र भी पुराने हैं और हमारे वैज्ञानिकों को इन पुराने उपकरणों से ही काम करना पड़ता है। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए जो कार्य किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। लेकिन फिर भी मेरा विचार ऐसा है कि यदि हम तेल की खोज का कार्य केवल भूभाग तक ही सीमित रखते हैं, तो हम आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे। यह सम्भव है कि तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक तेल मिल सके। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों में काफी मात्रा में तेल मिलने की संभावना है। मैं इस बारे में पहिले से कुछ नहीं कह सकता।

रसायन तथा तेल उद्योग में जहां तक तकनीकी जानकारी का सम्बन्ध है, कोई भी देश आत्म-निर्भर नहीं हो सकता। मैंने सोवियत संघ से एक कुशल दल बुलाया था जिसने यह सलाह दी थी कि हमें और आगे प्रशिक्षण के लिये सोवियत संघ सहित पश्चिमी और पूर्वी योरोप के देशों को 200 व्यक्ति भेजने चाहियें।

गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और यह समूचा धन विदेशी मुद्रा में चाहिये। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि तेल की खोज के काम में, जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम यथासम्भव एक सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Why Government is not able to decide for the last ten months about the offer of an American firm that it would bear the whole expenditure and enter into partnership only after the oil has been struck ? In case, technology is not forthcoming from Russia, why it cannot be had from America ?

श्री अशोक मेहता : इसमें दस महीने नहीं लगे हैं। यह मामला पिछले दो महीने से विचाराधीन है। सरकार को किसी निर्णय पर पहुंचने से पहिले सभी बातों पर विचार करने का अधिकार है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे बातें क्या हैं ?

श्री अशोक मेहता : वे बातें ये हैं कि मुनाफे का विभाजन कैसे किया जाय, इस प्रकार के करार के परिणाम क्या होंगे आदि। निर्णय हो जाने पर, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा।

जहां तक तेल शोधक कारखानों का सम्बन्ध है, इण्डियन आयल कम्पनी की तेल साफ करने की वर्तमान क्षमता 67 लाख टन है जो अगले तीन या चार साल में 90 लाख से लेकर 1 करोड़ टन तक हो जायेगी और इसकी लागत भी कम हो जायेगी। तेल शोधक कारखानों को विभिन्न स्थानों पर लगाने की निरन्तर मांग रही है। लेकिन हम चाहते हैं ये कारखाने बाजार के निकट हों। एक प्रश्न यह उठाया गया कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ तेल शोधक कारखानों की कुछ अतिरिक्त क्षमता है। हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उस क्षेत्र में कोई मांग नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी वर्तमान नीति यह है कि जहां कहीं मांग बढ़ती है वहां हम तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिये सरकार मद्रास और हल्दिया में एक-एक कारखाना स्थापित कर रही है।

आगामी तीन या चार वर्षों में एक नया तेल शोधक कारखाना खोलना चाहते हैं और हमारा विचार यह है कि इस कारखाने को उत्तर-पश्चिम में कहीं पर लगाया जाये। आसाम में एक और कारखाना स्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि वहां दो तेल शोधक कारखाने पहले ही मौजूद हैं। सरकार आसाम में और नये तेल शोधक कारखाने तो लगाना नहीं चाहती, लेकिन वह गोहाटी शोधनशाला का विस्तार अवश्य करना चाहती है। आज हमें 1 से लेकर $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये तक का घाटा हो रहा है क्योंकि आसाम में उत्पादित वस्तुओं के लिये वहां बाजार नहीं है

और उन्हें अन्यत्र बेचना पड़ता है जिनके परिणामस्वरूप इंडियन आयल कम्पनी को घाटा हो रहा है क्योंकि परिष्कृत वस्तुओं पर कच्चे माल की अपेक्षा अधिक ढुलाई खर्च आता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के साथ हमने कुछ करार किये हैं और हम उनका पालन करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उनका पुनरीक्षण जरूरी है क्योंकि ये करार 14 या 15 वर्ष पहले किये गये थे और कुछ मामलों में फिर से बातचीत करने की जरूरत है और निकट-भविष्य में जो कुछ आवश्यक होगा किया जायेगा। इस बारे में सरकार का मिश्रित दृष्टिकोण है, हमारी नीति जहां सरकारी क्षेत्र का विकास करने की है वहां गैर-सरकारी क्षेत्र के उचित अधिकारों की रक्षा करने की भी है बशर्ते कि वे समय-समय पर बदली परिस्थिति के अनुरूप इन करारों अथवा समझौतों पर पुनर्विचार करने के लिये इच्छुक हों।

तेल की खोज के लिये हमने ब्रिटेन, अमरीका, रूमानियां, युगोस्लाविया, फ्रांस आदि से विशेषज्ञ बुलाये लेकिन कुछ परिणाम न निकला, यह बड़ा कठिन काम है, मैं समझता हूं यह काम हमें ही करना है। इसके साथ-साथ हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि तेल उद्योग से भारी लाभ होगा। यह तो एक जुआ है—भारी जोखिम है। यदि सफल हो गये तो नफा ही नफा है और असफल हो गये तो सारा धन बेकार चला गया।

ईरान में हमने 10 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। हमने वाणिज्यिक आधार पर वहां तेल निकाला है। हमें ईरान से केवल एक ही कुएं (स्ट्रक्चर) से लाखों टन तेल मिलेगा। वहां हमें 5 या 6 स्ट्रक्चर्स हैं और अब तक 3 या 4 स्ट्रक्चरों का छिद्रण कार्य हो गया और 2 अभी बाकी हैं। इस सम्बन्ध में, मैं अभी कोई ठोस बात कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन इतना जरूर है कि हमें इनसे काफी लाभ होगा।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में हमने अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रगति नहीं की क्योंकि सरकारी क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति नहीं हुई और गैर-सरकारी क्षेत्र इस काम के लिये आगे नहीं बढ़ा, अब हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है और वर्ष 1975 तक उर्वरकों की हमारी क्षमता 50 लाख टन हो जायेगी जिस पर 1400 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी, अब तक हमने केवल 250 करोड़ ही लगाये हैं। इन 1400 करोड़ रुपयों में से 400 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में होंगे। लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह है कि केवल उर्वरकों के लिये ही हम आगामी चार या पांच वर्षों में इतनी भारी धन राशि कैसे जुटा सकेंगे और इतनी विदेशी मुद्रा कहां से आयेगी? इसलिये हमने यह फैसला किया है कि इस 1400 करोड़ रुपये की राशि में से 800 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में खर्च किये जायेंगे अब आप देखिये कि इसके लिये प्रबन्धक क्षमता तो रातोरात बन नहीं जायेगी, कई तकनीकी कठिनाइयां पैदा होंगी। सभा को विदित होगा कि एक आधुनिक रासायनिक कारखाने में, चाहे वह दुनियां के किसी भाग में हो पूरा उत्पादन शुरू होने में कई वर्ष लग जाते हैं। फिर भी मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष हमारे उर्वरक कारखानों में अच्छा काम होगा, और वे वर्ष 1971-72 तक देश की समूची आवश्यकता को पूरी करने में निश्चित रूप से सफल हो जायेंगे और बाहर से आयात करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऐसा कहा गया है कि हमारे देश में उर्वरकों के मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक हैं, किन्तु यह सच नहीं है। उदाहरणार्थ वर्ष 1967 में भारत में किसान के लिये यूरिया का मूल्य 840 रुपये था जबकि पश्चिम जर्मनी में वह 895 रुपये और फ्रान्स में 880 रुपये था। हमारे देश में अमोनियम सल्फेट का मूल्य 495 रुपये है जबकि फ्रान्स में 480 रुपये है। इसी प्रकार हमारे यहां कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट का मूल्य 535 रुपये है और फ्रान्स 520 रुपये है। जब हम आधुनिक टैक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू करेंगे तो, मुझे यकीन है, ये मूल्य और भी नीचे आ जायेंगे।

ऐसी दलील दी गई है कि उर्वरकों के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है क्योंकि कभी वह नेफ्था की बात करती है, तो कभी किसी और चीज की। हमने अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि 70 प्रतिशत उर्वरकों का निर्माण नेफ्था आधारित होगा। लगभग 15 प्रतिशत उर्वरक कोयला अथवा लिग्नाइट के आधार पर किये जायेंगे, लगभग $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत उर्वरक तरल अमोनिया के आधार पर तैयार किये जायेंगे और बहुत थोड़ा सा हिस्सा इलैक्ट्रोलाइटिक के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, कोरबा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय खाद्य निगम ने बहुत व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिस पर विचार किया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि कोरबा कोयला-आधारित कारखाने के आर्थिक लाभ होंगे। सरकार इस मामले पर बड़ी सावधानी से विचार कर रही है और जब तक उसका अध्ययन पूरा नहीं हो जाता, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।

हमारी आलोचना की गई है कि हम नेफ्था का निर्यात कर रहे हैं। यह सच है कि हम आज नेफ्था का निर्यात कर रहे हैं लेकिन नेफ्था की हमारी मांग बढ़ने वाली है और तरल अमोनिया पर आधारित संयत्रों को छोड़कर नेफ्था पर आधारित संयंत्र सम्भवतः सबसे सस्ते होंगे। ऐसी सम्भावना है कि हम ईरान, कुवेत तथा सउदी अरब जैसे देशों को वहां तरल अमोनिया का विकास करने में सहायता दें और वे हमें यहां उर्वरकों का विकास करने में सहायता दें। फिर भी इस मामले में हमारा यही विचार है कि भविष्य में 70 प्रतिशत उर्वरकों का उत्पादन नेफ्था पर आधारित होगा और इसे शोधनशाला क्षमता, पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन प्रणाली आदि से सम्बन्धित करना पड़ेगा।

हमारे देश में कुछ रॉक फॉस्फेट हैं और हम पाइराइट का विकास कर रहे हैं और उसमें से गन्धक कम कर रहे हैं। इन सब चीजों में समय लगता है और टेक्नोलॉजी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अलावा इस प्रयोजन के लिये विदेशी ऋण से, जो आसानी से नहीं मिलता, औजार प्राप्त करने पड़ते हैं।

उर्वरक के सम्बन्ध में हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है, हमारी नीति उर्वरक के मामले में आत्म-निर्भर होने की है और मुझे यकीन है हम 1971-72 तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे। 1975

तक हमें कम से कम 50 लाख टन की क्षमता का निर्माण करना है और 42 लाख टन का उत्पादन करना है। ऐसा करने के लिये हमें बहुत भारी पूंजी जिसमें विदेशी मुद्रा शामिल है लगाने की जरूरत है। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये हमें लचीली नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें से अधिकतर विकास सरकारी क्षेत्र में होगा फिर भी गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी कुछ गुंजाइश रखनी है। विदेशी मुद्रा के मामले में हम बाहर के ऋणों पर निर्भर रहते हैं और उर्वरक कारखानों की स्थापना के बारे में जब हम विदेशों से बातचीत करते हैं, तो वे परियोजनाओं का इंजीनियरिंग तथा डिजायनिंग कुछ हद तक खुद ही करना चाहते हैं, तो हमें उनकी मांग माननी पड़ती है। इसी तरह हमें उनसे ऋण लेना पड़ता है, उन्हें ब्याज देना पड़ता है और कभी-कभी विश्व बाजार से ऊंची दरों पर उनसे उपकरण आदि खरीदने पड़ते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद हम तेजी से आगे बढ़ने के लिये प्रयत्नशील हैं।

पेट्रो-रसायनिक पदार्थों के सम्बन्ध में भी यह आरोप लगाया गया है कि हमारी गति बहुत धीमी है। मैं मानता हूं, लेकिन हमारे पास संशोधन कहां हैं? कोई पेट्रो-रसायन उद्योग तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि कुछ मिश्रित तथा समन्वित पूंजी लगाई जाये। 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पिछले दो या तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिये इतनी भारी राशि की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका। अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक कारखाना स्थापित किया जायेगा और अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हम ठेके कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि पेट्रो-रसायन उद्योग में 200 करोड़ रुपये लगाने से उत्पादन होगा उससे अन्ततोगत्वा हमारी राष्ट्रीय आय में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी, इससे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के राजस्व में प्रति वर्ष लगभग 125 अथवा 150 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी। रोजगार के अवसरों का फैलाव भी बढ़ने की स्थिति में है। किसी बड़ी चीज का निर्माण श्रम-प्रधान नहीं होता, मुझे आशा है कि ऐसे निर्माण कार्य देश के विभिन्न भागों में किये जायेंगे। मद्रास में हमने एक संस्थान खोला है जहां प्रशिक्षण प्राप्त करने पर कई लोग उद्यमकर्ता बन सकेंगे और देश में रोजगार भी प्राप्त करेंगे।

जहां तक औषधि उद्योग का सम्बन्ध है, इस उद्योग का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, और उसकी कार्य शैली बड़ी तेजी से बदल रही है। हमारा उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 180 करोड़ रुपये का है और जो 1971-72 तक हमारे लक्ष्य के अनुसार बढ़कर 250 करोड़ रुपये का हो जायेगा। इस समय हम बहुत तैयार औषधियों तथा उनसे सम्बन्धित कुछ अन्य वस्तुओं का बहुत सीमित मात्रा में आयात कर रहे हैं। कुल आयात लगभग 20 या 25 करोड़ रुपये का है। इसमें से हम लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के तीन कारखाने हैं जो ऋषिकेश, हैदराबाद और मद्रास में स्थित हैं और उसने अब काम तेज कर दिया है, बाजार सर्वेक्षण किये जा रहे हैं,

बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन का पुनर्विन्यास किया जा रहा है। अनुसंधान और बिक्री दो ऐसे निकाय हैं जिन्हें अन्ततोगत्वा उत्पादन शैली निर्धारित करनी पड़ेगी। कारखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह नहीं है जो उत्पादन करता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो यह कहता है, कि बाजार की मांगें क्या होंगी और औषधियों के सम्बन्ध में क्या खोज करनी पड़ेगी। वास्तव में इस दिशा में अधिक प्रगति न करने का सबसे बड़ा कारण पर्याप्त बाजार सर्वेक्षण न किया जाना रहा है।

इस समय मेरे अधीन सरकार क्षेत्र के 14 कारखाने हैं जिनमें से 6 निर्माणाधीन हैं और 8 बनकर तैयार हो चुके हैं। छः कारखाने लाभ में चल रहे हैं और कुछ कारखाने अपने आन्तरिक संसाधनों से विस्तार कर रहे हैं। मेरी तीव्र आकांक्षा है कि ये कारखाने अत्यन्त कम खर्चीले, कुशल और लाभदायक ढंग से प्रगति करें। यदि हम चाहते हैं कि ये संगठन ठीक ढंग से तथा सुचारु रूप से काम करें, तो यह जरूरी है कि हम उनमें रोजगार, पदोन्नति आदि के मामलों में प्रबन्धकों को छूट दें और उनके काम में हस्तक्षेप न करें। श्रम-सम्बन्धों के मामले में भी वर्ष के अन्त में परिणामों के आधार पर ही निश्चय करना ठीक होगा। मैं नहीं चाहता कि उनके नित्य प्रति के काम में दखल दिया जाये। हमें इस बात पर उनकी जांच करनी होगी कि उन्होंने साल में कितना उत्पादन किया है, किस किस्म का उत्पादन किया है, मुनाफा कितना कमाया है तथा उनके कार्य के बारे में सार्वजनिक धारणा क्या है ?

मेरे मंत्रालय के सचिव श्री नायक के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। वे बिलकुल निराधार हैं। श्री नायक एक अत्यधिक योग्य व निष्ठावान अधिकारी हैं। यदि हम चाहते हैं कि वह हमारी आशानुकूल काम करें, तो उनके विरुद्ध आरोप लगाने की प्रवृत्ति का त्याग करना जरूरी है। इसके अलावा, किसी अधिकारी का नाम लेकर उस पर सभा के समक्ष आरोप लगाना उचित नहीं है। इनमें से कुछ मामलों की जांच केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त कर रहे हैं और यदि सम्बन्धित अधिकारी वास्तव में दोषी पाया गया तो, हम अवश्य उसे दण्ड देंगे।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के बारे में भी कुछ आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में भी मैं यह कह सकता हूं कि ये सभी आरोप निराधार हैं। अधिकारियों के विरुद्ध विशेषतः नाम लेकर गम्भीर आरोप लगाने से पहले सम्बन्धित मंत्रालय के मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सभापति महोदय : वास्तव में अधिकारियों का नाम लेकर आरोप लगाने की प्रवृत्ति तथा प्रथा अच्छी नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut motions were put and negatived

इसके पश्चात् सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of the Ministry of Petroleum and Chemicals for the year 1968-69 were put to the vote of the House and were adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	24,03,000 रुपये
71	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	71,06,000 रुपये
124	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	15,14,27,000 रुपये

संचार विभाग

वर्ष 1968-69 के लिये संचार विभाग की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
91	संचार विभाग	11,63,000 रुपये
92	समुद्रपारीय संचार सेवा	2,29,52,000 रुपये
93	डाक और तार विभाग (कार्य संचाल व्यय)	1,71,56,54,000 रुपये
94	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी	23,60,13,000 रुपये
95	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	28,75,000 रुपये
135	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	51,26,25,000 रुपये
136	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय	4,79,16,000 रुपये

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सुपरवाइजर्स एण्ड असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट संस्थाओं को एक अलग यूनियन के रूप में मान्यता दी जा सकती है । आशा है इस प्रश्न पर सरकार शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

डाक व तार विभाग को प्रशुल्क जांच समिति से, जिसके अध्यक्ष श्री महावीर त्यागी थे, लाभ हुआ है। किन्तु श्री त्यागी ने अपने इस प्रतिवेदन में घाटे के आंकड़े तो दिये हैं लेकिन उनकी प्रतिशतता नहीं दी है। यदि इसमें प्रतिशतता के आंकड़े दिये जाते तो विभिन्न डाक दरों (चार्जेज) में प्रस्ताविक प्रतिशत वृद्धियां आसानी से समझ में आ जातीं। इस समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि पत्रों से 8.7 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। पोस्ट कार्डों से 5.8 करोड़ रुपये और अन्तर्देशीय पत्रों से 81 लाख रुपये का घाटा हुआ है। कुल मिलाकर सरकार को पहले दर्जे की डाक से 1.78 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। ऐसी स्थित में डाक-दरों में वृद्धि करने का औचित्य कहां है? उदाहरणार्थ यह दिखाया गया है कि एक पोस्ट कार्ड पर 6 पैसे के मुकाबले 10.78 पैसे लागत आती है। लेकिन मंत्री महोदय को याद रखना चाहिए कि इस समिति ने कहा है कि उन्हें 40 प्रतिशत की राजसहायता मिल सकती है। इस प्रकार पोस्ट कार्ड की कीमत 6.42 पैसे होने चाहिये न कि 10 पैसे, यदि सरकार की मनोवृत्ति ऐसी ही है, तो वह व्यापार-गृहों के लिये, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे पोस्ट कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक अलग पोस्ट कार्ड बना दे और उसकी कीमत 7 या 7½ पैसे रख दे लेकिन गरीब लोगों पर इस तरह कर नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि मंत्री महोदय इस बात पर अड़े रहे, तो उन्हें निश्चित रूप से जनता का कोप-भाजन बनना पड़ेगा।

अन्तर्देशीय संचार का दूसरा निर्धारित सिद्धान्त यह है कि उसका अनुपात 2 : 3 : 4 होना चाहिये। इसलिये यदि पोस्ट कार्ड की लागत 6.44 पैसे है, तो अन्तर्देशीय पत्र की लागत 10.62 पैसे और साधारण पत्र की लागत 14 पैसे होनी चाहिये। इस सूत्र के अनुसार अन्तर्देशीय पत्र की कीमत में 6 अथवा 7 पैसे की वृद्धि की जा सकती है। साधारण पत्रों, जिनका परिचालन सबसे अधिक है, का मूल्य घटाया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सूत्र को क्यों नहीं मानती। यदि मंत्रालय इस सूत्र को नहीं मानता है, तो वह संचार जांच समिति किसके लिये बनाई गई थी। समय के अभाव के कारण मैं अन्य 14 बातों का उल्लेख नहीं करूंगा, परन्तु मुझे आशा है, मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे।

अब मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि गत वर्ष 60 ग्राम से अधिक वजन वाले सभी समाचारपत्रों पर लगभग 150 प्रतिशत डाक शुल्क बढ़ाया गया था। इस वृद्धि का कारण यह बताया गया था कि वर्ष 1965 में इस प्रकार की डाक पर 2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। गत वर्ष डाक दरें 150 प्रतिशत बढ़ाई गई थीं, इसलिये घाटा तो पहले ही पूरा हो चुका है। मंत्री महोदय यह बतायें कि पिछले वर्ष की वृद्धि से कितना घाटा पूरा हुआ है।

समिति ने समाचार पत्रों के लिये 66 प्रतिशत राज सहायता देने की सिफारिश की थी। वह समिति सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी और उसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसने यह सिफारिश की थी कि 50 ग्राम से कम वजन वाले समाचार-पत्रों पर 1 पैसा डाक शुल्क लगाया जाना चाहिये। संचार जांच समिति के प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख किया

गया है। क्या सरकार इस डाक-शुल्क को 400 प्रतिशत बढ़ाना चाहती है? प्रजातंत्र में समाचारों के प्रसारण पर इतना अधिक शुल्क बिल्कुल अनुचित है। अतः मेरा अनुरोध है कि उन समाचार-पत्रों पर डाक शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिये जिनका वजन 50 ग्राम से कम है तथा जिनका मूल्य 10 पैसे से कम है। उन समाचार-पत्रों पर 5 पैसे डाक-शुल्क लगाना बड़ा क्रूर कार्य होगा, जिनका मूल्य ही केवल 10 पैसे है।

अब मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस वर्ष का बजट 182 करोड़ रुपये से बढ़कर 212 करोड़ रुपये हो गया है। आय में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई है तथा खर्च 205 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं त्यागी समिति का उल्लेख करना चाहता हूं। त्यागी समिति ने कहा है कि डाक विभाग में बहुत फिजूलखर्ची हो रही है तथा उसमें छंटनी की काफी गुंजाइश है। छंटनी की संभावनाओं का पता लगाने से पहले डाक दरों में वृद्धि करना उचित नहीं है। डाक दरों में 15 प्रतिशत वृद्धि करना एक असाधारण बात होगी।

समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस विभाग में बहुत से ऐसे भत्ते हैं, जो बेकार हैं और जिन पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कई मामलों का उल्लेख किया है। इसका एक उदाहरण यह है कि एक डाकिया ने जिसका वेतन 75 रुपये होता है, 10000 रुपये से अधिक धन राशि चिकित्सा भत्ते के रूप में प्राप्त की है। समयोपरि भत्ते के कारण इस विभाग के खर्च में 3.5 करोड़ रुपये की राशि जुड़ जाती है और इतनी ही राशि मकान भत्ते के कारण जोड़ दी जाती है। इस विभाग द्वारा महंगाई भत्ते को छोड़कर चिकित्सा व्यय, समयोपरि भत्ते और आवास भत्ते पर सब मिलाकर 10.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। सरकार को इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु अखिल भारतीय स्तर पर ही अपने कर्मचारियों को भत्ते आदि देने की सुविधायें दी जानी चाहियें। मैं इस बात से परिचित हूं कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय बहुत कम खर्च व्यक्ति हैं, परन्तु इस विभाग द्वारा उन्हें फिजूल खर्ची करने को बाध्य किया जाता है। यह फिजूल खर्ची समाप्त की जानी चाहिये और मितव्ययिता बरती जानी चाहिये। समिति ने भी मितव्ययिता करने की सिफारिश की है।

यद्यपि अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिये डेढ़ महीने का समय निर्धारित किया गया है, तथा देखने में आया है कि चर्चा के बाद मिनटों में मांगों को पास कर दिया जाता है। सरकार अपनी एक भी गलती को मानने को तैयार नहीं है। यहां वाद विवाद होता रहता है, अपितु अन्त में सरकार अपने खर्च में एक पाई भी कम करने को सहमत नहीं होती। यदि यही स्थिति है, तो इस वाद विवाद का लाभ ही क्या है। अन्ततः हम इस सभा पर 87,000 रुपये प्रति घण्टे के हिसाब से खर्च करते हैं, और जब इसकी कोई बात ही नहीं मानी जाती, तो इस वाद-विवाद का लाभ ही क्या है। ऐसा करके प्रजातन्त्र को धोखा दिया जा रहा है और देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पोस्ट कार्ड की कीमत 3.6 पैसे थी, जो कि अब 300 गुणा बढ़ गई है। सर्वसाधारण को इससे क्या लाभ हुआ? डाक तथा तार विभाग इस मंत्रालय को डाक दरों में वृद्धि करने को बाध्य कर रहा है। मेरा सुझाव है कि डाक

तथा तार बोर्ड को भंग किया जाये और डाक दरों में वृद्धि करके देश की जनता को न लूटा जाये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : डाक तथा तार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में इस विभाग का काम बहुत बढ़ गया है—यहां तक कि कहीं-कहीं तो यह दुगुना अथवा तिगुना अथवा इससे भी अधिक हो गया है। अत: जब तक इस विभाग के बढ़े हुए काम के अनुसार धन की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इसके काम को उचित ढंग से कैसे चलाया जा सकता है। इस विभाग को सुचारुरूप से चलाने के लिये धन की आवश्यकता है और केवल शब्दों से हम इस विभाग को नहीं चला सकते हैं। यह एक ऐसा विभाग है जिससे सर्वसाधारण को—चाहे वह गांव का रहने वाला हो अथवा देश के किसी दुर्गम क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का जहां केवल दोपहर में सूरज निकलता है, यह अनुभव होता है कि हमारा राज एक कल्याणकारी राज है। इसलिये किसी को भी इस विभाग के महत्व को कम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु ने कहा है कि पोस्ट कार्डों के दाम बढ़ा दिये गये हैं, अन्तर्देशीय पत्रों के मूल्य अधिक कर दिये गये हैं तथा पत्रों के मूल्य में वृद्धि की गई है। यह सब ठीक है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी समाज का अर्थ यह नहीं है कि समाज की सेवा "न लाभ न हानि" आधार पर की जाये। मैं समझता हूं कि डाक तथा तार विभाग इस आधार पर जनता की सेवा करता रहा है और मुनाफा कमाना कभी इसका ध्येय नहीं रहा है। यदि आप डाक तथा तार विभाग का प्रतिवेदन पढ़ें तो ज्ञात होगा कि इस विभाग को जन साधारण से जो आय होती है उसका उपयोग जन साधारण के कल्याणकारी कार्यों के लिये किया जाता है। इसके साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि "न लाभ न हानि" का यह स्पष्ट अर्थ नहीं है कि विभाग बिल्कुल दिवालिया हो जाये, तथा अपनी संचित निधि में कोई राशि न रखे। इस विभाग को अपने कर्मचारियों को अधिक काम करने के लिये समयोपरि भत्ता देना होता है, उनके लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये धन की आवश्यकता होती है, उनकी सहकारी समितियों के लिये तथा खेल कूद आदि कार्यों के लिये पूंजी चाहिये। अतः जब मैं यह कहता हूं कि इस विभाग को जन-साधारण से जो आय होती है उसका उपयोग जनसाधारण के कल्याणकारी कार्यों के लिये किया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि इस विभाग को जन साधारण से जो आय होती है उसका उपयोग इस विभाग के कर्मचारियों सहित समस्त जनता के कल्याण कार्यों के लिये किया जाता है। अत: यह विभाग उस आधार पर काम कर रहा है जिससे यह अनुभव होता है कि हम समाजवादी ढांचे के समाज में रह रहे हैं।

हम अपने देश में गत 20 वर्षों से "ओमबूडस्मैन" जैसी संस्था बनाने की बात करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक तार विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें एक शिकायत विभाग भी है, जो कि गत 20 वर्षों से दक्षतापूर्वक और शीघ्रता से कार्य करता आ रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि हमारे देश में डाक तथा तार विभाग ही एक ऐसा विभाग

है जिसमें "ओमबूडस्मैन" के ढंग की व्यवस्था है तथा अन्य मंत्रालयों को भी इस सम्बन्ध में इस विभाग का अनुसरण करना चाहिये।

"अपना टेलीफोन लगाओ" एक बहुत अच्छी प्रणाली है। परन्तु इस प्रणाली का उतना उपयोग नहीं किया जा सका है, जितना किया जाना चाहिये था। इस योजना को नये तरीके तथा अधिक कुशलता के साथ चालू किया जाना चाहिये। नगर अथवा ग्राम में प्रत्येक व्यक्ति को टेलीफोन करने की सुविधा होनी चाहिये। कम से कम हर तहलील में एक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये।

यह एक बड़ी खुशी की बात है कि इस विभाग में संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच-निर्णय की व्यवस्था है। यदि सरकार के अन्य सब मंत्रालय भी इसी तरह की व्यवस्था करते हैं, तो आन्दोलनात्मक रवैया समाप्त हो जायेगा। इस संयुक्त परामर्श तंत्र ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके परिणामस्वरूप जनता में ही नहीं अपितु कर्मचारियों और मंत्रालय में भी विश्वास की भावना पैदा हुई है।

मैं श्री लोबो प्रभु की इस बात से सहमत हूं कि जिन समाचार-पत्रों का वजन 50 ग्राम से कम है, उन पर 1 पैसे से अधिक शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह श्री लोबो प्रभु के इस सुझाव पर ध्यान दें।

मैं नहीं समझता कि इस मंत्रालय में कोई फिजूलखर्ची की जा रही है। समयोपरि भत्ता भी आवश्यक हो जाता है और वह एक आवश्यक बुराई है। कर्मचारियों के लिये आवास भत्ता भी आवश्यक है। हम इन चीजों को दूर नहीं कर सकते।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत-पाकिस्तान टेलीफोन सेवा पर निगरानी रखी जाये। भारत-पाक संघर्ष के समय यह पता चला था कि कुछ टेलीफोनों द्वारा पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी। अतः इस बात की सतर्कता रखी जानी चाहिये कि ऐसी कोई सूचना दुनिया के किसी देश को न दी जाये, जिससे देश की सुरक्षा, अखंडता और प्रभुसत्ता को खतरा पैदा हो। हमें यह देखना चाहिये कि टेलीफोन का उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिये नहीं, अपितु व्यापार, सामाजिक सम्पर्क और सांस्कृतिक कार्यों के लिये किया जाये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संचार मंत्री डा० राम सुभग सिंह डाक दरों की वृद्धि को माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु द्वारा जो डाक डकैती की संज्ञा दी गई है, वह डाक डकैती नहीं है अपितु एक ऐसी सेवा है जिससे सबको लाभ होगा और सर्वसाधारण यह अनुभव करेगा कि हमारा राज कल्याणकारी राज है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय पूरी लगन से इस सेवा को जारी रखेंगे और श्री लोबो प्रभु की आलोचना का उन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

Shri Suraj Bhan (Ambala): Mr. Chairman, after seeing the record of working of different departments of the Government including the P & T Department, I am compelled to

say that the present Government is equal to British Government minus efficiency plus corruption. The false show of efficiency is being created in which inefficiency is being projected to look like efficiency.

From the figures available with me it is evident that efficiency in the P & T Department is on the decline, where as cases of fraud and theft are increasing. In the year 1966-67 the P & T employees were involved in many cases of fraud in which an amount of Rs. 9,65,880 was involved. Likewise there have been 11,478 cases of theft of the copper wire, though I am unable to give the figures of the amount involved in them. There are huge arrears of telephone revenue. According to the Hon. Minister himself the amount of telephone arrears in July, 1967 was Rs. 5 crores, which had increased to Rs. 10 crores in March, 1968.

So far as the question of medical reimbursement to the employees of P & T is concerned, I want to point out that the figure of the medical reimbursement to the employees is very astonishing. As against an amount of Rs. 1,79,80,000 which was paid as pay and allowances to the employees last year. The amount of medical reimbursement paid to them was as high as Rs. 4.08 crores. This is how the department is functioning.

Now I would like to say something about the enhancement of postal rates. The postal department has proposed to raise the price of a post card from 6 paise to 10 paise, the price of an inland letter from 10 paise to 15 paise and the price of an ordinary letter from 15 paise to 20 paise. A proposal has also been made for the enhancement of postal rates in respect of newspapers. It is possible that the demand not to increase the postal rates in respect of newspapers may be conceded to, because this Government have certain fears from the newspapers. I am fully aware of the fact that no reduction in the proposed postal rates will be made, inspite of our utmost pleading in favour of the reduction of postal rates. Even then I want to say that it will be a very heavy burden on the common man to raise the price of post cards from 6 paise to 10 paise. In case this Government is not in a position to reduce the price of post cards, then I have one suggestion and my suggestion is that the post cards may be priced at 5 paise for an ordinary person and 10 paise for business firms. Secondly an air surcharge may be levied on those postal articles which are sent by air. The enhancement may be effected only for those post cards and inland letters etc. which are actually sent by air.

So far as the working of the Postal Department is concerned the cause of its inefficiency to often subscribed to the negligence of duty on the part of subordinate staff. I want to say that it is not the real cause of inefficiency. The subordinate staff is being blamed without any reason. The real cause of inefficiency is that the number of posts of officers is being increased, whereas the Department requires operative staff. So my submission is that instead of increasing the number of the posts of the officers, the number of posts of the operative staff should be increased.

The postal clerks are promoted to the post of Inspector of post offices and R. M. S. Inspectors. It is a competitive examination. Suppose 100 persons qualify this examination, then 10 persons from the top are promoted and the rest remain frustrated, because there are only 10 vacancies in this cadre. My suggestion is that those who qualify the examination of Inspector post offices or RMS Inspectors, but are not promoted to those posts should be promoted as Town Inspectors. So far the post of the Town Inspector is a tenure post. These posts should be converted into permanent ones, because at present those persons who work as

Town Inspectors for three years are again reverted to clerical cadre and this creates frustration. If my above suggestions are accepted the frustration will be removed and efficiency will be increased.

My next point is the great injustice is being made to departmental promotees. They are not promoted to class I posts, whereas their much junior counterparts, who are direct recruits are promoted to class I post within a period of few years. The direct recruits are promoted after three years where as departmental promotees are not promoted even after 10 or more years of service. This discrimination should be removed.

Now I would like to say a few words about R.M.S. I think for the efficient working of R.M.S. proper coordination between the Postal Department and the Railways is essential, but it is very much lacking. The result is that the condition of R. M. S. offices is pitiable. Most of the buildings of the R.M.S. offices are the same, as they were twenty years before and the accommodation there is too little for the staff which had increased manifold. The R.M.S. office at Ambala Cantt. is very small and there is no accommodation there for the postal mails. The result is that the mail bags have to be dumped on the platform. At many places the R. M. S. offices have no proper lighting arrangements in the night. Facilities of rest houses for sorters are also very inadequate. All these things should be looked into.

It has been said that a very heavy amount of Rs. 10 crores is outstanding as telephone arrears. I suggest that a high power telephone revenue committee should be constituted to go into the question of the huge telephone arrears of 10 crores.

In order to improve the working of P & T Department, my next suggestion is that the accountants of the P & T Department should not be kept under the administrative control of this Department, because so long as they are under their control they are bound to bow before the undue interference of their senior officers and as such they are unable to work freely and fearlessly. Therefore the accountants of the P & T Department should be separated from that Department and put under the A. G. If that is done, they will be able to work freely and fearlessly.

Next I want to point out that we should have a classification of telegraphists. At present undue overtime is being paid to them, which leads many bad results. It results in losses to the Departments, it has a bad effect on the health of those engaged in overtime and it minimises the employment opportunities of the job-seekers out side.

It has been observed that there is much political interference in the P & T Department especially in the cases of transfer etc. It is most undesirable and it undermines the position of the officers. It should be avoided and the officers should be allowed to have a free hand in the matter.

My Hon. friend Shri Lobo Prabhu has observed that P & T Board should be scrapped. I do not agree with him that P & T Board should be scrapped, but I must say that certain mprovements must be made in the Board. There are many superfluous posts in the Department and I suggest that these superfluous posts such as the posts of Deputy Director General (which are eleven in number) Deputy Chief Engineer and the superintendent of Post Offices should be done away with.

श्री विमल कान्ति घोष (सेरामपुर) : मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। संचार मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभाग हैं, परन्तु उनमें डाक तथा तार विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें जनसाधारण की मुख्य दिलचस्पी है। इस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है तथा इसलिये यह हमारी बधाई का पात्र है। इस विभाग के जन सेवा कार्य का बहुत विस्तार हुआ है, तथापि इस विभाग द्वारा अभी बहुत कुछ काम करने बाकी हैं। मैं मंत्री महोदय के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि उन्हें कार्यरूप दिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक गांव में एक डाकघर होना चाहिये और हमारे देश का कोई गांव बिना डाकघर के नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक पंचायत के लिये एक डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड में एक डाकघर बचत बैंक, तारघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन एवं सिक्के डाल कर टेलीफोन करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। बड़े-बड़े नगरों में और अधिक डाकघर खोले जाने चाहिये और चलते फिरते डाकघरों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिये। मनीआर्डर फार्म सभी प्रादेशिक भाषाओं में छपाये जाने चाहिये।

टेलीफोन सेवा सार्वजनिक उपयोग की तथा व्यापारिक सेवा है और इससे विभाग को बहुत अधिक आय होती है। इसलिये टेलीफोन सेवा का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार किया जाना चाहिये। इस समय नये टेलीफोनों की बहुत अधिक मांग है। टेलीफोनों की कमी के कारण इस मांग को पूरा नहीं किया गया है और इससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। टेलीफोन प्राप्त करने के बहुत से आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं। टेलीफोन कार्यालयों की संख्या बढ़ाकर टेलीफोन सेवा की मांग को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। सब रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर सिक्के डाल कर टेलीफोन करने की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि टेलीफोन करने की आवश्यकता पड़ने पर लोग वहां से टेलीफोन कर सकें। टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिये अधिक मात्रा में टेलीफोन उपकरण तथा तार बनाये जाने चाहिये। बंगलौर में इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज की टेलीफोन उपकरण उत्पादन क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये और चौथी पंचवर्षीय योजना में एक नया कारखाना खोला जाना चाहिये। सभी ट्रंक लाइनों पर सीधे टेलीफोन घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिये। देहाती क्षेत्रों में टेलीफोन केन्द्रों की स्थिति को सुधारा जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल में उत्तरपाड़ा, सीरमपुर, चन्द्रनगर, चिनसुरा, त्रिवेणी और हावड़ा में टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये। प्रत्येक कस्बे में एक टेलीफोन केन्द्र होना चाहिये। देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक टेलीफोन केन्द्र होना चाहिए।

डाक कर्मचारियों का काम बहुत महत्व का काम है। इसलिये उनके वेतन मान बढ़ाये जाने चाहिये। उन्हें मुफ्त आवास दिया जाना चाहिये। रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्हें अच्छे वेतन तथा अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के आरामघरों की स्थिति को सुधारा जाना चाहिये।

श्री टी० डी० रामभद्रन (तिंडिवनम) : मैं सभा के समक्ष संचार मंत्रालय के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं । यह मंत्रालय सब आशाओं के विपरीत, न तो एक अच्छी वाणिज्यिक संस्था ही बन सका है और न ही वह सार्वजनिक उपयोगिता वाला एक सन्तोष-जनक उपक्रम बन सका है । यद्यपि यह मंत्रालय दावा करता है कि वह देश के एक कोने को दूसरे कोने के साथ डाक सेवाओं द्वारा मिलाने में बहुत सफल हुआ है, तथापि अब भी देश में ऐसे गांव हैं कि हालांकि उनकी जनसंख्या दो हजार से भी अधिक है, तो भी उनमें डाक सेवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । मंत्रालय की मांगों से पता चलता है कि देहात में डाकघर खोलने के लिये भारी राशि जमा करने की मांग की गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाक घर खोलने के लिये गांव से इतनी भारी राशि जमा करने की उम्मीद करना या मांग करना अनुचित है ।

माननीय मंत्री को इस विभाग से अकुशलता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । अकुशलता के कारण यह विभाग घाटे में चल रहा है । रेलवे मंत्रालय की भांति इस विभाग ने भी इस मौलिक बात को नहीं समझा है कि घाटे का वास्तविक कारण विभाग की अकुशलता है । अतः यह अधिक अच्छा होता कि डाक दरों को बढ़ाने की बजाय इस विभाग में और सुधार करके घाटे को पूरा किया जाता । मैं जानना चाहता हूं कि विभाग की अकुशलता के कारण देश की गरीब जनता को क्यों सताया जा रहा है और डाक दरों को घटाने की बजाये उन्हें क्यों बढ़ाया जा रहा है, जबकि डाक सेवा संतोषजनक नहीं है ।

मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग द्वारा हिन्दी के प्रचार के लिये अन्धाधुन्ध धन की फजूलखर्ची की जा रही है । मैं समझता हूं कि यदि मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि वह इस प्रकार धन क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो वह उत्तर देंगे कि संविधान के निदेशों का पालन करने के लिये ऐसा किया जा रहा है । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान में जो कुछ लिखा है, तथ्य यह है कि हमारा देश एक बहुभाषी देश है । अतः डाक तथा तार विभाग का कार्य, जिसकी सेवाओं का धन सीधा जनता से प्राप्त किया जाता है, निष्पक्ष होना चाहिये । विभिन्न भाषाई समुदायों को इस विभाग के साथ अपनी-अपनी भाषाओं में ही काम काज करने का अवसर दिया जाना चाहिये तथा हिन्दी लादने के लिये धन की बर्बादी नहीं की जानी चाहिये । विभाग में वे अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पहले ही किया जा रहा है ।

मनीआर्डर फार्म पहले तामिल और अंग्रेजी में छापे जाते थे अब उन्हें हिन्दी सहित तीन भाषाओं में छापा जा रहा है । यदि वे समझते हैं कि ऐसा करने से हिन्दी का प्रचार होगा, तो यह उनकी भारी भूल है । यदि विभाग हिन्दी को लादने के अपने इस कुप्रयास को छोड़ देता है, तो इससे काफी धन की बचत होगी ।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । टेलीफोन डायरेक्टरी केवल हिन्दी भाषा में छापी जाती है तथा अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं छापी जाती । क्या मंत्रालय यह समझता है कि केवल हिन्दी भाषी ही ऐसे हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते तथा अन्य सब लोग

अंग्रेजी जानते हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में हजारों लोग ऐसे हैं, जो टेलीफोनों का प्रयोग करते हैं, परन्तु वे न तो अंग्रेजी ही जानते हैं और न ही हिन्दी। इस लिये टेलीफोन डायरेक्टरी को सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कराया जाना चाहिये और यह भेदभाव दूर किया जाना चाहिये।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि तामिलवासियों ने यह मांग की है कि उन्हें तामिल में तार भेजने की सुविधा दी जानी चाहिये। यह बहुत उचित मांग है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

टेलीप्रिंटरों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी के साथ-साथ सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में टेलीप्रिंटर की व्यवस्था नहीं की है। मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये तथा हिन्दी के साथ-साथ सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में टेलीप्रिंटर की व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : While participating in the debate on the Demands of the P & T Department, I would like to draw the attention of the Hon. Member to the rate of interest being paid by Post Offices on savings deposit accounts. The rate of interest of the post office on savings deposit account is lower than what is being paid by other banks. The post offices will attract more savings deposits if the rate of interest is increased to the level of other Banks. The Hon. Minister should reconsider this question.

Now I come to the question of commemorative stamps. Commemorative stamps have been issued in the name of International year of human rights. Tamil study symposium, U.N.C. T.A.D. and Amrit Bazar Patrika Centenary etc. In this connection I want to submit that while issuing commemorative stamps, Government should not ignore those who have been preaching spiritualism. A commemorative stamp should be issued in honour of Shri Mehr Baba who has been preaching spiritualism silently for the last 43 years.

The P & T Department has given the facility of sending telegrams in Hindi. I want to say that there are 14 languages in our constitution and facility should be given to send telegrams in all the languages. People in various regions should have the facility of sending telegrams in their own mother-tongue.

The P & T Department deserves our congratulation for the achievement of opening Cross Bar Exchanges. I have seen those Exchanges. My submission is that Cross Bar Exchanges should be opened at Calcutta, Hyderabad and Bhopal.

While proposing the enhancement in the rate of post cards it has been said that mostly post cards are used by businessmen. I am not saying that the Department should run in loss and we should not enhance the rates of postal articles. My submission is that the enhancement is on the high side. The post card may be priced at 9 paise for businessmen and for the common public its rate should be allowed to remain unchanged. Likewise the increase in the rates of inland letters and envelopes is too high. It should be reduced.

I would request the hon. Minister to pay visits to Telephone Exchages, so that he may

come to know what improvements are required to be made in our exchanges. Winter dress should be given to the girls working in Telephone Exchanges, so that they may save themselves from cold.

It has been decided by Government that post offices will be opened in the village having a population of 500 or more. My suggestion is that a post office should be opened for a group of villages having a total populatian of 500 or more

Lastly I want to say that Government should open telephone and telegraph offices at Padriya, Lormi, Pali, Baloda and Patharia in Madhya Pradesh. There should be full-fledged post offices at Patharia, Pali, Baloda, shildaha and Jarhagaon.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : डाक दरों के बढ़ाये जाने के विरोध में श्री लोबो प्रभु ने जो मत व्यक्त किया है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं, यद्यपि हमारा दल उनके दल से बहुत कम बातों पर सहमत होता है। सभा में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है तथा सामान्य बजट पर चर्चा करते समय भी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि डाक दरों को बढ़ाने के औचित्य के बारे में किसी मंत्री महोदय द्वारा अथवा सत्ताधारी पक्ष के किसी सदस्य द्वारा कोई मान्य तर्क पेश नहीं की गई हैं। डाक दरों के बढ़ाने के बारे में जो तर्क पेश की गई हैं, वे हास्यस्पद हैं। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि डाक दरों को बढ़ाने से जनसाधारण पर भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी 75 प्रतिशत जनता अनपढ़ है और वह पत्र व्यवहार नहीं करती। यह एक अद्‌भुत तर्क है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पोस्ट कार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों और लिफाफों की कीमत न बढ़ाई जाये।

मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में बात करते हुए मैं कहूंगा कि डाक व तार विभाग पर देश के लोगों को बड़ी आशायें हैं परन्तु मेरा यह विश्वास है यह विभाग बहुत ही कुशलता से कार्य नहीं कर सकेगा क्योंकि बड़ी कुशलता हमारे देश में प्रायः दुर्लभ चीज है। परन्तु लोगों का यह भी विश्वास है कि जब तक डाक व तार विभाग को रेलवे-आयोग जैसे स्तर पर नहीं लाया जाता वित्त के मामले में तथा गृह तथा वित्त मंत्रालय की अधीनस्थता से स्वतंत्र नहीं किया जाता, तब तक यह विभाग पूरी तरह कुशल नहीं बन सकता। डाक तार विभाग के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

यदि मेरा अनुमान ठीक है तो इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या 5 लाख है तथा इतने बड़े विभाग के कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या आवास की समस्या है। और यदि इन गरीब कर्मचारियों के मन व मस्तिष्क को इस समस्या के चंगुल से न छुड़ाया जाये तो उनसे अच्छे काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरे केरल राज्य में तो यह समस्या और भी अधिक गम्भीर है। सारे विभाग में केवल 4 अथवा 5 प्रतिशत कर्मचारियों को ही आवास की सुविधा प्रदान की गई है। इस समस्या का कोई उचित समाधान ढूंढने का जोरदार प्रयत्न किया जाना चाहिये।

इस विभाग के कम वेतन वाले अर्थात तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कांग्रेस शासन ने खादी की वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया है। परन्तु एक बात मैं नहीं समझ पाता कि उनकी सिलाई भी स्वयं विभाग क्यों करता है। उन्हें स्वयं सिलवा लेने का विकल्प क्यों नहीं दिया जाता ? और फिर आप उन पर खादी तो मत लादिये। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में आप आधारभूत परिवर्तन करें। यह अनिवार्यता बुरी है और इसे समाप्त किया जाना ही अच्छा है।

देश में विभिन्न नगरों का पुनर्वर्गीकरण किया गया था और इसका आधार प्रत्येक नगर की जनसंख्या थी। परन्तु इस संदर्भ में वर्ष 1961 के आंकड़े प्रयुक्त किये गये थे, उनमें सुधार किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त महंगाई-भत्ते का अंकन जनसंख्या के आधार पर किये गये नगरों के वर्गीकरण के अनुसार नहीं बल्कि सम्बन्धित नगर की रहन-सहन की स्थिति तथा लागत के अनुसार किया जाना चाहिये। अतः अनेक नगरों के वर्गीकरण के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे राज्य केरल की ओर विशेष ध्यान दें। वहां कर्मचारियों के लिये मकानों, टेलीफोन-कक्षों आदि की बड़ी कमी है। वहां डाकघर खोलने के बारे में नियमों को कुछ नर्म किया जाना चाहिये। केरल की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

Shri Mudrika Singh (Aurangabad): The P and T workers are discharging their duties more honestly and efficiently than their counterparts in other departments of the Government of India. But we are not providing them certain facilities which we should provide in order to maintain their efficiency. Sometimes it is complained that the P and T Department is gradually becoming inefficient. Sometimes inordinate delay takes place in the delivery of letters or telephone calls. For this workers alone cannot be blamed. It is our duty to create conditions in which they can work efficiently. In other departments like Railways, 30 to 40 per cent workers have been provided with residential quarters but it is very sad that this percentage is only 3 to 4 in P and T Department. They cannot afford to pay the exorbitant rent and Government do not provide them quarters to live in. In such circumstances they are compelled to pass their nights at foot paths. In these circumstances, we cannot expect them to be honest and efficient.

R. M. S. workers have to sort out letters etc. the whole night in the running train in some IIIrd class compartments and there is no arrangement for fans and lights for them. Sometimes, they are compelled to work in the lantern lights. Besides, there is no arrangement for rest houses for them at the end of their journey. Under such hard conditions, how can we expect efficiency from them?

It is often said that the workers in the public utility services should not be allowed to go on strikes. I fully agree with this wiew but in the present circumstances, the poor worker has no other alternative to seek redress of his grievances. The Joint Consultative Committee has been constituted so that the matters could be decided across the table but this committee has failed to serve any useful purpose in the abscence of the arbitration board.

As I said, the P and T workers are quite honest and perform their duties sincerely and efficiently and at times they have to fight against heavy odds to perform their duties but their officers are not so. These officers sleep over matters for a considerable length of time due to which a good deal of inconvenience is caused to the public. To cite one example, there was a case in which all equipments for a telephone exchange had been installed but it could not be commissioned for the last four years because the relay plate had not yet come.

There should be a telephone public call office in every block and a post office within a radius of 2 miles, even if it becomes necessary to subsidise the post offices.

I am also of the view that the income of the P and T Department should be increased and to meet the increased expenditure the postal rates may be increased. But I would say that the rates of the post-cards should be brought down. If possible, we may introduce rural post-cards and rural inland letters and the increased rates should apply to urban areas only.

Shri Rabi Ray: The P and T Department is in no way less important than any other department of Government of India and, therefore, due importance should be attached to this Department. The P and T Department brings the Central Government in touch with the remotest corner in our country. This Department has a role to play to preserve the national unity.

The use of Hindi and other regional languages should be encouraged in this Department and the use of English should be stopped at least in the four Hindi-speaking States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan.

People in the rural areas mostly make use of the post-cards. It would, therefore, not be proper to increase the price of post-card because this would cause hardship to the ordinary people.

The Government should open a second R.M.S. Division at Jharchhobra in Orissa. This demand of the people of Orissa should be met. A R.M.S. van should be attached to the Hyderabad Express. It would expedite clearance of postage.

Post and Telegraph facilities should be increased. More telephone facilities should also be provided.

संचार विभाग की अनुदानों की मांगों के बारे में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
91	16	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मध्य प्रदेश के डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों अर्थात् भिंड, मुरैना और दतिया जिलों में डाक और तार की विशेष सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
91	17	श्री मी० रू० मसानी	डाकखानों के निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों की अखिल भारतीय संस्था को मान्यता देने में असफलता ।	100 रुपये
93	28	श्री चक्रपाणि	डाक और तार विभाग में टाइपिस्टों को विशेष वेतन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	29	श्री चक्रपाणि	"फैस्टिवल एडवांस" तथा "साइकिल एडवांस" की राशि क्रमशः 120 रुपये तथा 300 रुपये करने में असफलता ।	100 रुपये
93	30	श्री चक्रपाणि	चपरासियों तथा अन्य सम्बद्ध श्रेणियों के कर्मचारियों को अधिक दर पर वेतन वृद्धि देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	31	श्री चक्रपाणि	स्टेनोग्राफरों तथा डाक और तार लेखापालों को अग्रिम वेतन-वृद्धि देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	32	श्री चक्रपाणि	कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशियां बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
93	33	श्री चक्रपाणि	जिन कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं उनके बारे में वस्त्र धोने सम्बन्धी भत्ते की दरें बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	34	श्री चक्रपाणि	झार सुगुडा (उड़ीसा सर्कल) तथा मदुरै (मद्रास सर्कल) में नये आर० एम० एस० खण्ड बनाने में असफलता।	100 रुपये
93	35	श्री चक्रपाणि	डाक और तार प्रशासन कार्यालयों में एल० एस० जी० क्लर्कों के वेतन-मान बढ़ाने के लिए धन राशि उपलब्ध करने में असफलता।	100 रुपये
93	36	श्री चक्रपाणि	हैदराबाद, बंगलौर तथा अहमदाबाद जिलों में क्लर्कों के वेतन-मान को बढ़ाकर अपर डिवीजन क्लर्कों का पदक्रम देने में असफलता।	100 रुपये
93	37	श्री चक्रपाणि	हवाई-अड्डा छंटाई घर, मद्रास के कर्मचारियों को रेलवे सीजन टिकट की लागत की वापसी सम्बन्धी रियायत दिया जाना पुनः चालू करने में असफलता।	100 रुपये
93	38	श्री चक्रपाणि	भोपाल के डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता देने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	39	श्री चक्रपाणि	टेलीफोन आय लेखा कार्यालय के उन कर्मचारियों को, जिन्हें उनके वर्तमान स्टेशन से बदला जाता है, विशेष नगरीय भत्ता देने में असफलता ।	100 रुपये
93	40	श्री चक्रपाणि	महाप्रबन्धक, टेलीफोन जिला, बम्बई के कार्यालयों के लिये भवनों का निर्माण किया जाना ।	100 रुपये
93	41	श्री चक्रपाणि	बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, बम्बई, कलकत्ता और श्रीनगर में कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण ।	100 रुपये
93	42	श्री चक्रपाणि	क्विलोन मुख्यालय और त्रिचुर मुख्यालय के भवनों का निर्माण ।	100 रुपये
93	43	श्री चक्रपाणि	छंटाई कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिये रेलवे में उपयुक्त डाक डिब्बे उपलब्ध कराने में असफलता ।	100 रुपये
93	44	श्री चक्रपाणि	रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को अन्य स्थान (आउट स्टेशन) सम्बन्धी भत्ता देने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	45	श्री चक्रपाणि	उन सभी स्टेशनों पर, जहाँ रेलवे डाक सेवा के सैक्शन का पहला और अन्तिम स्थान आ जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	46	श्री चक्रपाणि	मान्यता-प्राप्त संघों तथा कर्मचारी सहकारी समितियों को निशुल्क सेवा सुविधायें देने में असफलता ।	100 रुपये
93	47	श्री चक्रपाणि	हालांकि अधिकतम डाक गाड़ियां नई दिल्ली स्टेशन पर अन्तिम रूप से रुकती हैं, फिर भी आर० एम० एस० कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विश्राम-ग्रहों का प्रबन्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
93	48	श्री चक्रपाणि	दिल्ली, मद्रास, बम्बई, पटना, कानपुर, नागपुर, एरणाकुलम और कोयम्बत्तूर में डाक कार्यालय तथा उप-अभिलेख कार्यालय के लिये स्थान का प्रबन्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
93	49	श्री चक्रपाणि	अखिल भारतीय प्रशासन कार्यालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को उनकी मांगों के बारे में मिलने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
135	52	श्री चक्रपाणि	सिविल विंग सर्कल शाखा संघ को, जो कि अखिल भारतीय प्रशासन कार्यालय कर्मचारी संघ का एक शाखा संघ है, मान्यता देने में असफलता, हालांकि अखिल भारतीय प्रशासन कार्यालय संघ का एक मान्यता-प्राप्त निकाय है।	100 रुपये
93	58	श्री चक्रपाणि	रेलवे डाक सेवा के ई० के० 7 अनुभाग (एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक चलने वाले आर० एम० एस० के कर्मचारियों को रेलवे विभाग के कर्मचारियों के दुर्व्यव्य-हार से बचाने में असफलता जिन्होंने चेंगनौर रेलवे स्टेशन पर उन्हें (रेलवे डाक सेवा वालों को) पीटा था।	100 रुपये
93	79	श्री श्रीनिवास मिश्र	उड़ीसा में एक और रेलवे डाक सेवा खण्ड (आर० एम० एस० डिवीजन) खोलने में विलम्ब।	1 रुपया
93	80	श्री श्रीनिवास मिश्र	उड़ीसा में पर्याप्त संख्या में टेलीफोन कनेक्शन देने में उपेक्षा।	1 रुपया

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	81	श्री श्रीनिवास मिश्र	पुरी से विजयनगरम के बीच पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस में डाक छटाई अनुभाग स्थापित न करना ।	100 रुपये
93	82	श्री श्रीनिवास मिश्र	कटक, भुवनेश्वर और राउरकेला में डाक कर्मचारियों को क्वार्टर न देना ।	100 रुपये
91	105	श्री रामावतार शास्त्री	सामान्य प्रशासन व्यय को कम करने में असफलता ।	100 रुपये
91	106	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों का वेतन कम करने में असफलता ।	100 रुपये
91	107	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	100 रुपये
92	108	श्री रामावतार शास्त्री	समद्रपारीय संचार सेवा को सुधारने में असफलता ।	100 रुपये
92	109	श्री रामावतार शास्त्री	समुद्रपारीय संचार सेवा को विश्व के सभी देशों में बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
92	110	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	111	श्री रामावतार शास्त्री	डाक और तार विभाग की राजस्व हानि को रोकने में असफलता ।	1 रुपया
93	112	श्री रामावतार शास्त्री	डाक और तार विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने में असफलता ।	1 रुपया

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	113	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में रेलवे डाक सेवा का भवन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
93	114	श्री रामावतार शास्त्री	गया में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों के लिए विश्रामगृह बनाने में असफलता ।	100 रुपये
93	115	श्री रामावतार शास्त्री	आसाम मेल गाड़ी में डाक का डिब्बा लगाने में असफलता ।	100 रुपये
93	116	श्री रामावतार शास्त्री	किदवईपुरी, पटना में डाक और तार विभाग के क्वार्टर बनाने के दूसरे दौर को शुरू करने में असफलता ।	100 रुपये
93	117	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर बिहार में डाक और तार विभाग के क्वार्टर बनाने में असफलता ।	100 रुपये
93	118	श्री रामावतार शास्त्री	पटना के सभी डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टर देने में असफलता ।	100 रुपये
93	119	श्री रामावतार शास्त्री	पार्लियामेंट स्ट्रीट डाकखाने की कार्यकुशलता में गिरावट को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
93	120	श्री रामावतार शास्त्री	ऐसी व्यवस्था करने में असफलता कि दिल्ली के डाकघरों में डाक टिकट और लेखन सामग्री खरीदने के लिए लोगों को देर तक लाइन में खड़ा न रहना पड़े ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	121	श्री रामावतार शास्त्री	नये टेलीफोनों के आवंटन में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	100 रुपये
93	122	श्री रामावतार शास्त्री	डायल घुमाकर सीधा फोन करने की प्रणाली का ठीक से न चलना ।	100 रुपये
93	123	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली तथा पटना के बीच फोन करते समय लाइनों का स्वयं कट जाना या व्यवधान होना ।	100 रुपये
93	124	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं से बकाया लाखों रुपये वसूल करने में असफलता ।	100 रुपये
93	125	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में टेलीफोन उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूल करने में असफलता ।	100 रुपये
93	126	श्री रामावतार शास्त्री	कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, लखनऊ, कटक, नागपुर, हैदराबाद आदि बड़े शहरों में टेलीफोन के बकाया बिलों को वसूल करने में असफलता ।	100 रुपये
93	127	श्री रामावतार शास्त्री	टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब ।	100 रुपये
93	128	श्री रामावतार शास्त्री	टेलीफोन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असफलता ।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	129	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में "अपने टेलीफोन के मालिक आप बनिये" योजना के अधीन 30 प्रतिशत कोटा कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	130	श्री रामावतार शास्त्री	साधारण कोटि में वर्गी-कृत आवेदकों को भी टेलीफोन देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	131	श्री रामावतार शास्त्री	टेलीफोन सलाहकार समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए कोटा प्रणाली की आवश्यकता।	100 रुपये
93	132	श्री रामावतार शास्त्री	राजेन्द्र नगर, पटना के टेलीफोन एक्सचेंज को अधिक से अधिक 1969 के अन्त तक तैयार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	133	श्री रामावतार शास्त्री	पटना की पाटलीपुत्र बस्ती में टेलीफोन एक्स-चेंज बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
93	134	श्री रामावतार शास्त्री	टेलीफोन चालकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
93	135	श्री रामावतार शास्त्री	डाक और तार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	140	श्री रामावतार शास्त्री	डाक और तार विभाग में आटोमेशन प्रणाली का अंत करने में असफलता ।	100 रुपये
93	141	श्री रामावतार शास्त्री	डाक और तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ की मान्यता को वापस लेने के प्रयासों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
93	142	श्री रामावतार शास्त्री	अफसरों द्वारा कर्मचारियों के बीच दलाल यूनियनें खड़ा करने की नीति का अन्त करने में असफलता ।	100 रुपये
93	143	श्री रामावतार शास्त्री	मेल मोटर सर्विस कर्मचारियों की स्थिति सुधारने में असफलता ।	100 रुपये
93	144	श्री रामावतार शास्त्री	मेल मोटर सर्विस कर्मचारियों के कार्य के घंटों को कम करके 8 घंटे प्रतिदिन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	145	श्री रामावतार शास्त्री	रात्रि के समय ड्यूटी देने के लिये अधिक ड्यूटी अलाउन्स देने में असफलता ।	100 रुपये
93	146	श्री रामावतार शास्त्री	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने खोलने की शर्तों को शिथिल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	147	श्री रामावतार शास्त्री	गांवों में अधिक डाकखाने खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	148	श्री रामावतार शास्त्री	गावों में डाकखानों में काम करने वाले चपरासियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	149	श्री रामावतार शास्त्री	बड़े गांवों में उप-डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	150	श्री रामावतार शास्त्री	बड़े गांवों में पब्लिक काल आफिस चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	151	श्री रामावतार शास्त्री	कानपुर, बंगलौर और हैदराबाद में डाक ढोने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले तीन पहिये के टेम्पों को बदल कर चार पहियों वाली गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	152	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे मेल सर्विस को और अधिक उपयोगी बनाने में रेलवे विभाग द्वारा बरती जाने वाली असहयोग नीति को बदलने में असफलता ।	100 रुपये
93	153	श्री रामावतार शास्त्री	आर० एम० एस० की नई इमारतों के बनवाने और मौजूदा इमारतों की मरम्मत कराने में असफलता ।	100 रुपये
93	154	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में आर० एम० एस० भवन में स्थान की कमी को पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
93	155	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के आर० एम० एस० आफिस में मानवीय सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	156	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के मौजूदा आर० एम० एस० आफिस को अधिक साफ सुथरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	169	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर बिहार में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने में असफलता ।	100 रुपये
93	170	श्री रामावतार शास्त्री	केरल तथा मद्रास में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने में असफलता ।	100 रुपये
93	171	श्री रामावतार शास्त्री	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए विश्राम गृहों का नवनिर्माण करने में असफलता ।	100 रुपये
93	172	श्री रामावतार शास्त्री	अमृतसर में आर० एम० एस० के विश्राम-गृह में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
93	173	श्री रामावतार शास्त्री	नई दिल्ली में आर० एम० एस० के कर्मचारियों के लिए विश्राम-गृह की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	174	श्री रामावतार शास्त्री	टाटा नगर में आर० एम० एस० के कर्मचारियों के लिए विश्राम-गृह की व्यवस्था के बारे में आश्वसन को पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
93	175	श्री रामावतार शास्त्री	अम्बाला छावनी में आर० एम० एस० कार्यालय के वर्तमान भवन को बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	176	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे डाक वाहनों की संख्या तथा गुण बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
93	177	श्री रामावतार शास्त्री	आसाम में रेलवे डाक वाहनों की जर्जर अवस्था ।	100 रुपये
93	178	श्री रामावतार शास्त्री	आसाम के खतरनाक क्षेत्रों में डाक ले जाने के लिए गोली-सह वाहनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	179	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे डाक वाहनों में अच्छी रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
93	180	श्री रामावतार शास्त्री	आसाम में रेलवे डाक वाहनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
93	181	श्री रामावतार शास्त्री	टाटा नगर में आर० एम० एस० के लिए भवन निर्माण करने में असफलता।	100 रुपये
93	182	श्री रामावतार शास्त्री	गोरखपुर में आर० एम० एस० के कर्मचारियों के लिए विश्राम-गृह के निर्माण की आवश्यकता।	100 रुपये
93	183	श्री रामावतार शास्त्री	सहारनपुर, इरोड, भुसावल और अन्य स्थानों में विश्राम गृहों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	184	श्री रामावतार शास्त्री	अधिक आर० एम० एस० खण्डों की आवश्यकता।	
93	185	श्री रामावतार शास्त्री	आर० एम० एस० के कर्मचारियों के लिए आउट स्टेशन भत्ता बढ़ाने में असफलता।	100 रुपये
93	186	श्री रामावतार शास्त्री	दूर-दूर स्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100 रुपये

Shri Raghuvir Singh Shastri : (Bagpat) : People have to deal with the P & T Department more than any other department of the Government of India. It has rightly been said that this Department brings the Central Government in touch with the remotest corner in our country. Therefore, special steps should be taken to provide more postal facilities in rural areas. About half of our rural population do not get the benefit of postal facilities.

It has been said in the report of the Ministry that in 1967-68 3,000 post offices were to be opened. But till the 31st December, 1967 only 506 were opened and out of them 409 were opened in the rural areas. When till December, 1967 only 506 were opened, it is not understood as to how the remaining 2500 post offices would be opened in the remaining three months. Government must open a post office in a village with a population of 2,000.

During British days P & T Department has a good reputation but now like other departments of the Government of India, this Department has also fallen an easy prey to the red-tapism and bureaucracy.

I had written a letter to the Hon'ble Minister in which I had brought to his notice that in my constituency there are certain towns whose population exceeds 10,000 or 12,000 but there the telephone facilities have not been provided though in certain such towns there are colleges and Hospitals etc.

Sometimes telegrams take longer time to reach than ordinary letters even. The villagers have much to complain against this state of affairs. Government should pay attention to this matter.

This Department is very closely concerned with the public and therefore, its work should be carried on in the regional languages. Facilities for Devnagari telegrams should be extended to more post offices. The Government should chalk out a programme and fix targets for extension of those facilities. The production of Hindi teleprinters should also be expedited.

From every nook and corner of the country, a demand is being made against increasing the postal rates, as this would hit the common people. Government should reconsider the matter sympathetically.

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : I support the Demand of the Ministry. Post and Telegraphs Department did well in difficult situations faced by Andhra Pradesh during last two years. But there has been no expansion in P. and T. facilities in Andhra Pradesh during two or three years. Posts and Telegraphs facilities should be expanded in Andhra Pradesh and more funds should be allocated in the Budget for this purpose. Direct Dialling System should be introduced to Andhra Pradesh and Hyderabad the capital of A. P. should be directly connected with Vijaywada, Kurnool, Chittoor and other important cities under the Direct Dialling system. There are only 30 head post offices in Andhra Pradesh with a population of about 3.50 crores of population. More head post offices should be opened there. Government should take steps to recover the outstanding dues from the subscribers instead of increasing the rates of postal articles.

The area of Medak district which is my constituency is very much backward. Telephone facilities should be provided in that area also. It is a good business centre. Telephone facilities should be made available at Kohir. Telephone facilities should be provided at platforms of all big stations as have been provided at Hyderabad and Secunderabad stations. In Andhra Pradesh telegrams are communicated to the addressees on telephone. I think this a very good system and it should be introduced where it does not exist already. The Minister inaugurated the 'micro-wave system' in our state. It is a kind of Direct Dialling system. But the work on this project has not been completed so far. The work should be expedited. The trunk calls from Nizamabad to Adalabad should be routed via Hyderabad instead of Kamredi.

We face a lot of difficuties in making Trunk Calls from Delhi. We have to ask about it from the Exchange. I suggest that the Exchange should themselves give the necessary information to the one who has booked the Trunk call, There is a great demand for telephones

from my constituency because the businessmen have to experience several difficulties in the absence of telephones. Such people are prepared to advance an interest free loan of Rs. 50-60 thousand to the Government to meet the expenditure likely to be involved in extending the telephone lines. I hope the Minister will pay due attention to my suggestions and will take proper steps in that regard.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री मध्याह्न पश्चात् 7 बजे उत्तर देंगे । अभी थोड़ा समय शेष है । यदि सदस्यगण पांच-पांच मिनट लें तो कांग्रेस की ओर से तीन या चार और सदस्यों को अवसर दिया जा सकता है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक तथा तार विभाग गलत रास्ते पर जा रहा है । यह पूंजी विनियोजना तथा लाभांश आदि के सम्बन्ध में रेलवे का अनुसरण करता जा रहा है । डाक सेवा एक अनिवार्य सेवा है और इसे वाणिज्यिक सेवा के बजाय उपयोगितार्थ सेवा माना जाना चाहिए । यदि इसे वाणिज्यिक सेवा माना जायेगा तो इसकी उपयोगिता की दृष्टि से महत्ता समाप्त हो जाती है । वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा था कि विभाग का खर्च बढ़ने के कारण पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्रों का मूल्य बढ़ाया गया है । इस विभाग के व्यावहारिक खर्च के लिये तो जनसाधारण से वसूल किया जाये शेष खर्च सामान्य राजकोष से दिया जाना चाहिये । जो गलत नीति अपनाई गई है उससे तो विभाग में घाटे की स्थिति बढ़ती जायेगी और पोस्टकार्ड और पत्रों का मूल्य भी बढ़ता जायगा । पूरी नीति का ही पुनः निर्धारण किया जाना चाहिये । अतः मेरा अनुरोध है कि अनिवार्य या उपयोगितार्थ सेवा होने के नाते सरकार को पोस्टकार्ड आदि के मूल्य नहीं बढ़ाने चाहिये ।

डाक तथा तार बोर्ड को रेलवे बोर्ड का अनुसरण नहीं करना चाहिए । अन्यथा लोग इसको समाप्त करने की मांग भी करने लगेंगे । समय पर पत्र न मिलना या उसका मार्ग में ही गुम हो जाना या उपयुक्त डाक सेवा का अभाव की घटनाएं भी दुर्घटनाएं हैं । जिस प्रकार दुर्घटना होने पर रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की मांग होती है उसी प्रकार डाक तथा तार बोर्ड के लिए भी मांग की जायेगी ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

डाक तथा तार विभाग के कुल 5,13,342 कर्मचारियों में से लगभग 1,72,374 कर्मचारियों की दशा अत्यधिक दयनीय है । उन्हें नयूनतम मजूरी भी नहीं मिलती । उन्हें अधिक मजूरी दी जानी चाहिये । जहां तक विभाग में मशीनीकरण करने का प्रश्न है, इस बारे में मेरा यह विचार है कि स्वचालित मशीनें न लगाई जायें अन्यथा बेरोजगारी और अधिक बढ़ जायेगी । इस विभाग की मेल मोटर सेवा में कर्मचारियों से 48 घंटे की बजाय 52 से 54 घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जाता है । कर्मचारियों से केवल 48 घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जाये । जहां तक कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था का प्रश्न है, केवल 4 प्रतिशत कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर मिले हैं । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम जैसे शहरों में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में मकान मिलना असम्भव होता है । अतः ऐसे स्थानों पर विभाग की ओर से क्वार्टर बनाये जाने चाहिये । मदुरै में रेलवे डाक सेवा का एक डिवीजन बनाया जाना चाहिये

क्योंकि वहां कर्मचारियों की संख्या एक हजार से भी अधिक हो गई है। तार बाबुओं के वेतन मान बढ़ाये जाने चाहिए। दिल्ली में या उसके आस पास एक तार प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना चाहिए। क्योंकि इस समय केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं। रेलवे डाक सेवा को 70 बड़ी लाइन के और 75 मीटर लाइन के डिब्बे शीघ्र दिये जाने चाहिये। इस सेवा के कर्मचारियों के हितों का भली भांति ध्यान रखा जाना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): Employees of the P and T Department are honest people and they discharge their duties very sincerely. We should appreciate their high sense of duty and give them all sorts of encouragement.

Postal, telegraph and telephone facilities should be provided in Lahul, Spiti and other border areas so as to enable the people of those areas to maintain relations with other parts of the country.

Rules and regulations of the P and T Department were framed during the British days. They should be suitably revised. Government should pay more attention to the needs of the hilly areas like Kangra. There should be a post-office within a radius of 2 miles and a telegraph office and a public call office within a radius of 5 miles.

By increasing postal rates, medium and small newspapers are being made to suffer. Postal charges should not be increased for the small and medium newspapers.

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 17 के समर्थन में दो-चार शब्द कहना चाहता हूं, जो डाकघरों के निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के अखिल भारतीय संघ को मान्यता न दिये जाने के बारे में हैं। मैं इस संघ का प्रधान हूं। यह निरीक्षक अधिकारियों का संघ है और इसे मान्यता दी जानी चाहिये, क्योंकि जिस यूनियन के साथ अब वे सम्बद्ध हैं, वह उनके हितों पर ध्यान नहीं देती। अतः मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह अपने उत्तर में इस संस्था को मान्यता देने का आश्वासन दें।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं संचार मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। एक विकासशील देश में प्रगति और खुशहाली के मार्ग में संचार साधन अत्यधिक सहायक होते हैं। रेलवे डाक सेवा के पुनर्गठन की एक योजना आंशिक रूप से लागू की गई थी। अप्रैल 1961 में उसका पुनर्विलोकन किया जाय और उसे असफल मानकर 1 अक्टूबर 1967 से त्याग दिया गया। डाक तथा तार बोर्ड का यह निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। यह योजना त्यागी नहीं जानी चाहिये थी। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि टेलीफोन तथा डाक और तार विभाग पृथक-पृथक कर दिया जाये, क्योंकि जो लाभ टेलीफोन से होता है, डाक तथा तार विभाग की हानि उसे समाप्त कर देती है। रेलवे डाक सेवा के कलकत्ते डिवीजन का प्रशासन बड़ा शिथिल चल रहा है। अधीक्षकों और उपाधीक्षकों का घेराव किया जाता है। वहा अनुशासन तो बिल्कुल है ही नहीं। इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये अन्यथा यह रोग अन्य डिवीजनों में भी फैल जायेगा। जहां तक हावड़ा का सम्बन्ध है, वहां 1-11-62 से एक नया डिवीजन खोला गया है जो वरिष्ठ अधीक्षक के अधीन काम कर रहा है। इससे कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। यह नया

डिवीजन नहीं खोला जाना चाहिये था । मेरा सुझाव है कि हावड़ा में 'सीटी डिवीजन' बनाया जाना चाहिये जो कलकत्ता के डाक सेवा निदेशक के अधीन काम करे । मैं डाक दरों में वृद्धि का भी विरोध करता हूं । पोस्टकार्ड लिफाफे आदि का मूल्य बढ़ने से जन साधारण तथा गरीब लोगों पर भार अधिक बढ़ गया है । कम से कम पोस्टकार्ड का मूल्य न बढ़ाया जाये । इस विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों को अधिक रोजगार दिया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री लकप्पा (तुमकुर): इस मंत्रालय में कुशासन, भाई भतीजावाद, पक्षपातवाद और भ्रष्टाचार व्याप्त है । छोटे ही नहीं बड़े-बड़े अधिकारी भी रिश्वत लेते हैं । यह विभाग ऐसे कुकृत्यों के लिये पूर्णत: बदनाम हो चुका है । विभागीय अधिकारियों ने जालसाजी से लगभग 3 करोड़ रुपयों का गबन किया है । ऐसा है यह डाक तथा तार विभाग । अब मैं डाक तथा तार सम्बन्धी सुविधाओं के प्रश्न को लेता हूं । सीधे टेलीफोन की व्यवस्था दिल्ली से उत्तर प्रदेश या दिल्ली के पड़ोसी राज्यों तक ही सीमित है । दिल्ली से आगरा, अहमदाबाद, जयपुर, जम्मू, जालन्धर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पटना, शिमला और श्री नगर के लिये यह सुविधा उपलब्ध है । इनमें कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो दक्षिण भारत में हो । दिल्ली से दक्षिण भारत के किसी भी शहर के बीच सीधे टेलीफोन की व्यवस्था विद्यमान नहीं है । डाक तथा तार की सुविधाएं जुटाने में भी दक्षिण भारत के साथ भेदभाव किया गया है । मैं मंत्री पर यह आरोप लगाता हूं । टेलीफोन की स्वीकृति के लिये क्या कसौटी है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि इस बात का निर्णय पोस्ट मास्टर जनरल स्वविवेक से करता है । मेरा तो यह विचार है कि जो रिश्वत देता है वह तुरन्त टेलीफोन लगवा लेता है और अन्य लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं । लोक-लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि इस विभाग में 50 लाख रुपयों का गबन किया गया है । कई लाख का घाटा एक विशेष फर्म से माल खरीदने के कारण हुआ । टेलीफोन के यंत्र इतने बेकार हैं कि अन्य लोगों की प्रेम वार्ताएं उनमें सुनती रहती हैं । कई पत्र तो प्रापकों को 30 वर्ष बाद मिलते हैं । इस प्रकार का काम यह विभाग कर रहा है । दिल्ली के तारघर में काम करने वाले लोग जिनकी सेवा 23 वर्ष की हो चुकी है आज भी चेयरमैन की दया पर निर्भर हैं । उनके साथ न्याय किया जाना चाहिये । यदि सरकार माननीय प्रतिष्ठा और अधिकारों का वास्तव में समर्थन करती है तो उसे किंग-मार्टिन लूथर और रोडेशिया में फांसी के तख्ते पर झूलने वाले शहीदों के सम्मान में स्मारक टिकटें जारी करनी चाहिये ।

Shri Sheo Narain (Basti): Government should pay special attention to provide telephone facilities to the border areas, so that Government could get information from those areas without any delay. This is very essential from the point of view of defence.

P and T Department is undoubtedly the best and most honest department as compared to the other departments of the Government of India. It would not be proper for the Government to increase the postal rates. Government should provide more employment facilities to the Harijans in the P and T Department. Harijans are very hard-working and they are most suitable for the P and T Department.

Postal Savings Bank facilities should be expanded in the rural areas. This would provide money to the Government and facilities to the people to deposit their savings. Post Offices should be opened at least in big villages.

Direct dialling system should be introduced in Bareilly.

Government should take concrete steps to recover outstanding dues from the subscribers.

Shri Deorao Patil (Yeotmal): There is only one postal circle in a state now-a-days. For this purpose Government should take into account the population of the state also. States with larger population should have two circles. There should be two postal circles in Maharashtra. Nagpur should be made the headquarters of a new P and T circle. The proposed new factory for manufacture of transmission equipment should be opened at Nagpur.

The number of employees in the telephone department is inadequate. The number of line-men should be increased.

It is regrettable that no attention has so far been paid to the complaints made by the employees of Nagpur. Government should pay more attention to the grievances of the low-paid employees and should consider their demands sympathetically.

Government should inquire into the cases of late delivery or non-delivery of the T.M.Os. A T.M.O. was sent on the 30th but the Money Order has not been delivered so far nor the money has been refunded to the sender. The officials concerned should be punished for this lapse.

The principle of opening post offices in villages where people contribute money for this purpose is unjust. Villagers are poor people. It is not possible for them to contribute money towards the cost of running a post office. Government should themselves open more post offices in the rural areas.

कच्छ क्षेत्र में संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. ARRESTS OF MPs in KUTCH AREA

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : गुजरात सरकार से ऐसी जानकारी मिली है कि कच्छ के मजिस्ट्रेट ने 20 अप्रैल को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कच्छ के रण में प्रवेश निषिद्ध करने के लिये एक आदेश जारी किया था। आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि सत्याग्रहियों को अमुक स्थान से आगे नहीं जाने दिया जायेगा। 21 अप्रैल को जब सत्याग्रहियों ने उस स्थान को पार करके कच्छ क्षेत्र में घुसना चाहा तो उनका ध्यान निषिद्ध आदेश की ओर दिलाया गया और बम्बई पुलिस अधिनियम के अधीन उन्हें वह क्षेत्र छोड़ने के लिये कहा गया। इस पर भी जब सत्याग्रहियों ने वह स्थान न छोड़ा तो उन्हें बन्दी बना लिया गया और उस क्षेत्र से हटा दिया गया। पांच संसद् सदस्यों तथा अन्य नेताओं को राज्य परिवहन की बस द्वारा गांधीधाम ले जाया गया, जो समीपस्थ रेलवे स्टेशन है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कुछ प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते थे । मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है । सामान्यतः ऐसे अवसर पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती । इस सम्बन्ध में बाद में किसी अन्य माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

Shri N. N. Patil (Balsar) : The employees of the P & T Department discharge their duties more honestly and efficiently as compared to those in the other Departments of the Government of India. The duties of a post-man are very hard. More facilities should be made available to him.

There should be a post office in every village having the population of 1000. Direct dialling system has been introduced between Delhi and Ahmedabad. To avoid difficulties and inconvenience, Government should expedite the work in connection with the co-axiel line.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Postal facilities in the border areas like North Bihar are inadequate. More such facilities should be provided in the border areas. Special attention should be paid to the rural areas in the matter of providing postal facilities.

The population of my district is about 22 lakhs. But there is no Postal Superintendent in the District. Office of the Postal Superintendent should be provided in Saharsa District.

There should be a telephone system, a telegraph system and a head post office in every big Anchal.

Government should pay more attention to Saharsa District as it is a backward area but at the same time it is very important border area.

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : अनुसूचित जातियों को सभी रियायतें दी जा रही हैं । यदि कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में मैं और अधिक उदार रुख अपनाऊंगा और उनके लिये जितना कोटा निश्चित है उससे भी अधिक उन्हें दिया जायेगा ।

सरदार भगत सिंह और श्री मार्टिन लूथर किंग की स्मारक टिकटें शीघ्र जारी की जायेंगी ।

दक्षिण के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता गया है । मद्रास और बंगलौर के बीच एस० टी० डी० प्रणाली मौजूद है और स्वचालित ट्रंक एक्सचेंजों के मामले में हम मद्रास को प्राथमिकता देने जा रहे हैं ।

स्वचालित डायलिंग सिस्टम का हैदराबाद और पूना में काम पहले ही आरम्भ हो गया है । इस वर्ष के अन्त तक कलकत्ता-मद्रास, मद्रास-दिल्ली, दिल्ली-बम्बई इत्यादि में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था शुरू करने का हमारा विचार है । हम सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भी सोच रहे हैं । हमने श्रीनगर से माइक्रो वेव सम्पर्क स्थापित कर लिया है । हम लद्दाख से भी इन्हीं गर्मियों में सम्पर्क स्थापित कर लेंगे । सारे सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कर दी जायेगी ।

डाकखानों के बारे में हमारी नीति यह है कि प्रत्येक पंचायत में एक डाकखाना होना चाहिये । अगले दो महीनों में हम एक लाख डाकखाने खोलेंगे । भारत में प्रत्येक ऐसी जगह पर जहां एक पंचायत यूनिट है वहां एक डाकखाना खोला जायेगा । इस नीति के अनुसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी डाकखाने खोल दिये जायेंगे ।

अंचल नीति भी एक बहुत अच्छी नीति है कि प्रत्येक ब्लाक हैडक्वार्टर्स में टेलीफोन-व्यवस्था, तार-व्यवस्था और एक बड़ा डाकखाना होना चाहिये । हम इस नीति को अपनाने की कोशिश करेंगे । हम यथासम्भव सार्वजनिक टेलीफोनों की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे गरीब जनता लाभ उठा सकेगी ।

भारत-पाक टेलीफोन प्रणाली के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि हमारी टेलीफोन प्रणाली के द्वारा कोई अप्रिय घटना का समाचार किसी भी स्थान पर न पहुंचाया जाये ।

डाक-प्रणाली में 9,80,000 रुपये के गोलमाल का जिक्र किया गया था । हम इस प्रकार के गोलमाल और अन्य बातों पर उचित निगरानी रखेंगे ।

पिछले साल हमने 184 टेलीफोन एक्सचेंज खोले थे । हमारी अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रशासन चलाने की नीति है और इसी नीति के अनुसार हमने यह आदेश दे दिया था कि सभी फार्म, पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र आदि जो हमारे मुद्रणालय में छप सकती हों, अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में हों ।

फार्मों के बारे में हम कोशिश करेंगे कि वे प्रादेशिक भाषाओं में हों । हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी तामिल-गुजराती और हिन्दी में छपती हैं और हम प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा देंगे । कहा गया है कि बचत बैंक जमा की दरें इतनी नहीं हैं जितनी वाणिज्यिक बैंकों की हैं । बैंकों के खाते पर आय-कर लगता है जबकि डाक बचत खातों पर नहीं लगता । डाक-बचत बैंक देश भर में फैला हुआ है और ऐसे 10,000 बैंक हम और खोलेंगे । हमारे 50 प्रतिशत डाक-घरों को बचत बैंको में परिवर्तित कर दिया जायेगा । डाक-बचत बैंकों में अपनी बचत जमा करने के लिये लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायेंगी ।

पिछले साल मैंने डाक-तार बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और खर्च के बारे में अपने सर्किल अधिकारियों को और अधिक अधिकार देने की बात की थी । यह हमने कर दिया है । अब हमारे वित्तीय सदस्य को रेलवे सदस्यों की सभी शक्तियां तथा अधिकार प्राप्त हैं ।

कुछ सदस्यों ने आवास सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया है जोकि वास्तव में बड़ी कठिन समस्या है । हमारे 2000 डाकघरों के लिए सरकारी इमारतें नहीं हैं । फिर प्रत्येक कर्मचारी के लिये सरकारी क्वार्टर की व्यवस्था करनी है जिसके लिए 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । पर इस समय हमारे पास जो निधियां हैं उनमें 5 करोड़ रुपये की कमी है । हम पिछले दो तीन वर्षों से लाभांश देने की स्थिति में नहीं थे, पर अब स्थिति बदल गई है ।

खादी की वर्दी का भी उल्लेख किया गया है। आजादी की लड़ाई के समय से इसका महत्व है। अतः खादी की वर्दी ही दी जानी चाहिए।

नगरों का पुनः वर्गीकरण करने की भी कई स्थानों पर मांग की गई है। जिस स्थान के बारे में यह मांग मेरे विचार से उचित ठहरी, मैं उसके सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से बातचीत करूंगा।

केरल सर्किल के बारे में कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक रियायतें दी जानी चाहिएं। हम ये रियायतें केरल के वन-क्षेत्रों को ही नहीं वरन् सारे देश को देंगे।

A demand has been raised for opening Post office at Dumaria. The Post office at that place will be established very shortly. It has been mentioned that subsidized Post offices should be opened in forest and hilly areas. We are prepared to bear a deficit of Rs. 2500 in opening such post offices.

किसी स्थान पर रेलवे डाक सेवा प्रभाग खोलने के लिए उस स्थान में कम से कम 500 तीसरी श्रेणी के कर्मचारी होने चाहिए और वह क्षेत्र कम से कम 30,000 किलोमीटर होना चाहिए। पर मदुरै और झारछोवड़ा इससे कम हैं। मैं इन स्थानों की छानबीन कराऊंगा।

आसाम मेल में हमेशा भारी भीड़ रहती है। इसकी क्षमता 12 डिब्बे ढोने की है। इस बारे में रेलवे मंत्री महोदय से बातचीत करूंगा कि क्या वह सवारी डिब्बों के स्थान पर, खास तौर पर तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बों के स्थान पर रेलवे डाक सेवा के डिब्बे ले जाने के लिये राजी होंगे।

A demand has been raised for providing telephone facilities in Zahirabad. This Demand will be met.

कहा गया है कि डाक-विभाग और दूर-संचार विभाग को अलग कर दिया जाये क्योंकि एक में घाटा तो दूसरे में लाभ रहता है जोकि प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। अखबार डाक-तार विभाग से परामर्श किए बिना ही मूल्य बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी या तिलक द्वारा चलाये पत्र जैसे कि 'हरिजन' और 'केसरी' को रियायतें देने के बारे में मैं सहानुभूति के साथ विचार करने के लिए हमेशा तैयार हूं।

डाक दरों में वृद्धि का जिक्र किया गया है। डाकशाखा में पिछले कई वर्षों से घाटा हो रहा है। यह धारा 1965-66 में 2.28 करोड़ रुपये था और 1967-68 में अनुमानतः 16.81 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा। मई, 1963 से अगस्त, 1967 तक डाक दरों में जो मामूली वृद्धि की गई थी उससे हुई अतिरिक्त आय कर्मचारियों पर बढ़ते हुए खर्चे में बराबर हो गई।

डाक-तार विभाग को 1965-66 में 3.94 करोड़ और 1966-67 में 3.10 करोड़ रुपये पूंजी दी गई थी, पर सामान्य राजस्व में देय लाभांश देने में यह विभाग असमर्थ रहा है।

चालू वर्ष के बारे में अनुमान है कि यह विभाग 11.31 करोड़ रुपये का लभांश नहीं दे पायेगा और साथ ही उसका खर्च अनुमति आमदनी से 2.26 करोड़ रुपये अधिक रहेगा। पिछले तीन वर्ष के कुल 20.61 करोड़ रुपये के कुल घाटे को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से अग्रिम धनराशि लेनी पड़ी है जो उसे तीन किस्तों में ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। सरकार डाक-तार विभाग को आमदनी वाला विभाग नहीं समझती पर आशा यह करती है कि वह अपने विभागीय खर्चे को अवश्य पूरा करे। डाकदरें प्रशुल्क जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई गई हैं।

संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। पंच फैसले के लिये पैनल का चुनाव हो चुका है। पंच फैसले के लिये भेजी जाने वाली सभी बातों के बारे में विचारार्थ विषय तैयार किये जा चुके हैं जिन्हें डाक तार की राष्ट्रीय फैडरेशन के पास सहमति के लिए भेज दिया गया है। उनके वापस आने पर गृह मंत्रालय के माध्यम से उन्हें श्रम मत्रालय के पास भेज दिया जायेगा।

1954 में कर्मचारी संघों को मान्यता देने के बारे में एक नीति अपनाई गई थी। 1955 में केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संस्था को मान्यता) नियम, 1955 बनाये गये थे किन्तु अब वे लागू नहीं हैं क्योंकि ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1955 के नियम 4 (ख) पर आधारित थे जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रतिकूल घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने नये नियम न बन जाने तक किसी कर्मचारी संघ को मान्यता नहीं देने के लिए कहा है। पर यह स्पष्ट है कि इस विभाग के कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति रहेगी।

टेलीफोन बिल तैयार करने की प्रणाली देश भर में संतोषजनक नहीं है। पिछले एक वर्ष से हमने इस प्रणाली को सुधारने की पूरी कोशिश की है। हम इसकी छानबीन के लिये एक संगठन स्थापित करेंगे ताकि लोगों की इस बारे में शिकायत न रहे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये संचार विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं और पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं

The following Demands for the year 1968-69 in respect of Department of Communications were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
91	संचार विभाग	11,63,000
92	समुद्रपारीय संचार सेवा	2,29,52,000
93	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय)	1,71,56,54,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
94	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी ।	23,60,13,000
95	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय ।	28,75,000
135	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	51,26,25,000
136	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय ।	4,79,16,000

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री ज्योतिर्मय बसु जिन्हें आधे घंटे की चर्चा उठानी थी, अनुपस्थित हैं, इसलिए सभा कल प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 अप्रैल, 1968/3 वैशाख, 1890 (शक) के प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 23, 1968/Vaisakha 3, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—10-11-68—600.